Thursday, 25 April, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Parliament Library
F. ... On 28-8-72

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 44, गुरुवार, 25 अप्रैल, 1974/5 वैशाख, 1896 (शक)

No. 44, Thursday, April 25, 1974/Vaisakha 5, 1896 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
830	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली में पेय पदार्थों (साफ्ट ड्रिंक्स) का उत्पादन	Manufacture of Soft Drinks in Delhi by M/s. Pure Drinks Limited .	1
831	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Journalists	4
834	राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आन्ध्र प्रदेश को धनराशि का दिया जाना	Funds to Andhra Pradesh for National Programme	10
835	कोयला शक्ति के अनुसंधान में सहयोग के लिए अमरीकी दल का इच्छुक होना	Eagerness of American Team to Collaborate in research on Coal Energy	12
837	देशीय मशीनरी से छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Mini Steel Plants with Indigenous Machinery . .	13
838	आसाम टी गार्डन्स में श्रमिक संघ के सदस्यता शुल्क की जबरी वसूली	Compulsory Collection of Union Membership fee in Assam Tea Gardens	14
	अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTIONS	
अ०सू०प्र० संख्या			
12	दार्जिलिंग के समीप अलौह धातुओं के निक्षेप	Deposits of Non Ferrous Metals near Darjeeling	16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
832	गुजरात राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Gujarat State	19
833	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने लाभ को अधिकतम किया जाना	Profit Maximisation by HSL and S.A.I.L.	20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

तां० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
836	निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले एककों को प्रोत्साहन	Incentive to Units running at more than rated Capacity . . .	21
839	हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, हलदिया, पश्चिम बंगाल का मांग-पत्र	Charter of Demands by Hindustan Construction Workers Union, Haldia, West Bengal . . .	21
840	कृषि श्रमिक सैल	Agricultural Labour Cells . . .	22
841	सेलम इस्पात कारखाने में बेरोज़गार हुए श्रमिक	Workers rendered Jobless in Salem Steel Plant . . .	22
842	पांचवीं योजना अवधि के लिए कोक की आवश्यकता	Coke Requirement for Fifth Plan Period .	22
843	इस्पात मिलों का प्रबन्ध	Management of Steel Mills	23
844	खान कर्मचारियों को अवकाश सम्बन्धी तथा अन्य लाभ	Leave and other Benefits to Mine Workers	24
845	हिन्द महासागर में अमरीकी और रूस की नौसैनिक गतिविधियों की चीन द्वारा आलोचना के समाचार	Reports of Chinese Criticism of USA and USSR for Naval Operations in Indian Ocean . .	24
846	सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के गैर-सरकारी सेवाओं में रोज़गार पाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Retired Commissioned Officers for taking up Private Services . .	25
847	हंगरी के सहयोग के साथ भारी उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्ध में समझौता	Agreement regarding setting up of Heavy Industries with Hungarian Collaboration	25
848	खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए राज्यों को अनुदेश	Instructions to States for Checking Food Adulteration .	26
849	बावा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, मऊ (मध्य प्रदेश) को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Baba Saheb Ambedkar Memorial Society, Mhow (M.P.)	26
850	महाराष्ट्र और गुजरात को कच्चे लोहे का भेजा जाना	Diversion of Pig Iron to Maharashtra and Gujarat . . .	26
अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.			
8085	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा आयल रिगों का निर्माण	Manufacture of Oil Rigs by BHEL	27
8086	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की कलमासेरी यूनिट के प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व	Workers Representation in Management of HMT Unit, Kalamasery .	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	PAGES
8087	मध्य प्रदेश में एन० सी० डी० सी० की परियोजनायें	NCDC Project in Madhya Pradesh .	28
8088	मध्य प्रदेश में मिनी ट्रैक्टरों के उत्पादन का प्रस्ताव	Proposal for Production of Mini Tractors in Madhya Pradesh .	28
8089	वर्ष 1972-73 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र को हानि	Loss to Bhilai Steel Plant during 1972-73	28
8090	मध्य प्रदेश की इटारसी तहसील में दुलारिया ग्राम के निकट बसाये गए शरणार्थी	Refugees settled near Dularia Village in Itarsi Tehsil of M.P. . . .	28
8091	बर्मा में भारत मूल के निवासी	Persons of Indian Origin in Burma .	29
8092	देश में कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्ति	Persons suffering from Leprosy in Country	29
8093	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत प्रजनन उपकरण की क्षमता तथा उत्पादन	Capacity and production of Power Generation Equipment by BHEL .	29
8094	दो भारी उद्योग कारखाने लगाना	Setting up of Two Heavy Industry Units	30
8095	पाइप लाइनों के द्वारा कोयले की सप्लाई	Coal Supply by Pipe Lines . .	30
8096	दिल्ली में दुकानों के समय में परिवर्तन	Change in Shop Hours in Delhi .	30
8097	गोल मार्किट डिसपेंसरी, नई दिल्ली में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं	Inadequate Medical Facilities in Gole Market Dispensary, New Delhi .	31
8098	स्क्रैप का आयात तथा संरचनाओं (स्ट्रक्चरल्स) का निर्माण	Import of Scrap and Export of Structurals	31
8099	विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों में मानव रक्त का विश्वव्यापी घोटाला	Global Racket in Human Blood in Foreign Pharmaceutical Companies	32
8100	दशमलव प्रणाली के कलेण्डर	Decimal System of Calendar . .	32
8101	क्षेत्रीय गैस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव	Proposal to create Regional Gas Girds	32
8102	डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के अभिलेखों की जांच	Verification of Records of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust . . .	33
8103	मलयेशिया और सिंगापुर में विद्युत उत्पादन और (स्ट्रक्चरल्स) परियोजनाएं स्थापित करना	Setting up of Power Generation and Structurals in Malaysia and Singapore	33
8104	बंगला देश के प्रधान मंत्री की यात्रा	Visit by Prime Minister of Bangladesh	33

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8105	डीज़ल चालित जनरेटिंग सैट्स का आयात	Wire units in West Bengal . .	34
8106	पश्चिम बंगाल में तार के कारखाने	Import of Diesel Generating Sets .	34
8107	निकोबार द्वीप में व्यक्तियों का बसाया जाना	Resettlement of persons in Nicobar Island	34
8108	डाक्टरों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक परीक्षा	Annual Examination by UPSC for Recruitment of Doctors .	35
8109	मिस्र के पुनर्निमार्ण तथा विकास के लिये भारतीय सहायता	Indian Aid for Reconstruction and Development of Egypt	36
8110	आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण	Manufacture of Sophisticated Warships	36
8111	भारतीय नौसेना के सैनिकों द्वारा डियागो गार्शिया का निरीक्षण	Inspection of Diego Garira by Indian Navy Personnel	36
8112	भेषजों में मिलावट की जांच के लिए नियुक्त समिति के निष्कर्ष	Conclusion of Committee Appointed to go into Drug Adulteration .	37
8113	राष्ट्रीय मज़ूरी बोर्ड	National Wage Board	37
8114	पश्चिम एशियाई देशों में सहयोग परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of collaborations projects in West Asian Countries .	37
8116	सीमा सड़क विकास बोर्ड के उपकरणों और अनावश्यक फालतू पुर्जों का निपटान	Disposing of equipment and spares of Border Road Development Board	38
8117	खाद्य तथा भेषजों में मिलावट रोकने के बारे में केन्द्रीय नागरिक परिषद् द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memoranda submitted by Citizens Central Council Re: Checking Adulteration of Food and Drugs . .	38
8118	अल्प-संख्यकों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों के बारे में बंगला देश अध्यादेश	Bangladesh Ordinances on properties left behind by Minorities . .	40
8120	हिन्दुस्तान मोटर्स का विस्तार कार्यक्रम	Expansion programme of Hindustan Motors	41
8121	देश में हवाई पट्टियों का रख-रखाव	Maintenance of Airstrips in the Country	41
8122	एशियाई शक्तियों का शिखर-सम्मेलन	Asian Power Summit	41
8123	बस्तर ज़िले में पेलेटाइजेशन प्लांट	Pelletisation Plant in Bastar District .	41
8124	एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया को सरकारी नियंत्रण में लेना	Take over of Aluminium Corporation of India	42
8126	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्रिंटिंग एवं डाई कास्टिंग मशीनों के उत्पादन में गिरावट	Shortfall in production of printing and Die casting Machinery by HMT	42

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8127	प्रधान मंत्री के प्रस्तावित विदेशी दौरे	Proposed Foreign Visits of Prime Minister	43
8128	बटाला (पंजाब) के औद्योगिक संघों को कच्चे लोहे की सप्लाई	Supply of Pig Iron to Industrial Associations of Batala (Punjab)	43
8129	जबलपुर और ग्वालियर में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का भण्डार-गृह	H.S.L. Stockyard at Jabalpur and Gwalior .	43
8130	भिलाई इस्पात संयंत्र से मध्य प्रदेश को बेंजीन की सप्लाई	Supply of Benzene from Bhilai Steel Plant to M.P.	44
8131	राज्यों को स्टेनलैस स्टील का आवंटन	Allotment of Stainless steel to States	44
8132	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमीनियम का उत्पादन	Production of Aluminium by Hindustan Aluminium Corporation .	44
8133	भारत की सुरक्षा के लिये उपाय	Steps for Security of India	45
8134	वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान लापता जवान और अर्द्ध-सैनिक	Jawans and Para-Military Personnel missing during Indo-Pak war of 1971	45
8135	गुजरात राज्य के लिये 1974-75 में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये निश्चित की गई धनराशि	Amount earmarked for health centres and Family Planning Centres for Gujarat State for 1974-75 .	46
8136	इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा आन्ध्र प्रदेश के लिये किया गया इस्पात नियतन	Steel Priority Committee allocation of Steel to Andhra Pradesh	46
8137	आंध्र प्रदेश में पुनर्बेलन मिलें	Re-rolling Mills in Andhra Pradesh	47
8138	गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अछूते कोयला-युक्त क्षेत्रों का विदोहन	Tapping of Virgin coal bearing areas by Private Sector	47
8139	इस्पात उपभोक्ता मंत्रालयों द्वारा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि पर आपत्ति उठाना	Increase in prices of Steel objected to by steel consuming Ministries . .	48
8140	राज्यों को ट्रैक्टरों का वितरन और इनकी निर्माण लागत तथा बिक्री मूल्य	Distribution of Tractors to States and their Manufacturing cost and selling price	48
8141	पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग के कारखानों के कर्मचारी	Employees in Heavy Industrial Units in West Bengal	49
8142	राजस्थान के गंगानगर ज़िले में वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सम्पत्ति की हानि	Loss of property in Indo-Pak War of 1971 in Ganganagar District, Rajasthan . . .	49

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8143	सहायक श्रम आयुक्त, आसाम के लिये कर्मचारियों और वाहन की व्यवस्था	Provision of staff and Vehicle to Assistant Labour Commission, Assam .	49
8145	कोयले का उत्पादन	Coal Production . .	50
8146	पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में चाय बागानों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	E.P.F. dues with Tea plantations in West Bengal and Tripura .	50
8147	पश्चिम बंगाल में 1971 और 1972 में बिजली तथा कच्चे माल की कमी के कारण जबरी छुट्टी किये गये श्रमिक	Workers laid off due to power shortage and shortage of raw materials in West Bengal in 1971 and 1972	51
8148	खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के लिये योजनायें	Welfare of Agricultural Labourers	51
8149	पश्चिम बंगाल में श्रमिक विवादों में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग	Use of DIR in Labour Disputes in West Bengal	51
8150	कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों में रक्त प्लाज्मा संयंत्र उपलब्ध न होना	Non-availability of Blood Plasma Plant in Calcutta Government Hospital	52
8151	पश्चिम बंगाल में स्टेनलैस स्टील की सप्लाई	Supply of Stainless Steel to West Bengal	52
8152	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स का विस्तार	Expansion of Hindustan Steel Works .	52
8153	पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग	Coverage under E.P.F. Act in West Bengal	53
8154	पश्चिम बंगाल के कपड़ा मिलों में पारिवारिक पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills in West Bengal . . .	53
8155	कोयले के उत्पादन और वितरण की देख-रेख के लिये कर्मिदल (टास्क फोर्स)	Task Force to Supervise Production and distribution of Coal . .	53
8156	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की पुनरीक्षा विषयक समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal	55
8157	विदेशों में स्वाधीनता आन्दोलनों के लिये भारत का समर्थन	Indian Support to Liberation Movements Abroad . . .	55
8158	हिन्द महासागर में युद्धपोत रखने में अमरीका व सोवियत संघ के बीच होड़	US-Soviet Rivalry for War Ships in Indian Ocean	55

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8159	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों में दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव	Proposal for inclusion of Delhi Metropolitan Council Members in Delegations Abroad	56
8160	भूतपूर्व पूर्व-पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दिल्ली में पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from former East Pakistan in Delhi . . .	56
8162	दिल्ली प्रशासन के लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विंग के लिये पांचवीं योजना में नियतन	Allocation in Fifth Plan for Public Health Engineering Wing of Delhi Administration	57
8163	कीनिया में लाइसेंस रद्द किये गये एशियाई व्यापारियों को देश छोड़ने का आदेश	Quit orders to De-licensed Asian Traders in Kenya . . .	57
8164	संसद-सदस्यों को स्कूटरों और कारों का आवंटन	Allotment of Scooters and Cars to Members of Parliament . . .	57
8165	रक्षा मंत्रालय के अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों को चयन ग्रेड	Selection Grade to Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees of Defence Ministry	59
8166	सरकारी उपक्रमों में अवैध हड़तालें	Illegal Strikes in Public Sector Undertakings	60
8167	समयोपरि भत्ते की अदायगी को कम करने का प्रस्ताव	Proposal to Discourage Overtime Allowance Payment . . .	60
8168	स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान	Payment of Medical Reimbursement to Employees of Health Department	60
8169	अत्यन्त आधुनिक वायु-रक्षा उपकरणों का निर्माण	Manufacture of highly sophisticated Air Defence Equipment . . .	61
8170	परिवार नियोजन सम्बन्धी नयी नीति के गठन हेतु राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Health Ministers for New Strategy for Family Planning	61
8171	श्रीलंका में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण भारतीय मूल के बागान श्रमिकों की मृत्यु	Deaths of Plantation Labourers of Indian Origin in Sri Lanka due to Food Shortage	62
8172	कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करने के कारण मुकदमें	Prosecutions for Default of E.P.F. .	62
8173	हिमाचल प्रदेश में खनिजों का निकाला जाना	Exploitation of Minerals in Himachal Pradesh	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8174	पांचवीं योजना अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में न्यूनतम चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजना	Scheme for providing minimum medical aid in backward regions of Hilly areas in Fifth Plan period . .	63
8175	क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र	Pending applications in Regional Passport office, Delhi . . .	64
8176	हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to Himachal Pradesh and Haryana . . .	64
8177	जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में भोज्य विषाक्तता के मामले	Food poisoning cases, in States of J & K, Himachal Pradesh, Punjab Haryana and Union Territories of Chandigarh and Delhi . . .	65
8178	धुएं की समस्या सम्बन्धी आयोग की स्थापना	Setting up of Smoke Nuisance Commission . . .	65
8179	भारत और यूनाइटेड अरब एमीरेट्स के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना	Setting up of Joint Commission between India and UAE .	65
8180	बंगला देश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Foreign Minister of Bangladesh .	66
8181	हिन्द महासागर में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य देशों के सैनिक अड्डे	American, British, French and other Foreign Military bases in Indian Ocean	66
8182	इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स के पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Registered and Recognised Trade Unions in Indian Bureau of Mines	67
8183	हास्पेट में लौह अयस्क की खानें	Iron Ore Mines at Hospet .	67
8184	रूस की सहायता से लगाये जा रहे इस्पात कारखाने	Soviet aided Steel Plants	68
8186	पोलैण्ड के विदेश मंत्री का दौरा	Visit by Foreign Minister of Poland .	68
8187	विदेश मंत्री की मिस्र यात्रा	Foreign Minister's visit to Egypt .	69
8188	केन्या में भारतीय	Indians in Kenya	69
8189	पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में हड़तालें और तालाबन्दियां	Strikes and lockouts in Jute Mills in West Bengal	69
8191	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल का उत्पादन	Production of Hindustan Motors Ltd., West Bengal	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
8192	आंशिक रूप से बन्द होने के कारण टिस्को संयंत्र को हानि	Loss to TISCO Plant due to Partial Closure	70
8193	अफगानिस्तान के साथ आर्थिक समझौता	Economic agreement with Afghanistan	71
8194	टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के कर्मचारियों को बहाल करना	Reinstatement of Workers of Telco and Tube Company, Jamshedpur .	71
8195	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा सुरक्षा कानूनों की अवहेलना	Safety Laws disregarded by Bharat Coking Coal Ltd. . . .	72
8196	इस्पात संयंत्रों के लिये प्रस्तावित रक्षित बिजलीघरों में कथित विलम्ब	Alleged delay in proposed captive Power Units for Steel Plants .	72
8198	चयनात्मक और निर्बन्धनात्मक विदेशी सहयोग	Selective and Restrictive Foreign Collaborations . . .	72
8199	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेदिक डाक्टरों और अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं	Qualifications for appointment of Ayurvedic Doctors and Research Officers in CGHS .	73
8200	माना शिविर से बंगाली लड़कियों का अपहरण	Abduction of Bengali Girls from Mana Camp .	74
8201	चीन द्वारा पारासैल द्वीप समूह पर अपने कब्जे के संबंध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव	Move for India's Support over Occupation of Paracel Islands by China .	74
8202	गाजियाबाद में खाद्य अनुसंधान तथा मानकीकरण प्रयोगशाला स्थापित करना	Setting up of Food Research and Standardisation Laboratory at Ghaziabad	75
8203	संगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले के भण्डार	Coal Reserve of Sengrauli Coal Fields	75
8104	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की प्रबन्ध सेवाओं के वेतनों में वृद्धि	Pay raise for Managerial services of NCDC .	75
8105	सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की आय के 'स्लैब'	Slabs of Income of Guardians of Students of Sainik Schools	76
8206	कोयला खान मालिकों को देय राज-सहायता की राशि	Subsidy dues to Coal Mine Owners	76
8207	चालू वर्ष में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये राज्यों को स्वीकृति धनराशि	Amount sanctioned to States for Prevention of Infectious Diseases for Current Year	76
8208	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in U.P.	77

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8209	श्रमिक समस्याओं पर गोल मेज सम्मेलन	Round Table Conference on Labour Problem	77
8210	इंगलैण्ड में भारतीय डाक्टर	Indian Doctors in England . .	77
8211	मौरिशस और सिकेलस द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डे बनाने की सोवियत संघ की योजना	Soviet Plan for Naval bases in Mauritius and Sychelles .	78
8212	सोवियत रूस द्वारा एशियाई सुरक्षा योजना का स्पष्टीकरण	Elaboration of Asian Security Plan by Soviet Russia	78
8213	औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पर केन्द्रीय कार्मिक संघों के विचार	Views of Central Trade Unions on Industrial Relations Bill .	78
8214	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कोयले का गैर-कानूनी तरीके से उत्पादन	Illegal Production of Coal in Nationalised Coal Mines . . .	79
8215	दानापुर कैंटोनमैंट एरिया की होल्डिंग नं० 49, महल नं० 4	Holding No. 49, Mahal No. 4 of Danapur Cantonment Area . .	79
8216	हजारीबाग के कुजु सब-एरिया में डी० ओ० प्रणाली से कोयले की बिक्री	Sale of Coal through D.O. System in Kuju Sub-area of Hazaribagh . .	80
8217	टोपा कोलियरी में कोयले का स्टाक	Coal Stock at Topa Colliery	80
8218	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बिजली के विशाल जनेरेटरों का उत्पादन	Manufacture of Giant Power Generator by BHEL	80
8219	चीन के भारत विरोधी षड्यंत्र के बारे में समाचार	Press report regarding China Plotting against India	81
8220	तिब्बती शरणार्थियों का कर्नाटक में पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan refugees in Karanataka	81
8221	भारी उद्योगों की उत्पादन क्षमताओं के उपयोग के लिये पांचवीं योजना में विचार	Fifth Plan Projection for Utilization of Production capacities of Heavy Industries	81
8222	केरल तथा मध्य प्रदेश के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भिन्नता	Differences in Family Planning Programme of Kerala and Madhya Pradesh.	82
8223	गोआ और उत्तर कनारा की मैंगनीज खानों के खनन और पट्टे पर देने सम्बन्धी नीतियां	Mining and Leasing out policies of Manganese mines of Goa and North Kanara	82
8224	फार्मास्यूटिकल उद्योग में न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में गुजरात परामर्श-दात्री समिति	Gujarat Advisory Committee on Minimum Wages in Pharmaceutical Industry	82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8226	गुजरात में पंजीकृत बेरोजगार	Registered Unemployed in Gujarat	83
8227	बिहार के अभ्रक क्षेत्रों में तालाबन्दी	Lock-out in Mica Areas of Bihar	84
8228	लघु इस्पात कारखानों में हुआ कम उत्पादन	Less Production in Small Steel Plants	84
8229	पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भूमि की हकदारी के पट्टे	Land Title Deeds to East Pakistan Refugees in West Bengal . .	85
8230	पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये आवास, अधिग्रहण भूमि और उनकी शिक्षा पर किया गया व्यय	Expenditure on Refugees from East and West Pakistan for Housing, Land and Education . . .	85
8231	राउरकेला इस्पात संयंत्र में एस० एम० एस० का ढह जाना	Collapse of SMS at Rourkela Steel Plant	86
8232	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा चुने गये उड़ीसा के स्नातक प्रशिक्षणार्थी	Oriya Graduate Trainees selected by HSL	86
8233	बंगला देश कर के एक अंश का पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर खर्च किया जाना	A Portion of Bangladesh Tax spent on Pak P.O.Ws. .	86
8234	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बंगाली	Bengalis in Durgapur Steel Plant	87
8235	रूसी प्रतिनिधि द्वारा कोलम्बो में हुये 'इकाफे' सम्मेलन में एशियाई सामूहिक सुरक्षा पद्धति के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Proposal for Asian Collective Security System by Soviet Delegate at ECAFE Session in Colombo	87
8236	आस्ट्रेलिया के डिज़ाइन पर आधारित छोटे सीमेन्ट कारखाने	Australian Designed Mini Cement Plants .	87
8237	पश्चिम अफ्रीका में भुखमरी से मौतें	Starvation Deaths in West Africa	88
8238	मैसर्स प्रसाद एण्ड कम्पनी, गाजीपुर के कर्मचारियों के भविष्य निधि के दावे	Provident Fund Claims of Employees of M/s. Prasad and Company Ghazipur	88
8239	दिल्ली में खान-पान संस्थानों में सेवा की शर्तें	Service Conditions in Catering Establishment in Delhi . . .	89
8240	ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में कास्मेटिक फैक्टरी में हड़ताल	Strike in Cosmetic Factory in Okhla Industrial Area, Delhi . .	89
8241	जूनियर डाक्टरों को हड़ताल समाप्त करने के लिये आश्वासन	Assurances given to Junior Doctors for Calling off Strike . . .	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8242	एक भारतीय डाक्टर द्वारा विटामिन बी० 2 का उत्पादन	Production of Vitamin B2 by an Indian Doctor	91
8243	ढांचा डिज़ाइन कार्यालय का समाप्त किया जाना	Abolition of Structural Design Office	92
8245	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की श्रेणियां	Categories of Ayurvedic Doctors in CGHS	92
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	93
	रेलवे के 100 से अधिक कार्मिक संघों द्वारा 8 मई, 1974 से अनिश्चित काल के लिये, हड़ताल करने का कथित निर्णय	Reported decision of over 100 Unions in Railways to go on indefinite strike from 8th May, 1974 .	93
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	93
	श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra .	93
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	98
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	100
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee—	100
	58 वां प्रतिवेदन	Fifty eighth Report	100
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	101
	आसनसोल के निकट बरौनी-हल्दिया पाइप लाइन में छेद करके पेट्रोलियम तेल की चोरी का समाचार	Pilferage near Asansol from Barauni-Haldia oil pipeline .	101
	अनुदानों की मांगें, 1974-75	Demands for Grants, 1974-75	
	रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence .	102
	श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	105
	डा० हरि प्रसाद शर्मा	Dr. H. P. Sharma	106
	श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	107
	श्री ब्रज राजसिंह कोटा	Shri Brij Raj Singh Kotah .	110
	श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	111
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . .	112
	श्री मोहनराज कलिंगारायर	Shri Mohanraj Kalingarayar	113
	श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil . .	14
	श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	15

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	116
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	116
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	118
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	121
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	122
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	122

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 अप्रैल, 1974/5 वैशाख, 1896 (शक)

Thursday, April 25, 1974/Vaisakha 5, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली में पेय पदार्थों (साफ्ट ड्रिंक्स) का उत्पादन

*830. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की गत वर्ष 22 नवम्बर की प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार मैसर्ज प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड के एक पेय पदार्थ को मिलावटी घोषित किया गया था क्योंकि उसमें एक "नीला तत्व" था जिसके पेय पदार्थों में कानूनन प्रयोग की अनुमति नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी के विरुद्ध अभी तक मुकदमा चलाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस कम्पनी द्वारा बनाये गये "फैन्टा ग्रेप फ्लेवर्ड" नामक पेय को मिलावटी घोषित किया गया था ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने इस फर्म के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था । इस फर्म से "परीक्षणों" की वैधता को चुनौती देने वाले एक अभ्यावेदन के मिलने पर इस मामले पर आगे और विचार किया गया। अब यह निर्णय किया गया है कि इस पर अभियोग चलाने की कार्यवाही की जाए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पांच महीने पहले 24 नवम्बर, 1973 को प्योर ड्रिन्क्स प्राइवेट लि० में कोका कोला कम्पनी के "फेन्टा ग्रेप फ्लेवर्ड" को अपमिश्रित पाया जाने के बावजूद उनके विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, जबकि सरकार खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध

इतना शोर मचाती है ? क्या यह भी सच है कि कमिश्नर श्री टामटा के आदेश पर इस मामले में मुकदमे के कागजात न्यायालय में अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ? इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को कानून के अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं करने दी गई ?

डा० कर्ण सिंह : कम्पनी ने एक रंजक पदार्थ के बारे में अभ्यावेदन किया था। उन्होंने यह दावा किया था कि वे एफ० सी० एफ० ग्रीन नामक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करने की अधिनियम के अधीन अनुमति है । हमने नमूनों का परीक्षण किया । एक रिपोर्ट से यह पता चला कि यह 'बलू वी० आर० एस०' थी, जिसके उपयोग की अनुमति नहीं है । एक अन्य रिपोर्ट से यह पता चला कि यह 'बलू० बी० आर० एस०' नहीं है, बल्कि अन्य रंजक पदार्थ है, जिसकी अनुमति नहीं है। कम्पनी ने यह कहा कि 'क्रोमेटोग्राफ' में कुछ अन्य पदार्थ आ जाता है, इसलिए वे "मूल रंग प्रस्तुत करेंगे"। इस वजह से मामले में विलम्ब हुआ है । कम्पनी ने जिस मूल रंग के सप्लाई करने की बात कही थी, वह दो दिन पहले ही प्राप्त हुआ है । उस पदार्थ की जांच की जा सकती है। सरकार ने यह निर्णय किया है कि मुकदमा चलना चाहिए और अगर वे इसे सिद्ध कर सकें कि वह स्वीकृत रंजक पदार्थ था, तो उन्हें बाद में भी इसका मौका मिल सकेगा। न्यायालय इस बात पर निर्णय करेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि एक मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में काम कर रही भारतीय उपभोक्ता परिषद--परिषद् का नियन्त्रण योजना आयोग करती है---के द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से इस बात का पता चला है कि कोका कोला के क्रेप फेन्टा में उन रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके प्रयोग की मनाही है ? कई किस्मों में उन अस्वीकृत रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनका खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और इससे व्यक्तियों को कैंसर सहित अनेक गम्भीर बीमारियां हो सकती हैं । दूसरे, मन्त्री महोदय इसे किस प्रकार न्यायोचित ठहरायेंगे ? इन कम्पनियों के पेय पदार्थों के बारे में दो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। एक रिपोर्ट हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण परीक्षणशाला ने वर्ष 1966-67 में दी थी । अभी हाल में दी गई रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में काफी फर्क है । वैज्ञानिक उस पर अपनी राय प्रकट कर रहे हैं । राष्ट्रीय पोषण संस्थान की रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की रिपोर्ट का खण्डन करती है । क्या यह सच है कि अन्तिम रिपोर्ट देने वाले वैज्ञानिक को कम्पनी ने खरीद लिया है और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यह गम्भीर मामला है, इससे राष्ट्र, देश और बच्चों का स्वास्थ्य नष्ट हो जायेगा।

डा० कर्ण सिंह : पहले प्रश्न के बारे में मैं कह ही चुका हूं कि हमारे द्वारा किये गये विश्लेषण और रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इसमें कुछ पदार्थों का प्रयोग किया गया है और इसी लिए हमने मुकदमा दायर किया है और कम्पनी उसे लड़ेगी। हम नमूनों का परीक्षण करवायेंगे । अन्तिम रिपोर्ट हमें बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक से प्राप्त हुई है . . .

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक खरीदे गये आदमी से ।

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार म एक सुविख्यात वैज्ञानिक के विरुद्ध इस प्रकार का लांछन लगाना अनुचित है । जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है वह भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् का महा-निदेशक है । और भी परीक्षण किये जा सकते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस मामले की गम्भीरता से जांच कराने का इच्छुक हूं। अगर और परीक्षण करने की जरुरत पड़ती है, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं । मेरे विचार में किसी के विरुद्ध आक्षेप लगाना ठीक नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मुझे दो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक रिपोर्ट दूसरी का खंण्डन करती है। सारे मामले का संचालन एक सूत्रधारा कर रहा है। जिस वैज्ञानिक ने सही होने का प्रमाणपत्र दिया है, उसे कोका कोला कम्पनी द्वारा खरीद लिया गया है –

श्री हरि किशोर सिंह: देश में कोका कोला कम्पनी के चारों ओर काफी रहस्य फैला हुआ है। पिछली बार भी मैंने एक पूरक प्रश्न पूछा था। मुझे बाद में काफी जानकारी प्राप्त हुई। संसद में जब भी कोका कोला के बारे में प्रश्न आता है, तो सदस्यों के कोका कोला के विरुद्ध और उसके समर्थन में काफी जानकारी मिलती है; मेरा विचार है कि अन्दर ही अन्दर घटनाचक्र काफी तेजी से घूमता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोका कोला कम्पनी के सम्पूर्ण रहस्य की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार-प्राप्त संसदीय समिति नियुक्त करेगी, क्योंकि प्रत्येक बार कोई न कोई घोटाला सामने आ जाता है। कभी विदेशी मुद्रा के घोटाले का प्रश्न है, तो कभी इसके विस्तार का प्रश्न है। स्वास्थ्य के प्रति खतरे का प्रश्न है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोका कोला के बारे में संसदीय जांच की जाये।

डा० कर्ण सिंह: श्रीमान् जी, यह सच है कि कोका कोला के बारे में अनेक बार प्रश्न किये गये हैं। इस कम्पनी के बारे में मूल प्रश्न पर औद्योगिक विकास मन्त्रालय कार्यवाही करता है। मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से विश्लेषण के बारे में ही सम्बन्धित हूं। अगर कुछ अन्य सुझाव हों तो मैं उन्हें अपने साथी को भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु: इसमें तेज़ाब काफी मात्रा में होता है।

श्री हरि किशोर सिंह: स्वास्थ्य मन्त्रालय भी इससे सम्बद्ध है। यह कहा गया है कि कोका कोला स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस रहस्य का पर्दाफाश किया जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा: अध्यक्ष महोदय, विभिन्न रासायनिक परीक्षणों से यह पता चला है कि कोका कोला इस देश के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कोका कोला अथवा फेन्टा के नाम से ये शीतल पेय-पदार्थ काफी मात्रा में बिकते हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने संसदीय समिति की नियुक्ति का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि यह विषय औद्योगिक विकास मन्त्रालय से सम्बन्ध रखता है। परन्तु मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस बारे में विवाद है और कोका कोला तथा अन्य शीतल पेय अपमिश्रित रूप में बेचे जाते हैं, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेंगे कि जब तक ऐसी समिति नियुक्त की जाती है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तब तक कोका कोला और अन्य शीतल पेय पदार्थों की बिक्री पर देश में पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ?

डा० कर्ण सिंह: हमारा विचार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: "फेन्टा ग्रेप" के बारे में पता चले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि देश की जनता के स्वास्थ्य के हित में मेरे विचार––में इन शीतल पेय पदार्थों की लाखों बोतलों का प्रति वर्ष उपभोग होता है—क्या मन्त्री महोदय इसे उचित और आवश्यक नहीं समझते कि इस कम्पनी द्वारा बनाए जाने वाले अन्य सम्बद्ध शीतल पेय अर्थात् फेन्टा, आरेन्ज और कोका कोला का रासायनिक परीक्षण कराया जाये, हो सकता है उनमें भी अस्वास्थ्यकर रंजक पदार्थ मिले हुए हों ?

डा० कर्ण सिंह : मेरी जानकारी के अनुसार इन शीतल पेय पदार्थों का हम रासायनिक परीक्षण करते रहे हैं और हमारे विश्लेषण के अनुसार फेन्टा ग्रेप फ्लेवर्ड में कुछ ऐसे रंजक पदार्थों का पता चला है जिनके प्रयोग की अनुमति नहीं है। बाजार में बिकने वाले प्रत्येक पेय पदार्थ की यह सुनिश्चित करने के लिये जांच की जानी चाहिए कि वह निर्धारित स्तर का है या नहीं । हम निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस विशिष्ट कम्पनी द्वारा जिसे हानि-प्रद पदार्थ का प्रयोग करते हुए पाया गया है, निर्मित अन्य दो शीतल पेयों का विश्लेषण किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से, कोका कोला और फेन्टा आरेंज नामक दो स्थानीय उत्पादों का भी क्या विश्लेषण किया जायेगा ।

डा० कर्ण सिंह : ऐसा किया जायेगा ।

Wage Board for Working Journalists

*831. **Shri Jagannathrao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) when the idea for the constitution of third statutory Wage Board for recommending the changes in the pay scales, service conditions and other facilities for the working journalists was mooted first; and

(b) the progress achieved since then in this regard ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तीसरे वेतन बोर्ड के लिए 1972 के अन्त में मांगें प्राप्त हुई थीं और श्रम मंत्री जी ने फरवरी, 1973 में नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों में मामले पर विचार विमर्श किया था ।

(ख) सरकार ने वेतन बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है । इस बोर्ड के शीघ्र ही स्थापित किए जाने की सम्भावना है ।

Shri Jagannath Rao Joshi: The demand to constitute the Wage Board was made in 1972. In February, 1973 the hon. Minister had a dialogue with both the parties. Now it is the end of April, 1974. One year has passed. Even now the hon. Minister is saying that the Board will be constituted soon. I cannot understand what he means by 'soon'? I would like to have his clarification on this.

The prices have gone up. It must be borne in mind that the representative bodies of Working Journalists have demanded and this demand has been reiterated also that atleast 40 per cent of their pay should be given to them as interim relief. Recently, there was a Supreme Court decision regarding P.T.I. employees. In view of this, I would like to know the steps which the Government proposes to take so that justice can be done with Working Journalists? How their demand for interim relief will be implemented by the Government ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मजूरी बोर्ड के गठन के बारे में नवम्बर 1972 से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे और श्रमजीवी पत्रकारों तथा नियोजकों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें हुई थीं ।

उन सभी संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने तथा उनसे अपेक्षित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही सरकार ने मजूरी बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया था। परन्तु धारा 9 के अन्तर्गत मजूरी बोर्ड का गठन करने के लिए श्रमजीवी पत्रकारों के दो प्रतिनिधि, नियोजकों के दो प्रतिनिधि तथा तीन अन्य सदस्य जिनमें से एक उच्च या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा दो अन्य सदस्य अपेक्षित हैं। इसकी जांच की जा रही है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो या नहीं। कुछ अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। मामले में निर्णय लिये जाने के बाद उसकी घोषणा कर दी जायेगी।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अंतरिम राहत के बारे में आपने क्या बताया है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने निर्णय नहीं पढ़ा है। ज्यों ही निर्णय की प्रमाणिक प्रति मुझे भेजी जायेगी, मैं उसको पढ़ूंगा। जहां तक अंतरिम राहत का प्रश्न है उसके बारे में तो मुझे यही कहना है कि ज्योंही मजूरी बोर्ड का गठन हो जायेगा, उसके साथ शीघ्र ही विचार-विमर्श करके कानूनी उपबन्धों के अनुसार, उसके बारे में निर्णय कर लिया जायेगा।

Shri Jagannath Rao Joshi: In July last when the hon. Minister had gone to Orissa, he had adopted a partial attitude against one of the Journalist's Associations. I would like to have an assurance from the hon. Minister that in future when a Wage Board is constituted, only genuine association of Working Journalists is given representation in the Board and that no partisan attitude will be adopted ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : गुण-दोषों के आधार पर ही निर्णय किया जायेगा।

Shri Jagannath Rao Joshi : It has appeared in the press. They can adopt any attitude towards any particular associations of journalist. But I want an assurance that as far as the constitution of Wage Board is concerned, only truly-representative association of Working Journalists will get representation therein.

श्री रघुनाथ रेड्डी : निश्चिय ही निर्णय गुण-दोषों के आधार पर किया जायेगा।

श्री अनन्तराव पाटिल : मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार ने तीसरे वेतन बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले और दूसरे मजूरी बोर्ड की सभी सिफारिशों को सभी समाचारपत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जा चुका है। मुझे मालूम है कि 1, 2 और 3 श्रेणी के कुछ ऐसे समाचारपत्र है जिन्होंने अभी पहले और दूसरे मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को भी क्रियान्वित नहीं किया है। फिर भी सरकार द्वारा किसी ऐसे तंत्र की स्थापना नहीं की गई है जो यह सुनिश्चित करे कि उन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि तीसरे मजूरी बोर्ड की स्थापना करने से पूर्व क्या यह अपेक्षित तथा वांछनीय नहीं है कि पहले और दूसरे मजूरी बोर्डो की सिफारिशों को क्रियान्वित कराया जाये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : कुछ छोटे समाचारपत्रों द्वारा जो सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की गई हैं, उनकी ओर हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है और इस मामले में आगे कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि नियोजकों के संगठनों तथा पत्रकारों के श्रमिक संघों के साथ विचार-विमर्श किया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया था ? क्या वह मुझे विशेष रूप से यह बतायेंगे कि क्या 'नेशनल यूनियन आफ जरनलिस्टस' के साथ भी विचार-विमर्श किया गया था ? श्रमिक संघों को मान्यता या प्रतिनिधित्व प्रदान करते समय किसी उद्देश्यपरक कसौटी को अपनाया जाता है या श्रमिक संघों को केवल सरकार की दया पर ही निर्भर करना पड़ता है या उन्हें केवल मंत्री महोदय की निजी तसल्ली पर ही निर्भर रहना पड़ता है जोकि प्रत्येक मामले को एक विशिष्ट राजनीतिक परिप्रेक्ष में ही देखते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : नेशनल यूनियन आफ जरनलिस्टस द्वारा 4–11–1972 को ज्ञापन भेजा गया था । पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना ज्ञापन 25–11–72 को भेजा और इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्टस् ने अपने ज्ञापन 5–12–72 तथा 6–12–72 को भेजे । आंध्र प्रदेश यूनियन आफ वर्किंग जरनलिस्टस् द्वारा 6–12–72 को तथा आल इण्डिया न्यूजपेपर एम्पलाइज फैडरेशन द्वारा 20–1–73 को और इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्टस द्वारा अपना ज्ञापन 24–2–1973 को भेजा । श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधियों ने 24–2–1973 को श्रम मंत्री से भेंट की । अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ की बैठक 24 तारीख को हुई थी । आई० ई० एन० एस० के प्रतिनिधियों की बैठक 27 तारीख को हुई थी । भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ की बैठक 30 मार्च, 1973 और इसके बाद हुई थी । इस संबंध में अनेक संगठनों से विचार-विमर्श किया गया है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं विशेषतौर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय पत्रकार संघ से, जिसके पत्रकारों की संख्या सब से अधिक है कोई विचार-विमर्श हुआ है ? मैं इस विशेष प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि क्या उक्त पत्रकार संघ से विचार-विमर्श हुआ है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं उल्लेख कर चुका हूं कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने अपना ज्ञापन 4 नवम्बर, 1972 को भेजा था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न केवल यह है कि क्या उनसे विचार विमर्श किया गया है अथवा नहीं । आप इसका उत्तर 'हां' अथवा 'ना' में दें ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : उन्हें बातचीत के लिये नहीं बुलाया गया था ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्यों नहीं बुलाया गया (**व्यवधान**) माननीय मंत्री ने पहले बताया है कि श्रमजीवी पत्रकार कार्मिक संघों से विचार-विमर्श किया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उक्त विशेष संगठन से विचार-विमर्श किया गया है अथवा नहीं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : उन्होंने अपना विस्तृत ज्ञापन 4 नवम्बर, 1972 को भेजा था । उनके सब मामले हमारे सामने हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उन्होंने पत्रकारों के सबसे बड़े निकाय से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया (**व्यवधान**) क्या कार्मिक संघ उनकी कृपा पर निर्भर करते हैं ? मंत्री महोदय का उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा उत्तर से कोई संबंध नहीं है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : पहले मजूरी बोर्ड और दूसरे मजूरी बोर्ड में श्रमजीवी पत्रकार संघ को श्रमजीवी पत्रकारों में से दो सदस्यों के स्थान भरने की अनुमति दी गई थी । 4 नवम्बर, 1972 को राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने अपना ज्ञापन भेजा । यदि हम उनसे विचार-विमर्श करना आवश्यक समझेंगे तो हम ऐसा अवश्य करेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय मंत्री ने मूल प्रश्न और अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय बताया है कि उन्होंने मजूरी बोर्ड के गठन से पूर्व विभिन्न संगठनों और अभ्यावेदन भेजने वाले व्यक्तियों से विचार-विमर्श किया है । उन्होंने यह भी कहा है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बारे में स्थिति अनुसार विचार-विमर्श किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी क्या कसौटी होगी । क्या यह अखिल भारतीय स्तर पर होगी । जिस रूप में इसे कर्मचारी संघ के लिये सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा क्या यह सदस्यता के रूप में होगी ? जहां तक मुझे मालूम हैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में सदस्य हैं (**व्यवधान**) विशेष रूप से उनके सदस्यों की पंजाब में संख्या बहुत अधिक है । उनकी देश के समस्त भागों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और अन्य राज्यों में शाखाएं हैं । इस समय उनके सदस्यों की संख्या 1500 के लगभग है । (**व्यवधान**) बोगस सदस्य अन्य सदस्यों को बोगस सदस्य कहते हैं (**व्यवधान**) मेरा प्रश्न यह है कि संगठित श्रमिकों को प्रतिनिधित्व किस कसौटी के आधार पर दिया जायेगा । क्या ऐसा श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय संगठनों को दी गई मान्यता के आधार पर किया जायेगा अथवा क्या ऐसा इन संगठनों की सदस्यता के आधार पर किया जायेगा ? चूंकि आज सरकार पर एक कर्मचारी वर्ग के लोगों द्वारा पक्षपात करने का आरोप लगाया जा रहा है । ऐसा समाचार समस्त देश में व्याप्त है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कसौटी होगी । क्या संगठनों की सदस्य संख्या के आधार पर मजूरी बोर्ड में श्रमजीवी पत्रकारों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा अथवा ऐसा संगठनों के अखिल भारतीय स्तर के आधार पर किया जायेगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : कानूनी आवश्यकता यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों के दो सदस्यों को समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये । "श्रमजीवी" की व्याख्या अधिनियम में की गई है । अतः सरकार को इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि देश में उक्त विवरण के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को श्रमजीवी पत्रकार निकाय में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और ऐसे ही व्यक्ति इसके सदस्य बनाये जायेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : श्रमजीवी पत्रकार संगठन के अपने सदस्य भी तो हैं । क्या इस पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस बारे में निर्णय लेते समय माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सब सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि छोटे समाचार-पत्रों ने पहला तथा दूसरा मजूरी बोर्ड पंचाट क्रियान्वित नहीं किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य छोटे समाचार-पत्रों के अन्तर्गत 'इण्डियन एक्सप्रेस' को, जिसके नगरेत्तर क्षेत्र में और फुटकर संवाददाता हैं, छोटे समाचारपत्रों में गिनते हैं । दूसरे यह कि क्या वह ऐसे समाचार-पत्रों को

प्राथमिकता देते हैं जो मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या उन्हें श्रमजीवी पत्रकार संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उक्त मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : 'इण्डियन एक्सप्रेस' के बारे में पूछे गये प्रश्न के संबंध में मैं तत्काल उत्तर नहीं दे सकता । यदि माननीय सदस्य इस संबंध में मुझे कुछ तथ्य देंगे तो मैं उनकी जांच करूंगा और आपको बताऊंगा ।

जहां तक मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व का संबंध है श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यदि राष्ट्रीय पत्रकार संघ को भी समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वह समिति में प्रवेश पाने का इच्छुक नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अब माननीय मंत्री राष्ट्रीय पत्रकार संघ को प्रतिनिधित्व देने से नहीं बच सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं अपना प्रश्न पूछने से पूर्व मंत्री महोदय को प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के लिये बधाई देना चाहता हूं. **(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा : इससे इनके बोगस चरित्र का बोध होता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सांठ-गांठ स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी आप मंत्री महोदय की पोल क्यों खोल रहे हैं. . . **(व्यवधान)** कृपया अपना प्रश्न पूछें । मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हैं । यहां सब मंत्री हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के पत्रकारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हाल ही के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों को हुई हानि को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और क्या उक्त नियुक्त या नियुक्त किया जा रहा विशेष मजूरी बोर्ड गैर-सरकारी श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में भी विचार करेगा क्योंकि उनकी समस्याएं भी वही हैं जो श्रमजीवी पत्रकारों की हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों के बारे में दिये गये निर्णय का संबंध हैं, पूरे निर्णय की प्रति मेरे पास नहीं है । जब तक मै उक्त निर्णय का अध्ययन नहीं कर लूंगा मेरे लिये यह कहना कठिन होगा कि इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है । गैर-श्रमजीवी पत्रकारों से संबंधित यह मामला सरकार के विचाराधीन है कि क्या उनके लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की सुविधा हेतु श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस मामले में बोगस संगठनों का उल्लेख न करें ।

Shri Shanker Dayal Singh : All the members have full sympathy with the Working Journalists. It has been the policy of the Government to provide maximum assistance to the small newspapers. There are certain newspapers which are not members of any newspaper association; I want to know what action Government proposes to take to know their views ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस संबंध में हमें अधिनियम की भावना को क्रियान्वित करना होगा ।

श्री समर गुह : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 6 अगस्त, 1973 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रैस परिषद् ने भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, राष्ट्रीय पत्रकार संघ, आल इंडिया न्यूज पेपर एडिटर्स कांफ्रेंस और प्रैस एसोसिएशनों को पत्रकारों के संघों के रूप में मान्यता दे दी है । यदि ऐसा है कि प्रेस परिषद् ने राष्ट्रीय पत्रकार संघ के प्रतिनिधित्व स्वरूप को मान्यता दे दी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने जब 17 जुलाई, 1973 को भुवनेश्वर का दौरा किया था तब पत्रकारों की एक बैठक में स्पष्ट रूप से यह पूछा गया था कि क्या राष्ट्रीय पत्रकार संघ का कोई प्रतिनिधि भी उक्त बैठक में उपस्थित हैं और क्या उन्होंने यह स्पष्टतया कहा था कि वह उनके प्रतिनिधि को मान्यता नहीं देगें और क्या उन्होंने यह भी कहा था कि वह श्री गुजराल से राष्ट्रीय पत्रकार संघ द्वारा बुलाई गई बैठक में उपस्थित न होने का अनुरोध करेंगे और क्या यह भी सच है कि वह श्री सिद्धार्थ शंकर राय पर इस बात के लिए जोर डालना चाहते थे कि वह पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ की बैठक का जिसके लिये राष्ट्रपति गिरि ने संदेश भेजा था, उद्‌घाटन न करें तथा उसमें उपस्थित न हों और अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में प्रधान मंत्री और उन्हें अनेक अभ्यावेदन भेजे गये थे और जबकि प्रधान मंत्री ने उनको पावती भेजी थी तथा उनके उत्तर दिये थे। माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय पत्रकार संघ के किसी भी पत्र की न तो पावती भेजी थी और न ही उत्तर दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न के बारे में पूछें ।

श्री समर गुह : इससे यह सिद्ध होता है कि वे सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं । यह प्रेस की स्वतन्त्रता का मामला है । यह पत्रकारों के अधिकारों का मामला है । क्या प्रेस परिषद् को दी गई मान्यता पर मंत्री महोदय विचार करेंगे अथवा नहीं और क्या उनको मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार किया जायेगा, चाहे कोई अन्य व्यक्ति इसमें भाग लेने की धमकी दें (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल की कार्यवाही आगे क्यों नहीं चलने देते ।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं और मेरे उत्तर का पहला वाक्य यह था कि मैं यह उल्लेख कर चुका हूं कि उन्होंने अभ्यावेदन दिया था । जहां तक प्रेस परिषद् का संबंध है, प्रेस परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें नामांकित किया जायेगा। इस बात पर विचार किया जाता है ।

श्री समर गुह : अन्य पत्रकारों का क्या बना ? मैंने उनके बारे में अनेक प्रश्न उठाये हैं। मंत्री महोदय पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाते हैं ? वे इस बात से इंकार करें । मैं आपको सब रिकार्ड दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें ।

श्री समर गुह : मैं किसी एक अथवा अन्य संघ के पक्ष में नहीं हूं । मेरा प्रश्न न्याय से संबंधित है । मैं कर्मचारियों का उचित प्रतिनिधित्व चाहता हूं । यदि मंत्री महोदय किसी संगठन का पक्ष लेंगे तो क्या होगा ।

श्री ए० पी० शर्मा : वह पक्षपात नहीं करेंगे । इस बात की आप चिंता न करें ।

श्री समर गुह : वह कुछ राजनीतिक स्तर के मंत्री हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप राजनीतिक दांव-पेंच न खेलें तो देश का क्या बनेगा ?

श्री समर गुह : वह पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं । उन्हें मंत्री पद से त्याग-पत्र देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री विक्रम महाजन : इस मामले में बहुत भ्रान्ति है । मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि सब पत्रकारों के साथ न्याय किया जायेगा । पत्रकारों के लाभ के लिये मजूरी बोर्ड का गठन किया गया है, किसी नीति अथवा विशेष संघ के लिये नहीं । अतः सरकार को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिये कि किस कार्मिक संघ को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और किस कार्मिक संघ को प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो । मजूरी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को लाभ पहुंचाना है । अतः इस बारे में कोई ऐसी कसौटी बनाई जानी चाहिये जो सबको स्वीकार हो । एक सिद्धांत यह है कि आप इस बात की व्याख्या करें कि श्रमजीवी पत्रकार कौन हैं और आप निर्वाचन करें । उन्हें मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिये । मैं इस प्रक्रिया का सुझाव देता हूं अथवा आप सब पत्रकार संघों को बुलाएं और उनसे ऐसा फार्मूला बताने का अनुरोध करें जो सबको स्वीकार हो जिससे मजूरी बोर्ड का प्रतिनिधित्व स्तर स्थापित हो सके और आप पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप न लगाया जा सके ।

अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह सदन में इस बात का आश्वासन दें कि चुनाव होगा और सब पत्रकार संघों को अवसर दिया जायेगा जो उन्हें स्वीकार होगा ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रतिनिधित्व के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर लाभ-हानि के अनुसार विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को धनराशि का दिया जाना

*834. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य** और **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को वर्ष 1973-74 के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त धनराशि देने के लिये लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1973-74 में आंध्र प्रदेश राज्य को केन्द्र पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 116.95 लाख रुपये की नकद राशि और 18.56 लाख रूपये का साज समाज के रूप में सहायता दी गई । 12 दिसम्बर, 1973 को राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस आशय का अभ्यावेदन दिया कि उन्होंने 31 अक्तूबर, 1973 तक 118.15 लाख रुपये पहले ही खर्च कर दिये हैं और

1973–74 के लिए उन्हें 280.70 लाख रुपये की आवश्यकता होगी । पुनः उन्होंने अपने 23 फरवरी, 1974 के पत्र द्वारा यह कहा कि उन्होंने दिसम्बर, 1973 के अन्त तक लगभग 146.20 लाख रुपये खर्च कर दिये हैं और उन्होंने अपने 280.70 लाख रुपये की अनुमानित खर्च की पूर्ति के लिए 150.52 लाख रुपये तक की अतिरिक्त धन राशि मंजूर करने के लिए अनुरोध किया । मार्च 1974 में, आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र पोषित सभी योजनाओं पर हुए खर्च का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा । इस खर्च का एक भाग चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित था । उक्त पत्र में उन्होंने यह अंकित किया था कि चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र में उनका अनुमानित कुल व्यय 133.51 लाख रुपये होगा । 1973–74 में वास्तव में 116.75 लाख रुपये की नकद और 27.33 लाख रुपये की साज सामान की केन्द्रीय सहायता दी गई और इस प्रकार उन्हें कुल 144.08 लाख रुपये की सहायता दी गई ।

यह अनन्तिम राशि है जिसे राज्य सरकार को दे दिया गया है किन्तु स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र पोषित सभी कार्यक्रमों के बारे में विहित पैटर्न के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो वास्तविक खर्च किया जायेगा उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को उनके द्वारा तैयार किये गये अन्तिम लेखे जोखे की प्राप्ति के बाद कर दी जायेगी ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1973 में कुछ व्यय का पूर्वानुमान लगाया था जबकि मार्च, 1974 को वित्त मंत्री को लिखे गये राज्य सरकार के पत्र में व्यय के पूर्वानुमान के भिन्न आंकड़े दिये गये हैं । राज्य सरकार की अनुमानित आवश्यकता 280 लाख रुपये की थी जबकि उसने अपने पत्र में वित्त मंत्रालय को 133 लाख रुपये व्यय होने का पूर्वानुमान दिया है । आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे ? इस मामले में कुछ भ्रांति है ।

श्री ए० के० किस्कू : हिसाब-किताब के मामले में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिये । केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वीकृत पद्धति पर आधारित होती हैं । आंध्र प्रदेश के इस विशेष मामले में हमने इस बात का पहले ही आश्वासन दिया है कि खातों की जांच करने के बाद जो उनकी बकाया रकम होगी वह उन्हें दी जायेगी ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि वह राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगी ?

श्री ए० के० किस्कू : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यदि उक्त राशि बजट की सीमा में होगी तो हम उसकी निश्चित रूप से प्रतिपूर्ति करेंगे ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि खातों की जांच करने के बाद धनराशि दी जायेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि खातों की जांच में कितना समय लगेगा ।

श्री ए० के० किस्कू : इसका प्रश्न इस वर्ष के बाद उत्पन्न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहने का अभिप्राय यह है कि वे खाते वर्ष 1973–74 के हैं । इस बारे में जांच का प्रश्न इस वर्ष के बाद ही उठेगा ।

कोयला शक्ति के अनुसंधान में सहयोग के लिए अमरीकी दल का इच्छुक होना

*835. **श्री धामनकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी दल ने भारत के कोयला-संसाधनों का अध्ययन किया है और शक्ति के इस स्रोत के बेहतर उपयोग के लिए अनुसंधान करने में सहयोग करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धामनकर : वैज्ञानिकों के एक दल ने हाल में यह रिपोर्ट दी है कि कोयले की तुलना में परमाणु-ऊर्जा से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है । इस प्रकार जितने कोयले की बचत होगी उसका अन्य कार्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है । वैज्ञानिकों के इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री सुबोध हंसदा : भारतीय संसाधनों का अमरीकी दल द्वारा अध्ययन किये जाने तथा प्रतिवेदन दिये जाने के संबंध में माननीय सदस्य के प्रश्न के मूल उत्तर में मैंने कह दिया है कि नहीं। यह निकाय अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का प्रतिनिधित्व करता है । उसने कुछ सिफारिशें की हैं जिसकी जांच की जा रही है ।

श्री धामनकर : क्या अमरीकन पैट्रोलियम संस्थान ने इस बात पर बल दिया था कि तेल के स्थान पर कोयले का अधिक उपयोग किया जाये, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री सुबोध हंसदा : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है । मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि के कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोयला-उत्पादन के तरीके में परिवर्तन करना पड़ सकता है ।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, it is good that this American Team did not come here. May I know whether Government propose to set up a team to study this situation so that this power resource is properly utilised ?

श्री सुबोध हंसदा : वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने कोयला उद्योग की विस्तृत जांच करने के लिए कुछ अध्ययन दल नियुक्त किये हैं ।

श्री वसंत साठे : क्या सरकार को पता है कि इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने, जो अब भारत से सम्भवतः चिली चले गये हैं टेलीविजन पर इंटरव्यू देते समय एक बार कहा था कि कोयले से अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त किये जाने की बहुत सम्भावनाएं हैं तथा इस कार्य के

लिये कोयले का उपयोग किये जाने के लिये आधुनिक तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है । कोयले का पूर्णरूप से तथा समुचित उपयोग किये जाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है तथा क्या हमारे पास इसके लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला है ? निकट भविष्य में इसकी क्या सम्भावनाएं हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : इस प्रश्न का संबंध एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा कोयला खान उद्योग की समग्र रूप से जांच से है । उसमें कोई अमरीकी नहीं था । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अतिरिक्त श्री रोडेस यहां आये थे और उन्होंने सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की थी । मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि प्रतिनिधि की कुछ सिफारिशें आकर्षक तथा विचाराधीन थीं । उनमें से कुछ सिफारिशों को हम बहुत उपयोगी नहीं मानते क्योंकि हमने कोयला-खनन उद्योग का गम्भीरता से अध्ययन किया है । जहां तक कोयले से तेल या अन्य सिंथेटिक उत्पाद बनाये जाने का संबंध है, हमें इसकी पर्याप्त तकनीकी जानकारी उपलब्ध है । किन्तु अभी तक इस बात का अन्तिम निर्णय नहीं किया गया कि विभिन्न स्थानों पर तथा विभिन्न आकार के संयंत्रों में इससे कितना लाभ होगा या कितनी धनराशि खर्च होगी । अतः हम अभी इसकी लाभ-हानि की स्थिति का पता नहीं लगा पाये हैं । इस संबंध में लाजिस्टिक्स आदि जैसी बहुत सी तकनीकी समस्याएं हैं ।

डा० लहिरी का मत है कि कोयला से संश्लिष्ट उत्पादन बनाना व्यवहार्य है । हमारा मत उनके मत से भिन्न नहीं है । यह कार्य व्यवहार्य अवश्य है किन्तु इसकी लाभ-हानि की स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना है ।

देशीय मशीनरी से छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*837. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तावित छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना देश में ही बनी मशीनरी से की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : छोटे इस्पात कारखानों के लिए मुख्य रूप से जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है उनमें विद्युत चाप भट्टियां, ट्रांसफार्मर क्रेनें तथा सहायक उपकरण शामिल हैं। इन सब उपकरणों का निर्माण देश में ही होता है।

श्री राजदेव सिंह : क्या विद्युत चाप भट्टियों, ट्रांसफार्मरों, क्रेनों और सहायक उपकरणों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के छोटे-बड़े कल पुर्जों की छोटे इस्पात संयंत्रों के लिये आवश्यकता नहीं होगी ?

Shri Sukhdev Prasad : Sir, besides the equipment mentioned above there are so many other small components used in Mini Steel Plants.

श्री राजदेव सिंह : महोदय ! आप स्वयं ही देखिये कि प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया गया है। यह उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं अपने प्रश्न का स्पष्ट और सही उत्तर चाहता हूं।

श्री सुखदेव प्रसाद : माननीय सदस्य कृपया अपना प्रश्न दोहरा दें।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मंत्री महोदय प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तथा कहते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री राजदेव सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विद्युत चाप भट्टियों, ट्रांस्फार्मरों, क्रेनों और सहायक उपकरणों के अतिरिक्त छोटे इस्पात संयंत्रों के लिये किन्हीं अन्य छोटे बड़े कल पुर्जों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मुख्य चीजें वही हैं जिनका मेरे माननीय सहयोगी ने उल्लेख किया है। मेरे विचार से कोई अन्य ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए। यदि कोई अन्य उपकरण हो तो माननीय सदस्य हमें उसकी जानकारी दें। सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री हरि किशोर सिंह विशेषकर बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में बलिया (पूर्वी उत्तर प्रदेश) में छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये सरकार बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रही है। इस संबंध में क्या स्थिति है ? क्या उनका मंत्रालय इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, दुर्भाग्य से यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी कमी के कारण बहुत से ऐसे छोटे इस्पात कारखानों में उत्पादन आरंभ नहीं हो पाया है जो स्थापित किये जा चुके हैं। हम इस संबंध में पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक बिजली सप्लाई की जा सके। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार अधिक बिजली सप्लाई कराने की स्थिति में होगी हम उन्हें आरंभ करायेंगे।

श्री बी० वी० नायक : श्री हरि किशोर सिंह के प्रश्न के ही संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में बिजली की बहुतायात है, जहां कच्चा माल उपलब्ध है, विशेषकर पश्चिमी तट पर—इसलिये नहीं कि मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं—जहां सस्ती पन-बिजली उपलब्ध है, एशिया में सबसे सस्ती, 3 पैसा प्रति यूनिट, क्या वहां के लिये एक बृहद योजना बनाई जायेगी अथवा छोटे इस्पात कारखानों के लिये उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जायेंगे ? क्या ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा, उनका पता लगाया जाएगा तथा इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे इस्पात संयंत्र लगाये जा सकते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझाव के लिये मैं उनका आभारी हूं। सरकार ऐसे छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये बहुत उदारता बरत रही है जिनके बारे में यह सुनिश्चित है कि वे लाभप्रद रहेंगे। यह केवल बिजली की ही नहीं कतरनों की उपलब्धता का भी प्रश्न है। कतरनें सामान्यरूप से उपलब्ध नहीं होती। दक्षिणी भाग के कुछ क्षेत्रों में यह स्थिति कुछ अच्छी है। अतः यदि किसी क्षेत्र में जहां छोटे इस्पात कारखाने लाभप्रद हों या किसी अन्य उद्देश्य से स्थापित किये जा सकें तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री समर गुह : क्या लोहे की कतरनों के निर्यात की सरकार अनुमति दे रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं।

आसाम टी गार्डेंस में श्रमिक संघ के सदस्यता शुल्क की जबरी वसूली

*838. **श्री नूरुल हुदा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम टी गार्डेंस के प्रबंधकों द्वारा श्रमिक संघ का सदस्यता-शुल्क अनिवार्य रूप से वसूल किए जाने की प्रथा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

श्री नूरुल हुदा : मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि सरकार जानकारी एकत्र करने तथा उसे सभा-पटल पर रखने में बहुत अधिक समय नहीं लगायेगी। तथापि हमें यह ज्ञात हुआ है कि गत 15 या 20 वर्षों से 'इंटक' से संबद्ध चाय श्रमिक यूनियन संबद्ध कर्मचारियों के अंगूठा निशान ले रही है तथा उनकी नियमित मजूरी से यूनियन फीस काटने के लिये चाय बागान प्रबंधकों को देती रही है। यह प्रक्रिया बहुत समय से अपनाई जा रही है। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे या इससे इनकार करेंगे कि इस प्रकार अनिवार्य रूप से और जबरन यूनियन सदस्यता-शुल्क काटा जाना बहुत बुरा तथा अनुचित कार्य है तथा यह श्रमिक संघों के प्रजातांत्रिक नियमों और विनियमों के नितांत प्रतिकूल है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप को मैं इस समय पुष्टि नहीं कर सकता। यदि वह हमें यह जानकारी उपलब्ध करायें तो हम उसकी राज्य सरकार से जांच कराएंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्या : यह प्रश्न 21 दिन पहले दिया गया था। आश्चर्य है सरकार जानकारी एकत्र नहीं कर सकी। आसाम देश से बाहर तो नहीं है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह चाहते ही नहीं हैं।

श्री नूरुल हुदा : बागान श्रम संबंधी एक संसदीय संयुक्त समिति थी जिसने आसाम का नवम्बर के महीने में दौरा भी किया था। क्या यह सच है कि आसाम के श्रम आयुक्त के साथ बातचीत के दौरान ये तथ्यों का उद्घाटन किया गया था तथा श्रम आयुक्त ने यह स्वीकार किया था कि आसाम के कई क्षेत्रों में लगभग आसाम के 100-150 चाय बागानों में इस प्रकार की अनुचित श्रमिक संघ प्रक्रियाएं चल रही हैं।

श्री बालगोविन्द वर्मा : यह बात हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न करुंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या प्रश्न का उत्तर देने का यही तरीका है ? 21 दिन पहले नोटिस दिया गया था। दूसरे पूरक प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया गया है जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या हम इसीलिये इतना परिश्रम करते हैं ? उन्हें यह अवश्य बताना चहिये कि 21 दिन में विस्तृत जानकारी क्यों एकत्र नहीं की जा सकी ? यह मामला चूंकि 'इंटक' का है जो कि इन्ही की पार्टी की यूनियन है इसलिये वह उसे बचाना चाहते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों का प्रश्न यह है कि 21 दिन की नोटिस दिये जाने के बाद भी जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी। मैंने इस बात को नोट कर लिया है और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे शीघ्र इस बारे में जानकारी दें।

श्री वीरेन दत्त : क्या 'इंटक' की यूनियनों ने प्रबंधकों के साथ गैर-कानूनी ढंग से बोनस न दिये जाने के बारे में कोई करार किया है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जब तक हमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री बी० के० दास चौधरी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि यह आसाम के चाय बागानों में इंटक यूनियनों के विरुद्ध आरोप है तथा लगभग आसाम के सभी चाय बागानों में इंटक की यूनियनें कार्य कर रही हैं और इस बात को भी देखते हुए कि यह आरोप सरकार को यह जानकारी एकत्र करने के लिये बाध्य नहीं करता, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को या भारत सरकार को कभी ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो वे ऐसा कहें।

श्री बालगोविन्द वर्मा : हमें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली (**व्यवधान**)

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : महोदय! इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसी यूनियन में सदस्यता शुल्क को भुगतान का प्रश्न यूनियन के सदस्यों तथा यूनियनें के कार्यकर्ताओं के बीच का मामला है, क्या सरकार को इस मामले में दखल देने का कोई अधिकार है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : महोदय! चालू प्रक्रिया के प्रश्न के बारे में हमने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। इसके बारे में जानकारी मिलने के पश्चात् ही हम इस बात की जांच करेंगे कि यह प्रक्रिया वैध प्रक्रिया के कहां तक अनुरूप हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दार्जिलिंग के समीप अलोह धातुओं के निक्षेप

अ० सू० प्र० संख्या 12. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-वैज्ञानिकों ने दार्जिलिंग के निकट हिमालय के शिला पट्टों (शेल्फों) में अलोह धातुओं के बड़े निक्षेपों का पता लगाया है; .

(ख) यदि हां, तो पाये गए निक्षेपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निक्षेपों के विदोहन का कार्य संभवतः कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए खोज कार्यों के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गारुबाथन एरिया में 3.5 किलोमीटर की कुल लंबाई में 200 मीटर चौड़े पट्टी क्षेत्र में 1 से 10 मीटर की मोटाई वाले सीसा-जस्ता निक्षेपों का पता चला है। लगभग 40 लाख टन भंडार का अनुमान है, जिसमें 3 से 10 प्रतिशत सम्मिलित सीसा जस्ता है, जो 100 मीटर की गहराई तक है। खोज कार्य अभी भी जारी है।

(ग) निक्षेपों के भंडार, किस्म तथा व्यावसायिक उपादेता के बारे में, आवश्यक खोज-कार्य पूरा हो जाने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है।

While apologizing to hon. Members I want to submit that spectacles do not suit me due to cataract in my eyes and without them I feel difficulty in reading.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमन् माननीय मंत्री ने खानों की किस्म का उल्लेख किया है। अलोह-धातुओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं यह पूछना चाहूंगा कि इसका पता कब लगा और अब तक यह निर्णय क्यों नहीं लिया जा सका कि क्या इन निक्षेपों को वाणिज्यिक आधार पर निकालना संभव है। मैंने पूछा था कि इस पर कार्य कब तक आरंभ होगा। इसका उत्तर बड़ा अस्पष्ट दिया गया है। क्या वह इसे स्पष्ट करेंगे? दूसरी बात यह है कि हिमालय पर्वत श्रेणी पंजाब से आसाम तक फैली हुई है। क्या इस पूरे क्षेत्र का व्यवस्थित सर्वेक्षण किया गया है अथवा इन निक्षेपों का पता संयोग से लगा? यदि इस क्षेत्र का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया गया है तो क्या किसी अन्य क्षेत्र में किसी अन्य खनिज होने का पता लगा है, और यदि हां, तो कहां पर किस खनिज का पता लगा है?

इस्पात और खान मंत्री श्री के० डी० मालवीय : यह सच है कि अलौह-धातुओं के निक्षेपों का पता लगाना हमारे लिए बहुत अधिक महत्व का है और हमें उनकी खोज के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। वस्तुतः हम ऐसा कर रहे हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षणों से इन संभावनाओं का संकेत मिला है। हिमालय की चार घाटियों में, काश्मीर से दार्जीलिंग तक हम खनिजों की गहन खोज कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों के बारे में हम आशाप्रद हैं उनका हमने पता लगा लिया है। खुदाई कार्य भी किया जा रहा है। हमें आशा है कि एक-दो वर्षों के समय में अर्थात् 1976 या 1977 तक हम किस्म और मात्रा की दृष्टि से तत्संबंधी जांच कार्य पूरा कर लेंगे। इसके पश्चात् ही खनिजों के वाणिज्यिक आधार पर निकाले जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : निक्षेपों में उपलब्ध खनिज पदार्थ में कितने प्रतिशत खनिज है? विशेषज्ञों के लिए यह अनुमान लगाना संभव क्यों नहीं है कि यह खनिज बढ़िया किस्म का है अथवा नहीं। क्या भूगर्भीय सर्वेक्षण अभी जारी है, और यदि हां, तो किन स्थानों पर और क्या कहीं खुदाई करके किसी खनिज का पता लगाया गया है?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। ऐसे सर्वेक्षण भविष्य में भी किये जायेंगे। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारंभिक कार्य कर लिए जाने पर ही व्यापक जांच की जायेगी। यदि किसी स्थान पर हमें अच्छी किस्म की कोई खनिज छोटे पैमाने पर मिलती है तो उसके लिए विशाल योजनाएं बनाना उचित नहीं होता। इसलिए इसमें कुछ समय तो अवश्य ही लगता है। लगभग दो वर्षों की अवधि में हमें यह पता लगेगा कि क्या इन खनिजों को वाणिज्यिक आधार पर निकाला जा सकता है अथवा नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह खोज संयोग मात्र थी?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि भूभारतीय विज्ञान सर्वेक्षण विभाग काश्मीर से दार्जीलिंग तक सर्वेक्षण कर रहा है।

Shri Rattan Lal Brahman : The survey started by Britishers in Darjeeling area was abondoned. I would like to know the minerals found as a result of survey being carried out by Geological Survey of India. If the area of Jalpaiguri will be surveyed you will find coal there. May I know the steps being taken by Government in this direction ?

Shri Sukhdev Prasad: As far as mineral deposits in Darjeeling area is concerned we have found many deposits there. Drilling is also going on and deposits are being explored. One more drilling machine is being sent there. First G. S. I. locates the deposits and thereafter the Minerals Exploration Corporation finds out the quantity of particular mineral in the mineral soil. As regards the Darjeeling area; some new minerals and some new mines have been found. Some abondoned, copper mines have also been found in Kalimpong area and narrow mineralised zones varying from 60 to 120 centimetres in thickness have been observed in Kumai area. Some more mines are being found in Darjeeling area.

श्री सी० सी० ग्दोहेनः माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा लगता है कि दार्जीलिंग क्षेत्र में सर्वेक्षण किया जा रहा है और सरकार का दार्जीलिंग से आगे मेघालय तक हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने का विचार नहीं है। क्या सरकार इस क्षेत्र में सर्वेक्षण करायेगी, और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य का सुझाव मानता हूं जहां तक मुझे पता है दार्जीलिंग क्षेत्र से परे भी सर्वेक्षण यत्र-तत्र किये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी दूंगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : मैं पहले भी इस बात का उल्लेख करता रहा हूं। वर्ष 1969 में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री डा० त्रिगुण सेन ने मुझे आश्वासन दिया था कि यहां सर्वेक्षण किया जायेगा। वहां वर्ष 1911 और 1923 में भी सर्वेक्षण किया गया था। चीफ इंजीनियर वाटरवेज, इरीगेशन एंड नेवीगेशन, मिस्टर ग्रिफिथ ने उस समय अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहां पर तांबा, सीसा और जस्ते के विशाल भंडारों के अतिरिक्त डोलोमाइट और ग्रेफाइट जैसे खनिज भी उपलब्ध हैं।

4 मई 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 699 के उत्तर में तत्कालीन इस्पात तथा खान मंत्री ने कहा था कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण की 10 वर्षीय योजना का पहला चरण पूरा किया जा रहा है और उसमें दार्जीलिंग तथा जलपाइगुड़ी जिलों के 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिज संबंधी प्रारंभिक खोज तथा व्यवस्थित ढंग से भूगर्भीय लाभों को प्राप्त करना सम्मिलित है। इसमें उपरोक्त जिलों में डोलोमाइट और ग्रेफाइट के बारे में विस्तृत जांच की भी व्यवस्था है।

इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का दार्जीलिंग तथा जलपाइगुड़ी जिलों में 1250 किलोमीटर क्षेत्र में सर्वेक्षण करने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है। क्या सरकार को यह रिपोर्ट भी मिली है कि इस क्षेत्र में सीसे, तांबे और जस्ते के भंडारों के अतिरिक्त डोलोमाइट और ग्रेफाइट के भी विशाल भंडार हैं।

Shri Sukhdev Prasad: As one former Minister of Steel and Mines told that there were indications of dolomite deposits there. Despite this, the geological survey is being carried in Darjeeling and Jalpaiguri districts and in this way we are mopping the whole lower belt of Himalayan region. We will let you know the minerals found there.

श्री समर गुह : वहां उपलब्ध अयस्क, जस्ता, सीसा और तांबा किस प्रकार का है। क्या वहां ग्रेफाइट भी मिला है। यदि वहां ग्रेफाइट मिला है तो यह हमारे लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान है। क्या कारण है कि यह पता लगाने में दो या तीन वर्ष का समय लग जाता है कि अमुक खनिज निक्षेप से वाणिज्यिक आधार पर खनिज निकाली जा सकती है अथवा नहीं। एक सप्ताह में एक प्रयोगशाला में सैकड़ों खनिज नमूनों की जांच की जा सकती है, फिर इस कार्य में इतना अधिक विलम्ब क्यों होता है ? इस मामले में कितनी शीघ्रता लाई जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस मामले में हम यथासंभव शीघ्रता करेंगे। जहां तक ग्रेफाइट का संबंध है इस समय मेरे पास तत्संबंधी जानकारी नहीं है। और इसके लिए मुझे अलग से सूचना चाहिए। हां, दार्जीलिंग और जलपाइगुड़ी में तांबा, सीसा, जस्ता और डोलोमाइट खनिज मिले हैं।

श्री समर गुह : अयस्क किस प्रकार का है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र

*832. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चल रहे परिवार नियोजन केन्द्रों की, जिलेवार संख्या कितनी है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय गुजरात राज्य में 250 मुख्य ग्रामीण परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र, 1786 उप केन्द्र, 15 नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र तथा 8 प्रसवोत्तर केन्द्र हैं।

केन्द्रों का जिलेवार ब्यौरा सभापटल पर रख दिया गया है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, जोकि राज्य क्षेत्र के अधीन रखा गया है, 134 उप-केन्द्र और प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 प्रसवोत्तर केन्द्र खोले जाने की संभावना है।

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	मुख्य ग्रामीण केंद्र	उप-केन्द्र	नगरीय केंद्र	प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पतालों की संख्या
1.	अहमदाबाद	10	93	38	3
2.	अमरेली	11	66	1	—
3.	बंसकंटा	12	109	3	—
4.	बड़ौदा	16	119	14	2
5.	भावनगर	14	91	10	—
6.	बड़ोच	14	86	5	—
7.	बुलसर	18	109	4	—
8.	दंगज	2	12	—	—
9.	जामनगर	10	65	10	1
10.	जूनागढ़	16	108	3	—
11.	गांधीनगर	2	12	1	—
12.	करा	19	167	10	—
13.	कूच	9	63	4	—
14.	मेहसाना	19	159	7	—
15.	पंचमहल	23	154	7	—
16.	राजकोट	14	90	13	1
17.	साबरकंठा	13	109	5	—
18.	सूरत	18	114	12	1
19.	सुरेंद्रनगर	10	60	4	—
	राज्य का योग	250	1786	151	8

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपने लाभ को अधिकतम किया जाना

*833. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड तथा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधकों की बड़ी संख्या ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की कार्यकुशलता का प्रमाण देने के लिए इन संस्थानों के लाभ को अधिकतम करने की हिमायत की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार लाभ को अधिकतम करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किये गये उस अध्ययन का अनुकरण करने का है जिसने पश्चिम अमरीका के बड़े इस्पात संयंत्रों में भारी सुधार करने में सहायता की थी ;

(ग) इस दृष्टि से, सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का उद्देश्य लाभ बढ़ाना है या उत्पादन बढ़ाना है ; और

(घ) इस बारे में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की नीति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्तुत अध्ययन के सही ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण इस बारे में कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) मोटे तौर पर, सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की नीति यह है कि अपने साधनों (पूंजी, कार्मिक और प्रबंध कुशलता आदि) का इष्टतम उपयोग किया जाय, उत्पादन अधिकाधिक किया जाय, पूंजी निवेश पर उचित आय सुनिश्चित की जाय और भावी विकास के लिए साधन जुटाए जाएं तथा क्वालिटी को बनाये रखते हुए उत्पादन लागत कम से कम की जाय जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर माल सप्लाई किया जा सके।

निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले एककों को प्रोत्साहन

*836. **श्री हाजी लुतफल हक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले एकक कौन-कौन से हैं ; और

(ख) क्या उन एककों को कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) कोई नहीं, यद्यपि निर्धारित क्षमता तक उत्पादन करने के लिए यथासंभव सभी प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के कुछ एककों ने क्षमता का पूरा उपयोग किया है।

(ख) अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, हलदिया, पश्चिम बंगाल का मांग-पत्र

*839. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, हलदिया (पश्चिम बंगाल) के 24 सूत्री मांग-पत्र की जानकारी है जो उसने कंपनी के परियोजना प्रबंधक को 30 जनवरी, 1974 को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संघ की मांगे क्या हैं ; और

(ग) उस पर मंत्रालय ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) यूनियन के मांग पत्र की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6828/74]।

(ग) हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, हलदिया प्रायोजना के अधीन तथा उन व्यक्तियों के अधीन, जिन्हें कि कंपनी द्वारा ठेके दिए गए हैं ; सभी श्रेणियों के श्रमिकों को भारत रक्षा नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत, अधिसूचनाओं द्वारा प्रतिमास 15/- रु० की मंजूरी वृद्धि मंजूर की गई थी । सीधे कंपनी के अधीन कर्मचारियों के संबंध में, उपरोक्त वृद्धि 1 दिसम्बर, 1973 को स्थापित किए गए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट के अनुसार बाद में समंजन किए जाने की शर्त पर है। जहां तक मांग पत्र में दी गई अन्य मांगों का सबध है; सूचना मिली है कि राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा समझौता कार्यवाहियां चल रही हैं।

कृषि श्रमिक सैल

*840. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में कृषक सेलों की गतिविधियों का मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मंत्रालय के कौन-कौन कर्मचारी इस सेल के सदस्य हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय में कृषि श्रमिक सेल को कृषि श्रमिकों की समस्याओं के बारे में सलाह देने हेतु कृषि श्रमिक विषयक एक स्थायी समिति गठित की गई है। उस पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है जिस में इस समिति के गठन संबंधी ब्यौरे और विचारार्थ विषय दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 6829/73]

सेलम इस्पात कारखाने में बेरोजगार हुए श्रमिक

*841. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम इस्पात कारखाने के लिए स्थान को समतल करने में लगे 7,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पांचवी योजना अवधि के लिए कोक की आवश्यकता

*842. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि के दौरान कोक की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति कब गठित की गई थी और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) समिति की कितनी बैठकें हुई और उसमें क्या-क्या प्रमुख निर्णय किये गये ; और

(घ) गत योजना अवधि के दौरान कुल कितना कोक उपलब्ध था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) विविध प्रकार के उद्योगों की विभिन्न किस्मों के हार्ड कोक की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए 26 अक्टूबर, 1973 को एक समिति बनाई गई थी । जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. श्री बनमाली सेन,
कोक भट्टियों के मुख्य अधिकारी,
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड।

2. श्री के० के० रे,
मेटालर्जीकल तथा इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस
(इंडिया) लि० ।

(ग) समिति की पहली बैठक 15/17 नवम्बर, 1973 को हुई थी । उसके पश्चात् समिति के सदस्यों ने दिसम्बर, 1973 तथा फरवरी, 1974 में हार्ड कोक का उपयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया । समिति ने 28-3-1974 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

(घ) चौथी योजना के प्रथम 4 वर्षों तथा अप्रैल—दिसम्बर 1973 की अवधि में हार्ड कोक का कुल उत्पादन 84 लाख टन के लगभग था । इस उत्पादन में इस्पात कारखानों की आरक्षित कोक भट्टियों का उत्पादन शामिल नहीं है।

इस्पात मिलों का प्रबन्ध

***843. श्री निहार लास्कर:**
श्री तरुण गोगोई :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि देश में सरकारी क्षेत्र की इस्पात मिलों के तुलनात्मक दृष्टि से असन्तोषजनक कार्यकरण के लिए कुछ हद तक दोषयुक्त और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था उत्तरदायी है ;

(ख) राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् के प्रतिवेदन में अन्य किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) इस रिपोर्ट में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से अच्छा न होने के कई कारण बताये गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कुछ कारण आयोजन तथा प्रबन्ध आदि में त्रुटियां थीं, जिन से बचा जा सकता था।

(ख) जहां तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों का कार्यकरण तुलनात्मक रूप से अच्छा न होने का सम्बन्ध है रिपोर्ट में अन्ततः उत्पादों की प्रति टन ग्राम ब्लाक की लागत अधिक होने, अपेक्षित मात्रा

तथा क्वालिटी में आधारभूत आदानों की अनुपलब्धि तथा कुछ हद तक पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की कमी आदि-आदि बताये गये हैं। इसमें आगे यह भी बताया गया है कि इन कारखानों की क्षमता का क्रमिक विस्तार तकनीकी शक्यता की तुलना में अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को अधिक ध्यान में रख कर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित न करने से पूंजी की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) यह रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है अभी इस पर इस दृष्टि से विचार करना होगा कि इसमें दिए गये निष्कर्ष कहां तक स्वीकार्य हैं और इसमें सुझाये गये उपायों को कार्यन्वित करना कहां तक लाभ-प्रद होगा ।

खान कर्मचारियों को अवकाश सम्बन्धी तथा अन्य लाभ

*844. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री गजाधर माझी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान श्रमिकों और कर्मचारियों के लाभ हेतु कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचार-धीन है जिससे कि वे राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश तथा, अन्य लाभों को प्राप्त कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, किसी खान में नियोजित व्यक्तियों के लिए सम्बन्धित श्रम कानूनों में छुट्टी, भविष्य निधि बोनस, प्रसूति आदि चिकित्सा सुविधायें, शिक्षा एवं आवास संबंधी सुविधाओं, ग्रेच्युटी, परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभों की व्यवस्था विद्यमान है।

हिन्द महासागर में अमरीकी और रूस की नौसैनिक गतिविधियों की चीन द्वारा आलोचना के समाचार

*845. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी चीनी समाचार एजेंसी "हसिनहुआ" द्वारा परिचालित 29 मार्च, 1974 को छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें हिन्द महासागर में अमरीकी और रूसी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ाने की आलोचना की गई है ;

(ख) क्या इस समाचार में रूस और अमरीका द्वारा "इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने वालों" के रूप में "हिन्द महासागर में प्रभुत्व प्राप्त करने की होड़" का आरोप लगाया गया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने 27 मार्च, 1974 की 'हसिनहुआ' प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा है, कि "आजकल दो बड़ी शक्तियों अमरीका और सोवियत संघ—के बीच हिन्द महासागर में अपनी प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष पहले से अधिक उग्र हो गया है और इस तरह क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा हो गया है।"

(ग) हिन्द महासागर के बारे में सरकार की नीति सर्वविदित है और बार-बार बताई जा चुकी है । हमारा यह विचार है कि बड़े देशों में इस प्रकार का विद्वेष और स्पर्धा से तनाव बढ़ेगा और इस तरह इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा ।

सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के गैर-सरकारी सेवाओं में रोज़गार पाने पर प्रतिबन्ध

*846. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाओं के सेवामुक्त कमीशन प्राप्त अधिकारियों के गैर-सरकारी सेवाओं में चाहे भारत में हों अथवा विदेशों में, रोज़गार पाने पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 1963 में जारी किए गए और 1974 में संशोधित किए गए अनुदेशों के अनुसार सेना, नौसेना अथवा वायुसेना का कोई भी अफसर, चाहे उसकी किसी भी प्रकार की कमीशन प्राप्त हो, जिसको सेना, नौसेना और वायुसेना में की गई सेवा के बारे में कोई पेंशन, उपदान अथवा अन्य हित मंजूर किया गया हो, अथवा कोई पेंशन, उपदान अथवा अन्य हित मंजूर किया जाना वाला हो, वह सेना, नौसेना अथवा वायुसेना में अपनी सेवा समाप्त होने के पश्चात् किसी भी समय भारत से बाहर किसी सरकार अथवा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका भारत सदस्य नहीं है के अधीन कोई भी नौकरी लेने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करेगा ।

2. उन्हीं अनुदेशों के अनुसार सेना में कर्नल (नौसेना तथा वायु सेना में समकक्ष पद) और उससे ऊपर के पद के जिस अफसर को सेना, नौसेना अथवा वायुसेना में उसकी सेवा के बारे में पेंशन, उपदान अथवा अन्य हित मंजूर किए गए हों अथवा जिसे पेंशन, उपदान अथवा अन्य हित मंजूर किए जाने वाले हों, वह भी अपनी सेवा निवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने से पूर्व कोई नौकरी लेने से पहले निम्नांकित मामलों में इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करेगा ।

(1) किसी निजी उपक्रम में वाणिज्यिक नौकरी ।

(2) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रशासन/सरकार के अधीन किसी असैनिक पद पर नौकरी अथवा सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रित निकाय के अधीन किसी पद पर नौकरी, यदि अफसर को उसके अपने अनुरोध पर असामयिक सेवा निवृत्ति की अनुमति दी गई है। "असामयिक सेवानिवृत्ति" में उसके पद के लिए निर्धारित मानक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् अथवा अस्वस्थता अथवा शारीरिक अपंगता के आधार पर अशक्तता के आधार पर समान्य रूप से सेवानिवृत्ति सम्मिलित नहीं होगी । इस में वे मामले भी सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें सामान्य सेवा निवृत्ति पर जाने वाले अफसरों को वैयक्तिक कारणों से उनकी सेवा निवृत्ति की तारीख से कुछ दिन पूर्व (एक मास से अधिक नहीं) सेवा निवृत्ति होने की अनुमति दी जाती है ।

हंगरी के सहयोग के साथ भारी उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में समझौता

*847. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के सहयोग से भारत में भारी उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में भारत और हंगरी सरकारों के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और किन-किन उद्योगों की स्थापना की जानी है?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए राज्यों को अनुदेश

*848. **श्री वेकारिया :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने के लिए अनुदेश दिये हैं; और

(ख) किन-किन राज्यों ने उन्हें क्रियान्वित किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सभी राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी, मऊ (मध्य प्रदेश) को भूमि का आवंटन

*849. **श्री अम्बेश :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21/15, साउथ टी०टी० नगर, भोपाल स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी, मऊ (मध्य प्रदेश) रजिस्टर नं० 2917 ने जहां डा० अम्बेडकर का जन्म हुआ था, वहां उनके स्मारक के लिए उनके विभाग को 150′ × 150′ भूमि प्राप्त करने हेतु 16 अगस्त 1971 को आवेदन पत्र दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भूमि अभी तक उपर्युक्त सोसायटी को आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसायटी, मऊ को इस भूमि की पट्टे पर स्थायित्व तौर पर बाजार दर से अधिशुल्क की अदायगी पर बिना किराए के जनवरी, 1973 में पेशकश की गई थी। यह ऐसे मामलों में सरकार की स्वीकृत नीति के अनुसार है। परन्तु सोसाइटी ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की है। वे मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है।

महाराष्ट्र और गुजरात को कच्चे लोहे का भेजा जाना

*850. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे को महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) देश में कच्चे लोहे की कमी को देखते हुए देशीय सप्लाई की स्थिति में सुधार होने तक कच्चे लोहे के निर्यात के लिए नए

करार नहीं किए जा रहे हैं । यहां तक कि जहां सम्भव हो सकता है पुराने वायदों पर भी कच्चे लोहे का निर्यात आस्थगित किया जा रहा है। मार्च 1974 तक लदान के लिए किए गए वायदों में से सम्भवतः 300,000 टन के लगभग कच्चा लोहा वर्ष 1974-75 के लिए बच जाएगा। यह अतिरिक्त मात्रा विशेष-रूप से किसी राज्य के लिए अलग से नहीं रखी गई है बल्कि इससे समस्त उपलब्धि में वृद्धि हुई है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आयल रिगों का निर्माण

8085. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष ने भारत में आयल रिगों के निर्माण की सम्भाव्यता की सूचना दी है ;

(ख) क्या आयल रिगों का निर्माण करने सम्बन्धी परियोजना का कार्य भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को सौंपा जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने जो उस भारतीय शिष्ट मंडल से जो हाल ही में डीपड्रिलिंग आयल रिगों के संभरण का सुनिश्चय करने के लिये विदेश गया था, भारत में आयल रिगों के निर्माण की जानकारी प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया था । उसने यह निर्णय दिया है कि भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन विभिन्न एककों को उपलब्ध सुविधाओं को एकत्र करके इस प्रकार के आयल रिगों का निर्माण कर सकना सभंव होना चाहिये । इस पर विचार करते हुए कि उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् भारत में रिगों का निर्माण करने की संपूर्ण समस्या से निबटने के लिये एक प्रभावशाली इंजीनियरी और समन्वयकारी दल की आवश्यकता पड़ेगी, यह वांछनीय समझा गया है कि उन्हें तथा देश में निर्माणरत अन्य एककों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, उनका पूरा लाभ उठाकर आयल रिगों के निर्माण की व्यवस्था करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा जाय ।

हिन्दुस्थान मशीन टूल्स की कलमासेरी यूनिट के प्रबन्धक मे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व

8076. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकरण संबन्धी विभिन्न समस्याओ पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की कलमासेरी यूनिट के निदेशक मंडल के बारे में श्रमिकों की यूनियनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में एन० सी० डी० सी० की परियोजनायें

8087. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की बहुत सी परियोजनायें राज्य सरकार की रायल्टी-अनिवार्य-किराये भू-किराये (सरफेस रैन्ट) का भुगतान करने में नियमित रूप से पूर्णतया पीछे चल रही है;

(ख) क्या प्राधिकारियों को कुछ मामलों में परिसम्पत्ति की कुर्की तथा कार्य को बन्द करने के आदेश देने पड़े; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Proposal for Production of Mini Tractors in Madhya Pradesh

8088. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether somebody has submitted a proposal to produce cheap and durable mini tractors in Madhya Pradesh; and

(b) whether this proposal is under consideration of the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

Loss to Bhilai Steel Plant during 1972-73

8089. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Bhilai Steel Plant has suffered loss during 1972-73; and

(b) if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) No, Sir. The Bhilai Steel Plant made a profit of Rs. 6 crores in the year 1972-73.

Refugees settled near Dularia Village in Itarsi Tehsil of M. P.

8090. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the means of livelihood have not so far been provided to the displaced person settled near Dularia village in Itarsi Tehsil of Madhya Pradesh despite Government assurances and efforts being made for the last six years;

(b) the employment opportunities provided to them so far; and

(c) the broad outlines of their grievances and the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Persons of Indian Origin in Burma

8091. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to collect information through the Indian Embassy in regard to the number of persons of Indian origin in Burma at present; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) According to information from our Embassy in Burma the total number of such persons may be estimated at about 180,000 this figure includes about 2,000 Indian passport holders, as well as those who have opted for Burmese citizenship, those who have been registered as foreigners and those who are documentless.

Persons suffering from Leprosy in country

8092. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the estimated number of persons in the country at present who are suffering from leprosy as per official survey ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : There has been no survey of the entire population. On the basis of sample surveys and surveys conducted at different control units and Survey Education and Treatment Centres for case detection, and based on 1971 census figures, it has been estimated that there may be about 32 lakhs of leprosy patients in the country.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत प्रजनन उपकरण की क्षमता तथा उत्पादन

8093. **श्री वयालार रवि :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड विद्युत प्रजनन के भारी उपकरणों का उत्पादन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो लाख के० डब्ल्यू० में उपकरण की क्षमता क्या होगी तथा उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्ण उत्पादन प्राप्त कर लेने पर क्षमता 35 लाख कि० वा० की होगी। 1973-74 में उत्पादन 21 लाख कि० वा० हुआ था, जिसके 1974-75 में बढ़कर 29 लाख कि० वा० हो जाने की आशा है।

दो भारी उद्योग कारखाने लगाना

8094. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1974-75 में दो भारी उद्योग कारखाने लगाने की कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) द्वारा स्थापित किए जाने वाले एक ट्रांसफार्मर कारखाने और एक नयी भारी मशीन निर्माण परियोजना को केन्द्रीय पांचवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं में सम्मिलित कर लिया है ।

(ख) ट्रांसफार्मर-कारखाना विद्युत् ट्रांसफार्मरों, विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मरों और इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने के लिए झांसी के निकट स्थापित किया जाना है । यह परियोजना बी० एच० ई० एल० में ही विकसित दक्षताओं और क्षमताओं का उपयोग करके कार्यान्वित की जायेगी । इन कारखाने के स्थापित होने से आशा है कि भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं और नये स्थानों में स्थापित की जाने वाली सुविधाओं के बीच ट्रांसफार्मरों का निर्माण युक्तिपूर्ण बनाया जायेगा ।

नई भारी मशीन निर्माण परियोजना की स्थापना करना भारी धातुकर्मी उपकरणों के उत्पादन में लगे भारी इंजीनियरी एककों की क्षमता और संभाव्यता के सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यक हुआ है । यह सर्वेक्षण सरकार के कहने पर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने हाल ही में किया था । सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को स्थापित करने के लिए संभाव्यता अध्ययन तैयार करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है ।

पाइप लाइनों के द्वारा कोयले की सप्लाई

8095. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक भार वाले उपभोक्ता बिजली घरों के लिए पाइप लाइनों से कोयला सप्लाई करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पाइप लाइनों से कोयला भेजने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली में दुकानों के समय में परिवर्तन

8096. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 30 मार्च, 1974 से दुकानों के बन्द होने के समय में परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इच्छित परिणामों के कहां तक उपलब्ध होने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री **(श्री बालगोविन्द वर्मा)** : (क) केन्द्रीय शासित क्षेत्र दिल्ली में दुकानों के खुलने और बन्द होने का समय 30-3-1974 से नहीं बल्कि 2-4-1974 से परिवर्तन करके क्रमशः साढ़े आठ बजे सुबह और साढ़े छः बजे शाम कर दिया गया है।

(ख) बिजली की कमी से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए आम जनहित में समयों में परिवर्तन किया गया है। यह आशा की जाती है कि इस कार्रवाई में प्रशासन कुछ बिजली बचा सकेगा।

गोल मार्केट डिस्पेंसरी, नई दिल्ली में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं

8097. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोल मार्केट में तथा इसके आस-पास सैक्टर 'डी' तथा 'ई' में बहुत से बहुमंजिले सरकारी फ्लैट बन जाने के कारण नई दिल्ली की गोल मार्केट डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार डिस्पेंसरी में डाक्टरों की संख्या तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) गोल मार्केट औषधालय में चिकित्सा सुविधायें पर्याप्त हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्क्रैप का आयात तथा संरचनाओं स्ट्रक्चरल्स का निर्माण

8098. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों से स्क्रैप का आयात करने का है;

(ख) क्या इस निमित्त संरचनाओं का निर्यात करने का सरकार का विचार है;

(ग) किन-किन देशों से स्क्रैप का आयात किया जायेगा और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी; और

(घ) उन संरचनाओं का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें सरकार का विचार विदेशों को निर्यात करने का है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत स्क्रैप का आयात मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एक सरकारी उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

(ख) से (घ) लोह स्क्रैप का आयात करने तथा बेलित उत्पादों का निर्यात करने की एक योजना विचाराधीन है। इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने तथा इस की प्रतिक्रिया देखने के पश्चात् ही विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तथा अन्य संबंधित बातों के बारे में पता लग सकेगा।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों में मानव रक्त का विश्वव्यापी घोटाला

8099. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी विदेशी औषध निर्माता कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या उक्त कम्पनियां ने 15 करोड़ डालर मानव रक्त का विश्वव्यापी घोटाला किया है और उनकी गतिविधियों का भारत में भी विस्तार हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में कोई जांच की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) भारत में चल रही विदेशी फार्मेस्यूटिकल कम्पनियां विश्व व्यापी स्तर पर मानव रक्त का गोलमाल कर रही हैं इस बारे में सरकार को अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है।

Decimal system of Calendar

8100. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether an officer of Air Force has made a suggestion in regard to decimal system of calendar;

(b) whether 10-day week and 10-month year have also been suggested therein; and

(c) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) A Tech. Sigs. Air Force officer has been working in his personal capacity on a 'Metric calendar'. The officer has *inter alia* suggested 10 metric months to a metric year and 10 metric days to a metric week. He has independently approached a number of National/International organisations which may be concerned with or interested in the subject. Their reaction to the new system is not known.

क्षेत्रीय गैस ग्रिड बनाने का प्रस्ताव

8101. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय "गैस ग्रिड" बनाये जाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और अवस्थितियों की जांच सहित कोयला गैसीकरण का प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन योजना आयोग द्वारा इस कार्य के लिए गठित कार्यकारी समूह द्वारा किया जा रहा है। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट सरकार को मिलने पर ही 'क्षेत्रीय गैस ग्रिड' बनाने का प्रश्न सामने आएगा।

डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के अभिलेखों की जांच

8102. **श्री अम्बेश :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 24 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये शब्द "भारत से वापस आने पर डा० गईबो सभी पुस्तकें और अभिलेखें अपने साथ ले गये" डा० भगवानदास स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री श्री कुमार पाल के वक्तव्य के आधार पर प्रयुक्त किये गये थे या डा० गईबो से पूछ कर; और

(ख) क्या सरकार डा० गईबो से इस तथ्य का सत्यापन कराएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) ये शब्द "भारत से वापस आने पर डा० गईबो सभी अभिलेख और पुस्तकें अपने साथ ले गए" डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री, श्री कुमार पाल के वक्तव्य के आधार पर प्रयुक्त किए गए थे।

(ख) जी नहीं ।

मलयेशिया और सिंगापुर में विद्युत उत्पादन और (स्ट्रक्चरल्स) परियोजनाएं स्थापित करना

*8103. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मलयेशिया और सिंगापुर में विद्युत उत्पादन और स्ट्रक्चरल्स की अनेक परियोजनाओं की स्थापना में सहायता देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विद्युत ढांचा निर्माण सीमेंट और चीनी संयंत्र जैसे क्षेत्रों में टर्न की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इन देशों के साथ तकनीकी सहयोग करने की अच्छी संभावनाएं हैं। विशिष्ट, परियोजनाओं के लिए परामर्शदायी सेवाएं देने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की भी गुंजाइश है सरकार का विचार इन संभावनाओं को कार्यान्वित करने का है। बिजली पैदा करने और अन्य इंजीयिनरी उपकरणों के निर्यात के प्रश्न पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की यात्रा

8104. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा में उनके साथ किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ख) क्या भारत और बंगला देश पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बातचीत में एक ही रुख अपनाने के लिए सहमत हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :) (क) मास्को से लौटने पर ढाका जाते हुए बंगलादेश के प्रधान मंत्री एक दिन के लिए दिल्ली में रुके थे। यह सरकारी यात्रा नहीं थी और दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच आपसी हित के मामलों पर पूर्ण रूप से अनौपचारिक बातचीत ही हुई थी ।

(ख) बंगलादेश के प्रधान मंत्री त्रिपक्षीय वार्ता समाप्त होने के एक दिन बाद 10 अप्रैल 1974 को दिल्ली पहुंचे थे ।

डीजल चालित जनरेटिंग सैट्स का आयात

8105. **श्री रामभगत पासवान :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में डीजल चालित जनरेटिंग सैट्स के आयात की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय देश में डीजल जनरेटिंग सैटों के आयात की अनुमति देने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में तार के कारखाने

8106. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एक नए तार कारखाने में उत्पादन शीघ्र ही शुरू हो जायेगा;

(ख) हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने नए कारखाने स्थापित हुए हैं ;

(ग) इन नए कारखानों की रोजगार क्षमता कितनी है ; और

(घ) इस समय कितने उद्योग चालू हैं, और उनमें से कितने बन्द हो गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पल रख दी जाएगी ।

निकोबार द्वीप में व्यक्तियों का बसाया जाना

8107. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकोबार द्वीप में इस समय जातिवार कितने परिवार रह रहे हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वहां कितने परिवारों को पुनः बसाया गया; और

(ग) निकोबार द्वीप में व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए सरकार ने क्या मापदण्ड अपनाया है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार, निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार तथा नान-कोअरी तहसीलों की समुदाय वार जनसंख्या इस प्रकार थी :–

1. ईसाई	16173
2. हिन्दू	2656
3. मुसलमान	552
4. सिख	412
5. अन्य धर्म	1129
6. धर्म नहीं बताया गया	743

(ख) और (ग) निकोबार द्वीप समूह में पुनर्वास का कार्यक्रम ग्रेट निकोबार तथा कच्छल द्वीपों तक ही सीमित है।

ग्रेट निकोबार की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को वहां बसाया जा रहा है। 1969-70 में ग्रेट निकोबार में भेजे गए 100 परिवारों के लिए भूमि का आबंटन 1972 में पूरा हो गया था। इनके अतिरिक्त, 100 और परिवार द्वीप में भेजे गए हैं और उनके पुनर्वास का कार्य चल रहा है।

जहां तक कच्छल का संबंध है, प्रवासियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका से आए प्रवासियों को रबड़ बागान में पुनर्वास प्रदान करने का उद्देश्य है, जो द्वीप में आरम्भ किया गया है। बागान में श्रीलंका प्रवासियों के परिवारों की कुल संख्या 9 है जिनमें से 2 पहले भेजे गए थे और 7 विगत दो वर्षों में भेजे गए थे। बागान में अन्य रिक्तियां अब तक स्थानीय श्रमिकों की भर्ती से भी भरी गई हैं।

भावी रिक्त स्थानों की, जिस सीमा तक संभव होगा, श्रीलंका के प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए प्रयोग करने का विचार है किंतु यह भावी रोपण के लिए उपलब्ध की जाने वाली वितीय व्यवस्था पर निर्भर करता है।

डाकटरों की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक परीक्षा

8108. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने डाक्टरों की भर्ती के लिए वार्षिक परीक्षा करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

मिस्र के पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए भारतीय सहायता

8109. **श्री तरुण गोगोई :**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए मिस्र को सहायता देने की पेशकश की है जैसा कि प्रैस समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(ग) सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं—परन्तु हमने मिस्र की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप, मिस्र के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में अपना सहयोग देने की पेशकश की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण

8110. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पो० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आधुनिकतम युद्धपोतों के निर्माण में कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कठिनाइयां किस प्रकार की हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जहाँ तक कुशल मनुष्य-शक्ति और निर्माण अवस्थापना का संबंध है, भारत के पास अधिकांशतः अब युद्धपोत निर्माण करने की क्षमता है। तथापि, नेवल डिजाइन और निर्माण सम्बन्धी जानकारी के तौर पर विदेशी तकनीकी सहायता की अभी आवश्यकता है और इस प्रकार की सहायता हमेशा सहज ही उपलब्ध नहीं होती है। युद्धपोतों की कतिपय किस्मों के बारे में जो पूंजी, संयंत्र और मशीनरी अथवा अन्य आवश्यक सुविधाएं आवश्यक हो सकती हैं उन पर अतिरिक्त परिव्यय भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं की प्रमात्रा के लिए तर्कसंगत नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसे युद्धपोत के स्वदेशी निर्माण में किन्हीं विशेष मदों की उपलब्धता में अनिश्चितता और आयातित तथा देशी, दोनों मदों की प्राप्ति में विलम्ब का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, मशीनरी, उपस्कर और नौसेना के कड़े मानकों के अनुसार साज-समान और प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी की कठिनाइयां अन्य बड़ी कठिनाइयों में से कुछ हैं।

Inspection of Diego Garcia by Indian Navy Personnel

8111. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Indian Navy Personnel had ever inspected Diego Garcia; and

(b) if so, when ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) There was no occasion for Indian Navy Personnel to visit Diego Garcia which is an Anglo-American facility.

Conclusions of Committee Appointed to go into Drug Adulteration

8112. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Famil y Planning** be pleased to state :

(a) whether the Committe appointed by his Ministry to go into the question of drug adulteration has come to the conclusion that the chemists and drug inspectors have a hand in the adulteration of drugs; and

(b) if so, the conclusions reached by the Committee and the action proposed to be taken by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) No.

(b) Does not arise.

National Wage Board

8113. **Shri Lambodar Baliyar :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a National Wage Board so as to give the principle of 'equal pay for equal work' a practical shape; and

(b) if not, the time by which scheme in this regard would be started with a view to eliminating the chances of strikes launched so frequently in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) At present there is no such proposal.

पश्चिम एशियाई देशों में सहयोग परियोजनाओं की स्थापना

8114. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम एशियाई तेल उत्पादक देशों के साथ विदेश व्यापार में शीघ्र परिणाम प्राप्त करने और आर्थिक संबंध स्थापित करने और समय रहते उन देशों में अपने पैर जमाने के लिए विशेष समन्वय सैल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा; और

(ग) क्या इन देशों में सहयोगी परियोजनायें स्थापित करने का भी विचार है और यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योग स्थापित होंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) विदेश मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग विभिन्न देशों के साथ व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के कार्य में, जिसमें पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देश भी सम्मिलित हैं, भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी मंत्रालयों और विदेश स्थित अपने मिशनों के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तेल परिस्करण-शालाओं, उर्वरकों, इस्पात, कपड़ा उद्योग, सीमेंट, कागज और लुगदी, अल्यूमीनिया और अल्मूनियम आदि के क्षेत्रों में पश्चिम एशिया के कुछ तेल उत्पादक देशों के साथ सहयोग के कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

Disposing of equipment and spares of Border Road Development Board

8116. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether 86 equipments and other spares of the Border Road Development Board worth Rs. 217 lakhs were disposed off for Rs. 142 lakhs only;

(b) whether there was large scale bungling in their disposal; and

(c) if so, the full facts in regard to their disposal and the action taken against the officers responsible for this ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) It is not correct that 86 equipments and other spares were disposed of. The position is that a census of spares which was carried out in 1969 revealed that surplus spares worth Rs. 217 lakhs pertaining to 86 equipments were held with the Organisation. Out of this, spares to the tune of Rs. 126.8 lakhs have been utilised so far within the Governmental Organisations and spares worth Rs. 1.2 lakhs have been disposed of by DGS & D. The balance of spares worth Rs. 89 lakhs, is under constant review for reutilisation.

(b) No Sir.

(c) Does not arise in view of our reply as per para (a) above, Sir.

खाद्य तथा भेषजों में मिलावट रोकने के बारे में केन्द्रीय नागरिक परिषद् द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

8117. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नागरिक परिषद् राष्ट्रपति भवन, दिल्ली ने खाद्य तथा भेषजों में अपमिश्रण रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने हेतु सरकार को अनेक ज्ञापन प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो उन ज्ञापनों में क्या मुख्य बातें कही गई हैं;

(ग) क्या इन ज्ञापनों में यह सुझाव था कि "खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954" का संशोधन किया जाये; और

(घ) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में जो मुख्य बातें कही गई हैं वे इस प्रकार हैं :-

खाद्य

1. महत्वपूर्ण बस्तियों तथा जिन क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में निरन्तर तथा गंभीर शिकायतें आ रही हों वहां पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये ।

2. निगरानी व्यवस्था को कड़ा कर दिया जाये ।

3. स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को प्रशासनिक आदेशों द्वारा यह निर्देश दिये जायें कि जब कभी खाद्य निरीक्षक उन्हें गवाही देने को कहें तो वे गवाही दे दें ।

4. और अधिक जन विश्लेषकों की नियुक्ति की जाये ।

5. खुदरा व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे जो भी खाद्य पदार्थ बेचें निर्माताओं अथवा वितरकों से उनकी गारंटी ले लें ।

6. उत्पादकों, निर्माताओं तथा वितरकों तथा जहां-जहां वास्तविक रूप से मिलावट होती है, उन के खिलाफ कार्यवाही पर जोर दिया जाए ।

7. परीक्षण करने तथा उनकी रिपोर्ट भेजने, मुकदमे चलाने तथा उनकी पैरवी करने सम्बन्धी कार्यवाही शुरू करने आदि प्रत्येक स्थल पर होने वाली देरी को रोका जाये ।

8. खाद्य पदार्थों में मिलावट से सम्बन्धित अपराधों के बारे में संक्षिप्त विचारण पद्धति (समरी ट्रायल) चालू करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाये ।

9. इस अधिनियम में की गई न्यूनतम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अदालतों से कड़ी सजा देने के लिए कहा जाए ।

10. चुने हुए पुलिस अधिकारियों को, जो सब-इन्सपैक्टर के पद से नीचे के न हों, इस कार्य में प्रशिक्षण दिया जाए और तब उन्हें खाद्य निरीक्षकों की तरह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया जाए । सुरक्षा के तौर पर प्रशासनिक रूप से यह निर्धारित किया जाए कि वे उपभोक्ता अथवा क्रेताओं द्वारा की गई लिखित शिकायतों के आधार पर ही कार्यवाही करें ।

11. खाद्य पदार्थों में मिलावट के जो मामले गम्भीर किस्म के तथा महत्वपूर्ण हों अथवा जिसका विस्तार अन्तर जिला या अन्तर राज्य स्तर तक हो उनको निपटाने के लिए राज्य के गुप्तचर विभाग में विशेष एकक खोले जाएं । ऐसे एककों में या तो निरीक्षकों को स्थायी रूप से लगाया जाए या इसके बदले में ऐसे कुछ खाद्य निरीक्षक नियुक्त किए जाएं जिनकी सेवाएं आवश्यकता पड़ने पर इन विशेष एककों द्वारा प्राप्त की जा सकें ।

12. पुलिस और इस काम को देख रहे राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच समुचित सम्पर्क बनाने की व्यवस्था की जाए ।

13. देहातों में पंचायतों का इस कार्य में सहयोग पाने अथवा उन्हें इस क्षेत्र में कुछ उत्तरदायित्व सौंपने के बारे में विचार किया जाए ।

14. इस काम में राज्य अधिकारियों को मदद करने और जनता का सहयोग और समर्थन पाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों से सहायता प्राप्त की जाए ।

15. मिलावट के खतरों तथा मिलावट सम्बन्धी कानूनों के उपबन्धों और मिलावट को रोकने में नागरिकों के योगदान के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए ।

दवाईयां

1. जिन स्थानों और मकानों में नकली दवाइयां बनाई जाती हैं उन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए राज्य के सी० आई० डी० में एक गुप्तचर कक्ष की स्थापना की जाए ।

2. प्रवर्तन मशीनरी को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उसे और सशक्त किया जाए ।

3. नकली दवाइयों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम दिए जाएं ।

4. पुराने पात्रों को इस प्रकार तोड़ फोड़ या खराब किया जाए कि वे नकली दवाइयों के लिए इस्तेमाल के योग्य न रहें ।

5. छोटे-छोटे लाइसेंस शुदा दवाई निर्माताओं की जगहों का बार-बार निरीक्षण किया जाए।

6. चिकित्सकों द्वारा चलाये जा रहे औषधालयों का निरीक्षण किया जाए ।

7. चिकित्सकों को यह सलाह दी जाए कि वे अपनी दुकानों पर आने वाले एजेंटों से दवाइयां खरीदते समय सचेत रहें ।

8. जब कभी, भी चिकित्सकों को किसी दवाई की शुद्धता पर सन्देह हो तब उन्हें उसकी सूचना तुरन्त दे देनी चाहिए ।

9. अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रेक्टिस करने से रोका जाए ।

10. दवाइयों के वे सरकारी भण्डार और बड़े-बड़े अस्पताल जो प्रचुर मात्रा में दवाइयां खरीदते हैं उनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए ।

11. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत नकली दवाइयों के अपराधों में दी जाने वाली सजा को और अधिक कड़ा बना दिया जाए ।

(ग) जी हां ।

(घ) नागरिक केन्द्रीय परिषद, द्वारा की गई सिफारिशों तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में संशोधन विषयक अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन करने के बारे में विधेयक के एक प्रारूप को शीघ्र ही संसद में पेश करने का विचार है।

अल्प संख्यकों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों के बारे में बंगला देश अध्यादेश

8118. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगला देश के राष्ट्रपति द्वारा पाकिस्तानी शासन के दौरान भारत आये अल्प संख्यकों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्तियों के बारे में दो अध्यादेश की उद्घोषणा सम्बन्धी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन अध्यादेशों से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पूर्व वायदों के मूल आधार पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) क्या आप्रवासियों द्वारा बंगला देश में छोड़ी गई सम्पत्तियों के मामलों को दोनों देशों द्वारा बात-चीत करके हल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हाल के दो अध्यादेशों, जो 23 मार्च, 1974 के हैं, की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) से (घ) इन अध्यादेशों का अध्ययन किया जा रहा है। इन अध्यादेशों का प्रभाव एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाही, इनका अध्ययन पूरा करने के बाद ही निश्चित की जा सकती है।

हिन्दुस्तान मोटर्स का विस्तार कार्यक्रम

8120. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने हाल ही में इस मंत्रालय के माध्यम से कोई विस्तार कार्यक्रम मंजूर करवा लिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं ।

Maintenance of airstrips in the country

8121. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the airstrips built in various parts of the country for use during emergency are not being maintained propely ;

(b) whether the funds earmarked for their maintenance and development are not being utilized fully; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken to improve their condition ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) A Kacha aircraft landing ground (ALG) was constructed near Teliamura for use of the Air Force during 1971 emergency. It has been decided to abondon this ALG and transfer the land to the State Government. As such it is not being maintained.

एशियाई शक्तियों का शिखर सम्मेलन

8122. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एशियाई शक्तियों का शिखर-सम्मेलन होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Pelletisation Plant in Bastar District

8123. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

whether there is any proposal to set up a pelletisation plant in Bastar District during the Fifth Five Year Plan Period in view of large deposits of iron (Fines) ore there?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): There is a proposal for the setting up of a pelletisation plant based on Bailadila iron ore fines.

एल्युमीनियम कारपोरेशन श्राफ इंडिया को सरकारी नियंत्रण में लेना

8124. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **इस्पात श्रौर खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता एम्प्लाइज एसोसियेशन (एल्यूमिनियम कारपोरेशन श्राफ इंडिया लिमिटेड, जे० के० नगर, पश्चिम बंगाल) से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें इस कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लिए जाने की मांग की गई है;

(ख) क्या इस कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए मंत्री महोदय ने गत सत्र में कोई आश्वासन दिया था;

(ग) उक्त कम्पनी की वर्तमान स्थिति क्या है; श्रौर

(घ) सरकार ने कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

इस्पात श्रौर खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि कम्पनी अपने सुधार में दिलचस्पी नहीं रखती, तो सरकार उसको उद्योग (विकास श्रौर विनियमन्) अधिनियम के अन्तर्गत अपने नियंत्रण में लेने से नहीं हिचकिचाएगी। कम्पनी में फिर से काम शुरू कराने की संभावना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। कम्पनी में अभी भी तालाबन्दी है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा प्रिंटिंग एवं डाई कास्टिंग मशीनों के उत्पादन में गिरावट

8126. **श्री के० मालना** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने द्वारा निर्मित प्रिंटिंग एवं डाई कास्टिंग मशीनों का मूल्य नवम्बर, 1973 में 10 लाख रुपये था जबकि लक्ष्य 82 लाख रुपये के थे श्रौर क्या इस गिरावट का मुख्य कारण आयातित पूंजी का समय पर उपलब्ध न होना बताया गया है; श्रौर

(ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितना उत्पादन हुआ ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नवम्बर, 1973 में मुद्रण श्रौर डाई कास्टिंग मशीनों के उत्पादन का लक्ष्य 34 लाख रुपये का था, जब कि उत्पादन केवल 10 लाख रुपये का ही हुआ। डाई कास्टिंग श्रौर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के उत्पादन में गिरावट होने का मुख्य कारण सहयोगकर्त्ताओं से आयातित पुर्जों को प्राप्त करने में विलम्ब होने के साथ-साथ देशी निर्माताओं द्वारा आवश्यक कास्टिंग की सप्लाई में विलम्ब का होना रहा। जहां तक मुद्रण मशीनों का संबंध है, प्रारम्भ में पुर्जों के लिए देशी संसाधनों का पता लगाने श्रौर मशीन शाप तथा एसम्बली क्षमताओं को उत्पन्न करने में कठिनाइयां अनुभव की गई थी।

(ख) गत दो वर्षों में इन वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

(रुपये लाखों में)

	1973-74		1972-73	
	लक्ष्य	उत्पादन*	लक्ष्य	उत्पादन
डाई कास्टिंग श्रौर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें	110	78	80	82
मुद्रण मशीनें	68	53	47	25

*अस्थाई आंकड़े

Proposed foreign visits of Prime Minister

8127. **Shri Shanker Dayal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries from which the Prime Minister has received invitations during this year; and

(b) the names of the countries to which she proposes to pay visits during this year?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Iraq, Iran, Maldives, New Zealand, Poland, Rumania and Bulgaria.

(b) Prime Minister is visiting Iran from 28th April, to 2nd May 1974 and the dates for other visits will be fixed according to mutual convenience.

बटाला (पंजाब) के औद्योगिक संघों को कच्चे लोहे की सप्लाई

8128. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :**

श्री धामनकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटाला (पंजाब) के औद्योगिक संघों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कच्चे लोहे की जिस सप्लाई का वचन दिया गया था उसे तुरन्त पूरा करने और गम्भीर कमी को देखते हुए सप्लाई की कमी अगली तिमाही में पूरी करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कच्चे लोहे की तत्काल सप्लाई तथा बकाया माल की सप्लाई के लिए बटाला की कई इकाइयों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अप्रैल 1973 से देश में लोहे की व्याप्त कमी के संदर्भ में इस्पात का वितरण मुख्य रूप से वर्ष 1972-73 में ढलाई घरों के अपक्रय के आधार पर किया जा रहा है । कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे ढलवें लोहे से स्पन पाईप निर्माताओं, रेलवे स्लीपर निर्माताओं, सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निर्यातोन्मुख उद्योगों की आवश्यकताओं को कुछ अधिक बरीयता दी जा रही है । कच्चे लोहे की उपलब्ध सप्लाई के वितरण के लिये उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए एक समिति भी बनाई गई है । इन इकाइयों के आवेदन उपर्युक्त समिति के विचारार्थ भेज दिए गए हैं।

जबलपुर और ग्वालियर में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का भंडार गृह

8129. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से जबलपुर और ग्वालियर में अपने भंडार गृह बनाने का कई बार अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने इस्पात और खान मंत्रालय से जबलपुर और ग्वालियर में स्टाकयार्ड खोलने को कहा था । उन्हें बताया

गया था कि मध्य प्रदेश में इंदौर तथा भिलाई में पहले से ही दो स्टाकयार्ड हैं और जब तक कुल उपलब्धि बढ़ नहीं जाती और परिणामस्वरूप मुख्य उत्पादक स्टाकयार्डों की मार्फत सप्लाई करने के लिए माल का अधिक प्रतिशत देने की स्थिति में नहीं हो जाते तब तक स्टाकयार्डों में वृद्धि करने से केवल समस्या और जटिल हो जाएगी। तथापि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० देश में प्रावस्था-भाजित क्रम से स्टाकयार्डों की संख्या बढाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र से मध्य प्रदेश को बेंजीन की सप्लाई

8130. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र ने मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास के लिये प्रति वर्ष 5,200 टन बेंजीन सप्लाई करने का वचन किया था ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेंजीन पर आधारित उद्योगों के लिए बेंजीन सप्लाई करने के बारे में बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र के बेंजीन की सप्लाई करने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां; परन्तु भिलाई इस्पात कारखाने के रिकार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रत्याशितविनियोक्ताओं को सप्लाई की गई बेंजीन की वास्तविक मात्रा 5,100 टन है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को स्टेनलेस स्टील का आवंटन

8131. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन राज्यों को कितनी-कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील का आवंटन किया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम का उत्पादन

8132. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री राम प्रकाश :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश द्वारा बिजली की सप्लाई बंद कर दिये जाने के कारण एल्यूमिनियम का उत्पादन बंद कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Steps for security of India

8133. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Defence** be pleased to state the measures of the Government of India are contemplating to take for the security of India in the face of the naval base set up by the U.S.A. in Diego Garcia ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : The Government are fully seized of the problem that would be created by the setting up of U.S. Naval Base in Diego Garcia. The Defence policy of the Government of India is directed towards strengthening the naval arm towards coping with its immediate objectives *viz*; safeguarding our coastal waters and island possessions and protection of our sea-borne trade. The prime considerat ion would, however, be the security of the country. The plans for defence are kept under review from time to time and the nation's security will not be allowed to be jeopardised.

Jawans and para-military personnel missing during Indo-Pak war of 1971

8134. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Indian jawans and para-military personnel reported missing in Indo-Pak conflict of 1971, who could not be traced out so far; and

(b) the action being taken and proposed to be taken for tracing them out ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The present number of missing Indian Military and para-military personnel is 274.

(b) The question of tracing missing Indian personnel was taken up with the Government of Pakistan through the Committe of International Red Cross and the Swiss Embassy in India. The Committee of International Red Cross have since intimated that no more Indian Military and para-military personnel are held in Pakistani custody. The matter was also informally discussed with the Pakistan Foreign Office officials during Indo-Pakistan discussions in August, 1973. Although, Pakistan side emphasized that they have no more Indian military or para-military personnel, they assured that they would make another thorough search to ensure that no such personnel are held in their custody.

During the Pakistan Delegation's stay in New Delhi between April 4, 1974 and 9th April, 1974, an *aide-memoire* was handed over to them requesting that the missing Indian military and para-military personnel should be located and repatriated to India. Moreover, in the Joint Communique issued at the conclusion of the discussions between the

Indian and Pakistani Delegations, it has specifically been provided that further efforts should be made by either country to locate such missing military and para-military personnel. The two countries also agreed in this regard to afford all necessary facilities to the Tracing Agency of the International Committee of Red Cross to locate such persons.

गुजरात राज्य के लिए 1974-75 में स्वास्थ्य केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए निश्चित की गई धन राशि

8135. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री बेकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य के लिये वर्ष 1974-75 में स्वास्था केन्द्रों तथा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिये जिलेवार कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : गुजरात के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 1974-75 की वार्षिक योजना में 185 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस रकम में से 100 लाख रुपये निम्नलिखित कार्यों के लिए रखे गये हैं:—

(क) प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना ;

(ख) प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या के लिये एक उप-केन्द्र खोलना ;

(ग) इमारतों की कमी को पूरा करना जिनमें वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के रिहायशी मकान भी शामिल हैं ;

(घ) प्रत्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के मूल्य की और प्रत्येक उप-केन्द्र के लिए प्रतिवर्ष 2,000 रुपये के मूल्य की दवाइयां देना ; और

(ङ) प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे 30 पलंगो वाला ग्राम अस्पताल बनाना तथा उसमें राज्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, प्रसूति, स्त्रीरोग और संवेदनाहर सम्बन्धी विशिष्ट सेवाओं की व्यवस्था करना।

राज्य सरकार को भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिये जिनमें परिवार नियोजन केन्द्र भी शामिल हैं परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है । यह सहायता उन्हें जिला या केन्द्रवार न देकर समूचे राज्य के लिए दी जाती है । केन्द्रों और जिलों को धन का वितरण करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । गुजरात को परिवार नियोजन कार्य के लिए कितना धन दिया जाए इसका अभी निर्णय होना शेष है।

इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए किया गया इस्पात नियतन

8136. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात प्राथमिकता समिति विभिन्न राज्यों को इस्पात का नियतन प्रत्येक तिमाही में करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश को किया जाने वाला त्रैमासिक नियतन 3000 से 4000 टन तक का होता है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह नियतन बढ़ाने के लिए कहा है क्योंकि स्वनियोजन योजनाओं के अलावा राज्य में 2000 से अधिक इस्पात की खपत वाले कारखाने हैं ; और

(घ) इस अनुरोध को देखते हुए, सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन इस्पात का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है । मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात के प्रेषणों का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है जो किसी विशेष अवधि में इस्पात की उपलब्धि, इस्पात के अन्ततः उपयोग जिसके लिए इस्पात की मांग की गई हो, तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है । पहले आबंटन त्रैमासिक आधार पर किए जाने जाते थे परन्तु भविष्य में अर्धवार्षिक आधार पर किए जाएंगे ।

आंध्र प्रदेश में पुनर्बेलन मिलें

8137. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश स्थिति 37 पुनर्बेलन मिलों की कुल पुनर्बेलन क्षमता 1,35,000 टन प्रतिवर्ष हैं ;

(ख) यदि हां तो, क्या इन मिलों को कच्चे माल के अभाव में काफी हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ग) क्या इस कमी को देखते हुए सरकार ने राज्य का पुनर्बेलन योग्य रद्दी का कोटा बढ़ाने का निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) बिलेट और अन्य पुनर्बेलन योग्य सामग्री जिसकी देश की पुनर्बेलन मिलों को आवश्यकता होती है कि सामान्य कमी है । एक राज्य के आबंटन में वृद्धि करने का अर्थ यह होगा कि दूसरे राज्यों के आबंटन में कमी करनी पड़ेगी इसलिए इस समय आंध्र प्रदेश को दिए जाने वाले पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप के कोटे में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है ;

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अछूते कोयला-युक्त क्षेत्रों का विदोहन

8138. **श्री धामनकर** :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व कोयला खान मालिकों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को देश में अछूते कोयला युक्त क्षेत्रों से कोयला निकालने की अनुमति देने के लिए सरकार की कोयला नीति में समुचित परिवर्तन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात उपभोक्ता मंत्रालयों द्वारा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि पर आपत्ति उठाना

8139. **श्री धामनकर :**

श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस्पात की खपत करने वाले अन्य मंत्रालयों एवं वित्त मंत्रालय की आपत्ति के कारण इस्पात का मूल्य नहीं बढ़ा पा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : जी, नहीं।

राज्यों को ट्रैक्टरों का वितरण और इनकी निर्माण लागत तथा बिक्री मूल्य

8140. **श्री हाजी लुतफल हक :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यों को राज्यवार कितने ट्रैक्टरों का वितरण किया गया ; और

(ख) ट्रैक्टरों की निर्माण लागत क्या है और इस समय उन्हें कितने मूल्य पर बेचा जाता है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कृषि ट्रैक्टरों का वितरण राज्य-वार न करके प्राधिकृत बिक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है।

(ख) ट्रैक्टरों की उत्पादन लागत के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। विभिन्न मेकों के ट्रैक्टरों के वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार है :—

ट्रैक्टर के माडल का नाम	बिक्री मूल्य (स्थल तक रेल भाड़ा मुक्त-निकटस्थ रेल हेड तक) (रुपये में)
1. हिन्दुस्थान (35 अ० श०) . .	28,930
2. आई० एन० टी० बी०—275/276 (35 अ० श०)	28,930*
3. एम० एफ०—1035 (35 अ० श०)	28,930
4. एस्कार्ट—335 (35 अ० श०)	28,930*
5. एस्कार्ट—3036 (35 अ० श०) .	28,930*
6. आई० एन० टी०—434 (अ० श०)	32,560
7. फोर्ड—3000 (46 अ० श०)	39,155
8. जीटर—2511 (25 अ० श०)	23,650
9. आईशर– (26.5 अ० श०)	27,720
10. स्वराज—724 (23.6 अ० श०)	27,720
11. पिट्टी—4000 (37 अ० श०) . . .	28,930
12. हिन्दुस्तान (50 अ० श०)	39,155

*यदि ट्रैक्टर में आटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल डिवाइस न लगी हो तो इसका विक्रय मूल्य केवल 27,720 रुपये होगा।

(बिक्री मूल्य में 1000 रुपए बिक्रेता का कमीशन और 10 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क सम्मिलित हैं)।

पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग के कारखानों के कर्मचारी

8141. **श्री हाजी लुतफल हक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग के कारखानों में कारखानावार कुल कितने कर्मचारी हैं और उनके अलग-अलग वेतनमानों सहित उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पश्चिम बंगाल में भारी उद्योग मंत्रालय के केवल दो एकक है अर्थात् माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर और जेसप एण्ड कंपनी कलकत्ता। उनके कर्मचारियों का एकक-वार और श्रेणीवार ब्यौरा तथा उनके वेतन मान बताने वाला एक विवरण सलंग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6830/74]

राजस्थान के गंगानगर जिले में वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सम्पत्ति की हानि

8142. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण ढोर तथा अन्य सम्पत्ति का कुल कितनी नुकसान हुआ और कितने परिवारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

(ख) इस हानि के मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई और इसमें से कितनी धनराशि दे दी गई है; और

(ग) अब तक मुआवजे का भुगतान न किए जाने के क्या कारण है और पूरा मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार गंगानगर जिले में कुल 28,491 रुपये की हानि हुई और 1044 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार को कुल 126 लाख रुपए की धन राशि दी गई थी और उन्होंने सूचित किया है कि उसमें से 114 लाख रुपए खर्च किए गए हैं जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को अपने गांव में वापिस आने पर भरण-पोषण के लिए अनुदान, गंगानगर जिले में 2,04,220 रुपए फसल का मुआवजा सम्मिलित है । राज्य सरकार पूर्वोक्त हानि के लिये धन दे रही है।

सहायक श्रम आयुक्त, आसाम के लिए कर्मचारियों और वाहन की व्यवस्था

8143. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के सहायक श्रम आयुक्त के पास राज्य के विस्तृत क्षेत्र का दौरा करने के लिए वाहन तथा कर्मचारी नहीं हैं ;

(ख) क्या उनको सौंपे गए मामलों की ओर बहुत समय तक ध्यान नहीं दिया जाता है ;

(ग) उक्त अधिकारी के अन्तर्गत कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं ; और

(घ) सरकार का वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान कर उक्त कार्यालय को सुदृढ़ करने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

23 LSS/74—5

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कोई वाहक एक मात्र रूप से सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) गोहाटी के लिए नहीं दिया गया है, तथापि, जब कभी आवश्यक होता है, जब वे अपर असम जाते हैं और दौरा करते हैं तो एक जीप दी जाती है। सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) गौहाटी, के कार्यालय की स्वीकृत कर्मचारी-वर्ग की संख्या 1 अपर श्रेणी लिपिक, 1 आशुलिपिक, 1 निम्न श्रेणी लिपिक और दो चपड़ासी हैं, जो कि इस प्रकार के कार्यालयों के कर्मचारी-वर्ग की सामान्य संख्या है।

(ख) सामान्यतया मामलों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

(ग) अन्तर्गत लाए गए राज्य और संघ शासित क्षेत्र (1) असम, (2) मेघालय, (3) नागालैंड, (4) मणिपुर, (5) त्रिपुरा, (6) अरूणाचल-प्रदेश और (7) मिजोरम हैं।

(घ) जिन क्षेत्रीय अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीपें दी जानी हैं उनकी सूची में सहायक श्रमायुक्त (के०) गौहाटी को भी सम्मिलित किया गया है।

कोयले का उत्पादन

8145. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के 790 लाख टन के उत्पादन के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर वर्ष 1974-75 में 950 लाख टन तक करने के आयात-कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इस समय कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम क्यों हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले की बढ़ती हुई मांग, विशेषतया चालू तेल-संकट के संदर्भ में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, उत्पादन को वर्तमान 780 लाख टन प्रत्याशित स्तर से बढ़ाकर 1974-75 के दौरान 950 लाख टन करने का प्रस्ताव है। उत्पादन में यह वृद्धि कोयला खान प्राधिकरण के मध्य और पश्चिमी प्रभागों की 'ओपन कास्ट' और यंत्रीकृत खानों में गहन कार्यों द्वारा बंद खानों को चालू करके ; तथा सात कार्य-दिवसों के सप्ताह की शुरूआत करके प्राप्त की जाएगी और जहां कहीं संभव होगा मजदूर संघों आदि से सलाह करके तीन पारियों की बजाए एक दिन म चार पारियां चलायी जाएंगी। यद्यपि 1973-74 में कोयले का उत्पादन पिछले किसी भी एक वर्ष के उत्पादन से अधिक रहा है किंतु चौथी योजना के लक्ष्य की तुलना में उसमें गिरावट आई है जिसके मुख्य कारण हैं--भूतपूर्व खान मालिकों द्वारा कम पूंजी निवेश से कोयला खानों का त्वरित विकास न होना, वैंगनों की कमी, विस्फोटक पदार्थों की कमी तथा चालू वर्ष के शुरू में पूर्वी क्षेत्र में बिजली का अभाव।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में चाय बागानों के पास कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

8146. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इस समय कितने चाय बागानों की ओर भविष्य निधि की राशि बकाया है · और

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बकाया है तथा इन बागानों से यह राशि वसूल करने के लिए राज्य सरकारें क्या उपाय कर रहीं हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में 1971 और 1972 में बिजली तथा कच्चे माल की कमी के कारण जबरी छुट्टी किए गए श्रमिक

8147. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के उन कारखानों के नाम क्या हैं जहां बिजली की कमी के कारण 1971, 1972 के दौरान श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई और कारखाने वार कितने श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई ;

(ख) उक्त अवधि में कितने श्रमिकों की जबरी छुट्टी की गई तथा कितने जनदिवसों की हानि हुई ; और

(ग) राज्य में उक्त अवधि में कच्चे माल की कमी के कारण कितने कारखाने बंद किए गए, इससे कितने श्रमिक प्रभावित हुए तथा कितने जनदिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं

8148. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री मुल्की राज सैनी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में खेतिहर श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी थी ;

(ख) सरकार ने खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के लिए देश में राज्यवार अब तक कितनी बड़ी कल्याण योजनाओं को मंजूरी दी है और इन योजनाओं की अब तक योजनावार क्रियान्वित की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में खेतिहर श्रमिकों के कल्याण के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में श्रमिक विवादों में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग

8149. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में श्रमिक विवादों में भारत रक्षा नियमों का प्रयोग कितनी बार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों में रक्त प्लाज्मा संयंत्र उपलब्ध न होना

8150. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर के सरकारी अस्पतालों में रक्त प्लाज्मा संयंत्र जो कैंसर के रोगी के उपचार के लिये नितान्त आवश्यक है, उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता में कैंसर केन्द्रों की उक्त अत्यावश्यक संयंत्र उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में अन्य कैंसर केन्द्रों में भी उक्त संयंत्र उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और उक्त संयंत्र प्राप्त करने और उन्हें प्रत्येक केन्द्र में लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) कलकत्ता नगर के केन्द्रीय रक्त बैंक में एक प्लाज्मा संयंत्र है । कैंसर के मामलों में प्लाज्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती अतः मशीनों को प्राप्त करने अथवा उन्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में स्टेनलेस स्टील की सप्लाई

8151. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, पश्चिम बंगाल में उत्पादन एककों तथा अन्य एककों को वर्षवार कितनी मात्रा में स्टेनलैस स्टील की सप्लाई की गई ;

(ख) पश्चिम बंगाल में कुल उत्पादित इस्पात की देश की मंडी में कितनी खपत हुई और इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इसके उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन दिया गया है और यदि हां, तो एकक वार तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों में राज्य को कितना मात्रा में स्टैनलैस स्टील की आवश्यकता थी और केन्द्र सरकार ने कितनी मात्रा में इसकी सप्लाई की ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दुस्तान स्टील वर्कस का विस्तार

8152. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स को लाभ नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन और लाभ हुआ ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स के लिये कोई विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें वर्ष वार कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० कोई उत्पादन इकाई नहीं है परन्तु यह कम्पनी इस्पात कारखानों तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य करती है । पिछले 3 वर्षों में इस कम्पनी ने कुल जितने रुपयों का काम किया तथा इसको जितना लाभ हुआ उस का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1970-71	1971-72	1972-73
कुल जितने रुपयों का काम किया	32 करोड़ रुपये	40 करोड़ रुपये	50 करोड़ रुपये
टैक्स देने के पश्चात्	23.63 लाख रुपये	27.73 लाख रुपये	35.73 लाख रुपये

(ग) और (घ) इस कम्पनी का विस्तार मुख्यत: इस्पात के विकास कार्यक्रम पर निर्भर है । आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक कम्पनी की कुल आर्वत लगभग 60 से 65 करोड़ रुपये हो जाएगी ।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग

8153. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य के कितने औद्योगिक एकक कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत हैं और इन एककों में कितने कर्मचारियों को भविष्य निधि की सदस्यता दी गई है ; और

(ख) कितने औद्योगिक एककों एवं कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया गया है और इन एककों एवं श्रमिकों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के कपड़ा मिलों में पारिवारिक पेंशन योजना

8154. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कपड़ा मिलों में 31 अक्तूबर, 1971 तक पारिवारिक पेंशन योजना को स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इन मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या श्रमिकों ने इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है । यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

कोयले के उत्पादन और वितरण की देख-रेख के लिए कर्मिदल (टास्क फोर्स)

8155. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले के मूल्यों के अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इन मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन और वितरण से संबद्ध गतिविधियों को तेज करने, उनकी दख-रेख करने और उनमें समन्वय लाने तथा इस प्रयोजनार्थ वरीयताएं निश्चित करने के लिए कोई कर्मि-दल (टास्क फोर्स) बनाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड ने राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का मूल्य नहीं बढ़ाया है । भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

	17-10-71 को अर्थात् अधिग्रहण से पूर्व कोयले का मूल्य	मौजूदा मूल्य	औसत वृद्धि
	रु०	रु०	रु०
I. हिन्दुस्तान स्टील, उर्वरक निगम और दुर्गापुर परियोजनाओं को कोककर कोयले की सप्लाई :			
स्पेशल स्टील ग्रेड . .	45.00	86.45	92.11
इस्पात संयंत्र ग्रेड I	42.09	84.04	99.67
इस्पात संयंत्र ग्रेड II	39.87	81.82	104.97
प्रक्षालनशाला ग्रेड I	38.48	60.43	57.04
प्रक्षालनशाला ग्रेड II (क) .	37.35	59.30	58.77
प्रक्षालनशाला ग्रेड II (ख)	36.23	58.18	60.59
प्रक्षालनशाला ग्रेड III (क)	35.73	57.68	61.43
प्रक्षालनशाला ग्रेड III (ख)	35.23	57.18	62.30
प्रक्षालनशाला ग्रेड IV (क)	34.23	56.18	64.13
प्रक्षालनशाला ग्रेड IV (ख)	33.23	55.18	66.05
प्रक्षालनशाला ग्रेड V (क)	31.73	53.68	69.18
प्रक्षालनशाला ग्रेड V (ख) .	30.23	52.18	72.61

II. अकोककर कोयला	**स्टीम**	**स्लैक**	**स्टीम**	**स्लैक**	**स्टीम**	**स्लैक**
ग्रेड I .	34.26	33.23	42.00	39.00	22.59	17.36
ग्रेड II	31.25	29.00	38.00	35.00	21.60	20.69
ग्रेड III क	28.75	26.50	35.89	32.62	24.83	23.09
ग्रेड III ख .	27.50	25.00	34.74	31.45	26.33	25.80

गैर सरकारी इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किए गए कोककर कोयले में आजकल जो परिवर्तन किया गया है वह सभी ग्रेडों में रु० 0.30 प्रति टन अधिक है ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की पुनरीक्षा विषयक समिति का पुनर्गठन

8155. **श्री समर गुह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की पुनरीक्षण संबंधी समिति के वर्तमान कार्य-काल के समाप्त होने पर इसका पुनर्गठन करेगी जिससे कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की सभी शेष समस्याओं का सन्तोषजनक हल ढूंढा जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस समय पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में स्वाधीनता आन्दोलनों के लिए भारत का समर्थन

8157. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ़्रीका में एक भारतीय उच्चायुक्त ने मार्च के प्रथम सप्ताह में उस महाद्वीप में होने वाले स्वाधीनता आन्दोलनों के लिये भारत का समर्थन व्यक्त किया था; और

(ख) उन अन्य देशों के क्या नाम हैं जिनके स्वाधीनता आन्दोलनों को हम समर्थन दे रहे हैं तथा किस रूप में दे रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) दारेस्लाम में अफ़्रीकी मुक्ति आन्दोलनों के कुछ प्रतिनिधियों को दवाईयों की भेंट देते समय तंजानिया में भारत के हाई कमिश्नर ने यह वक्तव्य दिया था ।

(ख) भारत, अफ़्रीका में पुर्तगाली उपनिवेशों के और श्वेत अल्पसंख्यक शासनाधीन अफ़्रीकी देशों के ऐसे मुक्ति आन्दोलनों को पूर्ण समर्थन देता रहा है जिन्हें अफ़्रीकी एकता संगठन मान्यता देता है।

हिन्द महासागर में युद्ध पोत रखने में अमरीका व सोवियत संघ के बीच होड़

8158. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने घोषणा की है कि वह हिन्द महासागर में सोवियत संघ के बेड़े के समान ही अपने युद्धपोत भेजेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमरीका सरकार द्वारा भेजे जाने वाले उक्त युद्धपोत उसके सातवें बेड़े का एक अंग होंगे अथवा वे कोई अन्य युद्धपोत होंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अमरीकी सरकार की ऐसी किसी घोषणा के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है । लेकिन, बताया जाता है कि अमरीका के रक्षा मंत्री, श्री श्लेसिंगर ने 30 नवम्बर, 1973 को यह कहा था कि हिन्द महासागर के क्षेत्र में अमरीकी नौसैनिक पोतों का आवागमन पहले से ज्यादा और अधिक नियमित हो जायगा ।

(ख) 1972 के प्रारम्भ से अमरीकी सरकार ने हिंद महासागर को सातवें बेड़े की कमान में दे दिया है ।

(ग) हिन्द महासागर के विषय में हम अपनी नीति कई बार बता चुके हैं । किसी एक बड़े राष्ट्र की बड़े पैमाने पर सैनिक उपस्थिति से दूसरे बड़े राष्ट्रों की नौसेनाएं आकर्षित होंगी ही । इसलिये, हिन्द महासागर में अमरीकी "टास्क फोर्स" की उपस्थिति पर हम को गंभीर चिन्ता है और दियगो गार्सिया में सैनिक सुविधाओं का विस्तार करने के अमरीकी निर्णय के बारे में हम अपनी चिन्ता संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटिड किंगडम की सरकारों के समक्ष व्यक्त कर दी हैं ।

विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव

8159. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने सरकार से अनुरोध किया है कि विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में महानगर परिषद् के सदस्यों के नामों को शामिल किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस से सहमत नहीं है; और

(ग) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दिल्ली में पुनर्वास

8160. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए ऐसे कुल कितने शरणार्थी हैं जिन्हें अभी तक दिल्ली में नहीं बसाया गया है और वे कितने समय से यहां रह रहे हैं ;

(ख) इन व्यक्तियों के पुनर्वास में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे सभी शरणार्थियों को कब तक बसा दिया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दिल्ली में बसाने के लिये कोई योजना नहीं है और दिल्ली में ऐसे कोई शरणार्थी नहीं हैं जो बसने की प्रतीक्षा में हों ।

तथापि, स्थानीय प्राधिकारियों के साथ अपना मामला उठाने की बजाय, इनमें से कई परिवार पुनर्वास स्थलों/राहत शिविरों से यहां आ रहे हैं । उन्हें वापिस भेजने और स्थानीय तौर पर अपने मामले उठाने के लिये राज़ी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के लोक-स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विंग के लिए पांचवीं योजना में नियतन

8162. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विंग के लिये पांचवीं योजना में किये गये 40 लाख रुपये के नियतन का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन ने इस विंग को तुरन्त बन्द कर देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कीनिया में लाइसेंस रद्द किये गये एशियाई व्यापारियों को देश छोड़ने का आदेश

8163. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कीनिया सरकार ने लाइसेंस रद्द किये गये एशियाई व्यापारियों को कीनिया छोड़ने का आदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार को मालूम है कि कीनियाईकरण की अपनी नीति के अनुपालन में, कीनिया की सरकार 1962 से प्रत्येक वर्ष उन गैर-नागरिकों के नाम अधिसूचित करती आई है जिनके व्यापार लाइसेंस नवीकृत नहीं किये जाने होते । ऐसे सभी गैर-नागरिकों को देश छोड़ने के नोटिस दिये गये थे । यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है । वर्तमान नीति के जोरदार कार्यान्वियन के उद्देश्य से कीनिया में हाल ही में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया है ।

(ख) भारत की सरकार को कीनिया की सरकार के इस आश्वासन में विश्वास है कि इन गैर-नागरिकों को सुव्यस्थित ढंग से देश छोड़ने के लिये कहा जायेगा, अपना काम-काज समेटने के लिये पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा और एक मुनासिब मात्रा में अपनी आस्तियां प्रत्यावर्तित करने की इजाज़त दी जायेगी जिससे कि वे कहीं अन्यत्र बस सकें ।

संसद सदस्यों को स्कूटरों और कारों का आवंटन

8164. **श्री अम्बेश :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 **सितम्बर,** 1973 तक गत पांच वर्षों में लोक सभा तथा राज्य सभा के किस-किस सदस्य को एक से अधिक **वैस्पा, लैम्ब्रेटा, कार,** पृथक-पृथक आवंटित किये गये ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : लोक सभा और राज्य सभा के इन सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिन्हें गत तीन वर्षों की अवधि में 30 सितम्बर, 1973 तक एक से अधिक संख्या में वैस्पा, लैम्ब्रैटा स्कूटर या कार का आवंटन किया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम		गाड़ी की टाइप
1	2		3
	सर्व/श्री		
1.	बिद्दिका सत्यानारायन	(लोक सभा)	बजाज स्कूटर
2.	पाओकाई हाओकिथ	--वही--	--वही--
3.	शिव पूजन शास्त्री	--वही--	--वही--
4.	श्याम लाल यादव	(राज्य सभा)	--वही--
	सर्व/श्री		
1.	अमृत लाल नाहटा	लोक सभा	कार
2.	बाल गोबिन्द वर्मा	--वही--	--वही--
3.	वेदव्रत बरुआ	--वही--	--वही--
4.	सी० चित्तिबाबू	--वही--	--वही--
5.	सी०के० जफर सरीफ	--वही--	--वही--
6.	दिग्विजय नारायण सिंह	--वही--	--वही--
7.	जी० वेंकटस्वामी	--वही--	--वही--
8.	जी०वाई० कृष्णन	--वही--	--वही--
9.	हरीसिंह	--वही--	--वही--
10.	ज्वाला प्रसाद दुबे	--वही--	--वही--
11.	कृष्ण चन्द्र पाण्डे	--वही--	--वही--
12.	लक्ष्मण काकाद्या डमडा	--वही--	--वही--
13.	एम०एम० हाशिम	--वही--	--वही--
14.	मोहम्मद शफी कुरेशी	--वही--	--वही--
15.	एम०सत्यनारायण राव	--वही--	--वही--
16.	पी०नरसिंह रेड्डी	--वही--	--वही--
17.	पी० वेंकटासुबैया	--वही--	--वही--

1	2		3
	सर्व/श्री		
18.	ग्रार०ग्रार०शर्मा	लोक सभा	कार
19.	एस०एम० कुमारमंगलम्	--वही--	--वही--
20.	एम०एन० सिंह	--वही--	--वही--
21.	सरदार स्वर्ण सिंह	--वही--	--वही--
22.	सिदारामेश्वर स्वामी	--वही--	--वही--
23.	शंकर दयाल सिंह	--वही--	--वही--
24.	तुना उरांव	--वही--	--वही--
25.	वी०मायावान	--वही--	--वही--
26.	यमुना प्रसाद मंडल	--वही--	--वही--
27.	ए०पी० जैन	राज्य सभा	--वही--
28.	वी०के० देव	--वही--	--वही--
29.	बी०के० कौल	--वही--	--वही--
30.	धर्म चन्द जैन	--वही--	--वही--
31.	ग्राई०के० गुजराल	--वही--	--वही--
32.	मुतका गोविन्द रेड्डी	--वही--	--वही--
33.	ग्रोम प्रकाश त्यागी	--वही--	--वही--
34.	प्रोफैसर एस०नुरुल हसन	--वही--	--वही--
35.	एस०एम०राजेन्द्रन	--वही--	--वही--
36.	थिलाई विल्लन	--वही--	--वही--

दिनांक 1-10-70 से 30-9-73 तक की ग्रवधि में किसी भी संसद सदस्य को एक से ग्रधिक लैम्ब्रेटा स्कूटर का ग्रावंटन नहीं किया गया है।

रक्षा मंत्रालय के ग्रनुसूचित जातीय तथा ग्रनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों को चयन ग्रेड

8165. **श्री ग्रम्बेश : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में किसी भी ग्रनुसूचित जातीय तथा ग्रनुसूचित जनजातीय कर्मचारी को गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के उपबन्धों के ग्रनुसार चयन ग्रेड नहीं दिया गया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) ग्रौर (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

Illegal Strikes in Public Sector Undertakings

8166. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state: the number of strikes in the public sector undertakings during the last two years which were in violation of law and as a result of which the wages of the labourers were deducted?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Proposal to discourage overtime allowance payment

8167. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the amount of overtime allowance paid to the employees of his Ministry in 1971, 1972 and 1973, separately, category-wise; and

(b) whether Government propose to discourage overtime payment?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) The amount of overtime allowance paid to the employees of Defence Ministry in 1971, 1972 and 1973, separately, category-wise, has been given in the attached statement.

(b) Grant of overtime allowance is governed by the general orders issued by the Ministry of Finance from time to time. Internal instructions have, however, been issued by this Ministry from time to time to keep the overtime expenditure to the minimum.

STATEMENT

Statement showing the overtime allowance paid to the employees of the Ministry of Defence during 1971 to 1973

Year	Assistants	Steno. Gde. II	Steno. Gde. III	UDCs	LDCs	Chauffeurs	Class IV
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1971	73,596.60	1,06,388.45	45,656.25	19,503.50	80,295.00	9,603.70	85,509.00
1972	63,526.90	1,16,898.00	46,511.75	20,711.60	52,690.90	11,912.70	68,859.95
1973	64,489.40	1,12,443.95	49,676.05	20,348.75	58,939.85	12,883.60	65,578.00

Payment of Medical Reimbursement to Employees of Health Department

8168. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the amount of medical reimbursement bills paid to the employees of the Health Department in 1971, 1972 and 1973, separately; and

(b) the number of employees of the said Department who claimed fictitious medical bills in collusion with the doctors during the last three years indicating the amount so claimed by them as also the punitive action taken against the doctors concerned?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku):

(a) The amount of medical re-imbursement bills paid to the employees of the Department in 1971, 1972 and 1973 are as follows:—

Year	Amount Rs.
1971	2805.70
1972	1932.65
1973	3035.25

(b) Nil.

अत्यन्त आधुनिक वायु-रक्षा उपकरणों का निर्माण

8169. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-वायु-रक्षा संबंधी अत्यन्त आधुनिक साज-सामान का निर्माण करेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या इसके लिये कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने गाज़ियाबाद में अपनी दूसरी यूनिट में वायु-रक्षा के लिये आधुनिकतम सूक्ष्मतरंग और राडार उपस्कर का निर्माण हाथ में लिया है ।

(ख) इस फैक्टरी को स्थापित करने में पूंजीगत लागत का अनुमान 11.5 करोड़ रुपए है ।

(ग) विदेशी तकनीकी सहायता अथवा संयंक्त विकास सहयोग का उपयोग केवल दो विशेष प्रकार के राडारों के बारे में किया जा रहा है । शेष उपस्करों का निर्माण पूर्णतया स्वदेशी विकास प्रयत्नों पर आधारित होगा ।

परिवार नियोजन संबंधी नई नीति के गठन हेतु राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक

8170. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवार नियोजन की समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक नई नीति का ब्यौरा तैयार करने हेतु हाल ही में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक होने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नई नीति में प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की संयुक्त बैठक 5 अप्रैल से 7 अप्रैल, 1974 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख) जी, हां ।

श्री लंका में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण भारतीय मूल के बागान श्रमिकों की मृत्यु

8171. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका की सेंट्रल हाई हिल्ज में मुख्यतः चाय बागानों में काम करने वाले भारतीय मूल के कुछ बागान श्रमिकों की उस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की भारी कमी के कारण मृत्यु हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं। इन समाचारों के अनुसार श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने बागान मजदूर नेताओं से बागानों में मजदूरों की दशा पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इसके सुधार के उपाय करने का वचन दिया है।

(ख) यह घरेलू मामला है और श्रीलंका सरकार इस पर पहले ही विचार कर रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करने के कारण मुकदमे

8172. **श्री रामचन्द्र कडनापल्ली** :

श्री वयालार रवि :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि की राशि न जमा करने के कारण गत छः महीनों में, राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये ; और

(ख) बकाया राशि वसूल करने तथा राशि जमा न करने वालों को दण्ड देने के लिये आगे क्या कार्यवाई करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है। यह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में खनिजों का निकाला जाना

8173. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **इस्पात और खान** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में खोजी गई खनिज सम्पदा निकालने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस समय हिमाचल प्रदेश में बैराइट्स, जिप्सम, चूना-पत्थर और नमक (खनिज) निकाला जाता है। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि हिमालच प्रदेश के सिरमूर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण और राज्य सरकार द्वारा खोजे गये चूना-पत्थर निक्षेपों पर आधारित बड़े और लघु पैमाने के सीमेंट संयंत्र स्थापित किये जायें। भारतीय सीमेंट निगम द्वारा पहले ही सिरमूर जिले के राजबन में सीमेंट कारखाने के निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसमें लगभग 2 लाख टन सीमेंट का वार्षिक उत्पादन होने की आशा है।

पांचवीं योजना-अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में न्यूनतम चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने सम्बन्धी योजना

8174. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में न्यूनतम चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने के लिए मंत्रालय ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्यों में उन बीमारियों के लिये अस्पतालों को खोलने की कितनी योजनायें हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा फैलती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) पांचवीं योजना में स्वास्थ्य के अधीन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को मख्यत: समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जिनमें देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग तथा पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं इलाज की न्यूनतम सुविधायें देने के लिये तैयार किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन इलाज की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सभी राज्यों पर लागू होने वाले प्रतिमान इस प्रकार हैं:--

(1) प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के लिये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना,

(2) 10,000 की आबादी के लिये एक उप केन्द्र खोलना,

(3) रेफरेल सेवायें प्रदान करने के लिये 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें तीस पलंगों वाला देहाती अस्पताल बनाना।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मोटे तौर पर इन प्रतिमानों के अनुरूप होंगे। जिन क्षेत्रों में मलेरिया, चेचक, रतिरोग, क्षय रोग, कुष्ठ, रोहे आदि बीमारियों से अधिक लोग ग्रस्त होते हैं, उनको राष्ट्रीय उन्मूलन / नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों के लिये क्रमश: 418.50 लाख रुपये और 325 लाख रुपये का परिव्यय दर्शाया गया है। इसके वास्तविक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं:--

	मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	दर्जा बढ़ाये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या
हिमाचल प्रदेश . . .	75	17
जम्मू व काश्मीर	76	12

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

8175. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में 31 मार्च, 1974 को कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) क्या पारपत्रों को शीघ्रता से जारी करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये मंजूरी देने का सरकार का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) 31-3-74 तक, 1689 आवेदन पत्र शेष थे क्योंकि वांछित जांच पड़ताल और सत्यापन के परिणाम तब तक प्राप्त नहीं हो पाये थे। क्रियाविधि के पूरे होते ही सभी आवेदन पत्रों को निपटा दिया जायेगा। कार्यभार को निपटाने और अविलम्ब पासपोर्ट जारी करने के लिये वर्तमान अमला पर्याप्त समझा जाता है। सरकार अमले की स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती रहती है और कर्मचारी बढ़ाने के प्रश्न पर केवल उसी समय विचार किया जाता है। जबकि बढ़े हुये कार्यभार के परिपेक्ष्य में इसकी आवश्यकता महसूस होती है।

हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को कोयले की सप्लाई

8176. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 1973-74 की गत दो तिमाहियों में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों को अलग अलग कोयले का कितना कोटा सप्लाई किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि में इन राज्यों को की गई कोयले की मासिक सप्लाई सामान्य रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों को लघु उद्योगों के लिये ईंट भट्ठे के कोयले, साफ्ट कोक, हार्ड कोक तथा स्टीम कोयले के संचलन का मासिक कोटा इस प्रकार है:—

हिमाचल प्रदेश	312 बैगन (चार पहिये वाले)
हरियाणा	2030 बैगन (चार पहिये वाले)

इन आंकड़ों में उद्योगों तथा बिजलीघरों को केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कोयले की ढुलाई के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) बंगाल/बिहार कोयला क्षेत्रों से अपनी सभी प्रकार की कोयला सम्बन्धी जरुरतों की पूर्ति पाने वाले इन राज्यों को कोयले के लदान और प्रेषण में इन इलाकों में कर्मचारी व जन आन्दोलन के कारण 1973-74 के दौरान भारी कमी का सामना करना पड़ा।

जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तथा दिल्ली में भोज्य विषाक्तता के मामले

8177. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चन्डीगढ़ तथा दिल्ली में राज्यवार, भोज्य विषाक्तता के कितने कितन मामले पाये गये;

(ख) राज्यवार कितने कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये तथा सजा दी गई; और

(ग) क्या सरकार भोज्य विषाक्तता के विरुद्ध कुछ और अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धुएं की समस्या सम्बन्धी आयोग की स्थापना

8178. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में धुयें की समस्या को हल करने के लिये धुआं समस्या सम्बन्धी आयोग की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम और इसके निर्देशपद क्या हैं ;

(ग) क्या आयोग ने हाल ही में अपनी पहली बैठक की थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बम्बई धुआं समस्या सम्बन्धी अधिनियम लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्क) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत और यूनाइटेड अरब एमीरेट्स के बीच संयुक्त आयोग की स्थापना

8179. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूनाइटेड अरब एमीरेट्स के बीच आर्थिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग के लिये एक संयुक्त आयोग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आयोग के निर्देश पद और सदस्यों के नाम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगला देश के विदेश मंत्री के साथ बातचीत

8180. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के विदेश मंत्रियों के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक से पूर्व तैयारी के लिये वार्ता हुई थी। इस वार्ता से इस बैठक की सफल परिणति की दिशा में सहायता मिली, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय का ध्यान 10 अप्रैल, 1974 को सदन में विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है।

हिन्द महासागर में अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य देशों के सैनिग अड्डे

8181. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1974 को हिन्द महासागर अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा अन्य देशों के कितने अड्डे थे तथा वे किन किन स्थानों पर थे;

(ख) गत दस वर्षों में इन अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई अथवा कमी हुई है;

(ग) उनमें से कितने अड्डों तथा किन किन अड्डों पर पनडुब्बी घाट अथवा परमाणु प्रक्षेपणास्त्र प्रतिष्ठान हैं; और

(घ) भारत तथा अन्य तटवर्ती देशों ने इन अड्डों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हमारी सूचना के अनुसार हिन्द महासागर में निम्नलिखित नौसैनिक--अड्डे विद्यमान हैं:—

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका--बहरीन, कोक बर्न साउन्ड (आस्ट्रेलिया)

उत्तर पश्चिमी केप (आस्ट्रेलिया) और डियगो गार्सिया

(2) यू० के०—गान (अड्डू एटोल)

(3) फ्रांस—जिबूती, डियगो स्वोरज (मालागासी) रियूनियन द्वीप

(ख) डियगो गार्सिया में संयुक्त राज्य अमरीका के नौसैनिक एवं हवाई अड्डे की सुविधाओं में योजनाबद्ध विकास करना एकमात्र उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।

(ग) पनडुब्बियों के लिए किसी विशेष प्रकार की घाट सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके लिए भी वैसी ही घाट सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसी पानी के ऊपर वाले जहाजों के लिये। हिन्द महासागर में अभी कहीं भी तट पर नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र की व्यवस्थाएं होने के बारे में ज्ञान नहीं है।

(घ) हिन्द महासागर में किसी भी प्रकार के सैनिक विस्तार के विरुद्ध भारत तथा अधिकांश तटीय देशों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और विभिन्न रूपों में यह मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को लागू किया जाय जिसमें हिन्दू महासागर को हमेशा के लिय एक शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने की मांग की गई है।

इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ

8182. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के कर्मचारियों के पंजीकृत तथा मान्यताप्राप्त कार्मिक संघ कितने हैं;

(ख) क्या इंडियन व्यूरो आफ माइन्स एम्पलाईज यूनियन को मेम्बरशिप की पुष्टि के बाद मान्यता प्रदान की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस यूनियन को संयुक्त सलाहकार मशीनरी में शामिल होने से रोक देने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा संघों को मान्यता प्रदान करने के कोई औपचारिक नियम नहीं हैं क्योंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों की मान्यता) नियम, 1959 को आजकल प्रवर्धन में नहीं माना जाता है। नये मान्यता नियम बनने तक सरकार ऐसी नीति का अनुसरण करती रहेगी जिसमें सेवा संघों/यूनियनों के लिये दो प्रकार की मान्यता परिकल्पित है:—

(1) संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी में प्रतिनिधित्व हेतु तदर्थ मान्यता तथा (2) अनौपचारिक मान्यता, जिसके अधीन यूनियनों/एसोसियेशनों आदि को सरकार के साथ पत्र व्यवहार करने और यूनियनों/एसोसियेशनों के सदस्यों की समेकित शिकायतों के लिये प्रतिनिधित्व करने की सुविधाये प्राप्त हैं। संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के लिये भारतीय खान व्यूरो का राष्ट्रीय भारतीय खान कर्मचारी संघ एक मान्यता प्राप्त यूनियन है। परन्तु सरकार द्वारा भारतीय खान व्यूरो, कर्मचारी यूनियन को भी मान्यता दी जा चुकी है जिसे सरकार के साथ पत्राचार करने, यूनियन/एसोसियेशन आदि के सदस्यों की समेकित शिकायतों के लिये प्रतिनिधत्व करने की सुविधायें प्राप्त हैं। किन्तु उसे संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की योजनाओं के लिये, अन्य सरकारी विभागों में सेवा संघों के लिये अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, मान्यता प्राप्त करने का वास्तविक अधिकार नहीं है।

हास्पेट में लौह अयस्क की खानें

8183. **श्री इन्द्रजीत गुप्ट** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में हास्पेट में लौह अयस्क की खानों के प्रबन्धकों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ अलाभप्रद ठेके के तर्क पर खानों के कार्य संचालन को बन्द करने अथवा अधिकांश कर्मचारियों की छटनी करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या खानों का, विशेषतया प्रस्तावित नये इस्पात संयंत्रों से उनके सानिध्य की बात को ध्यान में रखते हुये सरकारीकरण करने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लौह अयस्क की एक खान के प्रबन्धकों ने 29 मार्च को एक सूचना जारी की है कि जब तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें खान का परिचालन बन्द करना पड़ेगा।

(ख) जी नहीं ।

रूस की सहायता से लगाये जा रहे इस्पात कारखाने

8184. **श्री गजाधर मांझी : क्या इस्पात और खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस की सहायता से लगाये जा रहे किन किन इस्पात कारखानों का निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है ।

(ख) कौन कौन से इस्पात कारखानों का रूस की सहायता से विस्तार किया जायेगा और

(ग) किस प्रकार के उपकरणों की प्राप्ति के लिये हम सोवियत रूस पर निभर हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाये तो बोकारो का 40 लाख टन चरण का निर्माण कार्य समन्वित निर्माण कार्य-क्रम, जिसे पिछले वर्ष अन्तिम रूप दिया गया था, के अनुसार चल रहा है। बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता की 40 लाख टन चरण के साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके 47 लाख टन पिण्ड तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

रूसी सहायता प्राप्त दूसरा इस्पात कारखाना अर्थात् भिलाई इस्पात कारखाने की वार्षिक क्षमता पहिले ही 25 लाख टन इस्पात पिण्ड है और इस समय कारखाने का 40 लाख टन प्रति वर्ष तक विस्तार किया जा रहा है वर्तमान संकेतों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इस विस्तार कार्य के पूर्ण होने में कुछ विलम्ब हो जायेगा।

रूसी सहायता से भिलाई का 70 लाख टन और बोकारो का 1 करोड़ टन तक आगे विस्तार करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) आम तौर पर ऐसे उपस्करों का रूस से आयात किया जाता है जो देश में उपलब्ध नहीं हैं।

पोलैण्ड के विदेश मंत्री का दौरा

8186. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री वनमाली बाबू :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड के विदेश मंत्री ने मार्च, 1974 में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेंद्रपाल सिंह : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत में द्विपक्षीय मामलों पर और समान हित के अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई एक संयुक्त विज्ञप्ति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6831/74]**

विदेश मंत्री की (मिस्र यात्रा)

8187. **श्री वीरभद्र सिंह :**

श्री बनमाली बाबू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में मार्च, 1974 के महीने में मिस्र की यात्रा की थी और मिस्र की सरकार के साथ बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। विदेश मंत्री ने 17-18 मार्च, 1974 को मिस्र अरब गणराज्य की यात्रा की और मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से विचार-विमर्श किया इस बातचीत में पश्चिम एशिया, गुटनिरपेक्षता आन्दोलन और उपमहाद्वीप की स्थिति पर विचार विनिमय हुआ। विचाराधीन सभी विषयों पर दोनों पक्षों के मतों में समानता पाई गई।

केन्या में भारतीय

8188. **श्री एम० सुदर्शनम :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्या में कितने भारतीय रहते हैं; और

(ख) उनमें से कितनों ने केन्याई नागरिकता प्राप्त कर ली है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : 1973 के अंत में, लगभग 102,500 भारत मूलक लोग कीनिया में रह रहे थे। इनमें से लगभग 63,000 लोगों ने कीनिया की नागरिकता प्राप्त कर ली है। शेष में से लगभग 4,000 भारतीय राष्ट्रिक थे और बाकी लोगों के पास या तो यूनाइटेड किंगडम के पासपोर्ट थे या उनकी नागरिकता निश्चित नहीं थी।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में हड़तालें और तालाबन्दियां

8189. **श्री देवेन्द्रनाथ महाता :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में पटसन मजदूरों की श्रेणीवार और एककवार संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त अवधि में एककवार और यूनियनवार यूनियनों की संख्या तथा इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उक्त अवधि में इन पटसन मिलों में एककवार और वर्षवार कितनी हड़तालें और ताला-बंदियां हुई और इनमें कितने मजदूर शामिल हुए और कितने काम के घटों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल का उत्पादन

8191. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल, अपनी नियमित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इसकी स्थापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों में इसका कितना उत्पादन हुआ ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लि० की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार आंकी गई है:—

24,000 से 30,000 कारें।

5,000 से 7,500 वाणिज्यिक गाड़ियां।

गत तीन वर्षों में कारों और वाणिज्यिक गाड़ियों का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है:—

वर्ष	कारें	वाणिज्यिक गाड़ियां
(1)	(2)	(3)
1971	25,657	1,609
1972	25,757	1,547
1973	26,275	2,324

वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ियाँ क्वालिटी और कार्यकुशलता में अन्य मेकों की गाड़ियों की बराबरी नहीं कर सकती हैं और इसलिए उत्पादन मांग तक ही सीमित है।

आंशिक रूप से बन्द होने के कारण टिस्को संयन्त्र को हानि :

8192. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री प्रबोध चन्द्र

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कमी के कारण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी संयन्त्र के बहुत से एकक कुछ समय के लिये बन्द करने पड़े थे; और

(ख) यदि हां तो इस अवधि में उत्पादन की कितनी क्षति हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : रेलवे में श्रमिक अशान्ति के कारण बाहर से आने वाले कच्चे माल ईंधन-तेल आदि के परिवहन में हुई गम्भीर गड़बड़ी के परिणामस्वरूप फरवरी, 1974 में टिस्कों में कुछ आवश्यक कच्चे माल विशेषतया कोयले तथा कोक का स्टाक कम हो गया। इसलिए टिस्को को कारखाने के परिचालन में अत्यधिक कमी करनी पड़ी और इस परिचालन को न्यूनतम स्तर पर लाया गया जिससे महत्वपूर्ण मशीनरी को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। रेलवे में आन्दोलन समाप्त हो जाने के बाद भी कोयले तथा कोक के स्टाक में क्रमिक वृद्धि करने के लिए कारखाने के परिचालन को सीमित रखा गया। विशेष रूप से कोक भट्टियों की पुशिंग में गम्भीर रूप से कमी करनी पड़ी। इसके अलावा दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई भी आवश्यकता से कम थी। इन दोनों कारणों से फरवरी, 1974 में 43,000 टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की हानि हुई।

2. कोयले तथा कोक और बिजली की कम सप्लाई की समस्याएं मार्च, और अप्रैल में भी बनी रहीं। टिस्को ने बताया है कि मार्च, में 31,000 टन विक्रेय इस्पात तथा 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक 38,000 टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की हानि हुई है।

अफगानिस्तान के साथ आर्थिक समझौता

8193. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री प्रबोधचन्द्र

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अफगानिस्तान के साथ कोई आर्थिक समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेल्को एण्ड ट्यूब कम्पनी, जमशेदपुर के कर्मचारियों को बहाल करना

8194. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **श्रम** मंत्री 28 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार से मांगी गई टेल्को एण्ड टयूब कम्पनी, जमशेदपुर के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या यहां सभा में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के उद्देश्य से, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बहाल करने के लिए प्रबंधकों को विवश करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) :
बिहार सरकार से अपेक्षित सूचना अभी तक भी प्रतीक्षित है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा सुरक्षा कानूनों की अवहेलना

8195. **श्री डी० डी० देसाई :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा कानूनों की अवहेलना कर रही है

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञ का विचार है कि खुजमा कोयला खान के अध पतन का कारण इन्हीं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) इस बारे में समाचार-पत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) और (ग) खान सुरक्षा के महानिदेशक से दक्षिण खुजामा कोयला खान के धंसाव की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

इस्पात संयंत्रों के लिए प्रस्तावित रक्षित बिजलीघरों में कथित विलम्ब

8196. **श्री डी०डी० देसाई :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि अन्तर्मन्त्रालयी मतभेद के कारण इस्पात सयंत्रों के लिये रक्षित बिजलीघरों के बारे में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या इसकी वजह से इस्पात संयंत्रों को नुकसान हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(ख) और (ग) : इस्पात कारखानों के लिए रक्षित बिजली उत्पादन क्षमता बनाने अथवा उसमें वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है । बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानों के बारे में कुछ प्रस्तावों को पहले ही सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया है:

यह कहना ठीक नहीं है कि इस बारे में कोई अनावश्यक विलम्ब हुआ है अथवा इस विलम्ब के कारण इस्पात कारखानों को हानि हो रही है।

चयनात्मक और निर्बन्धनात्मक विदेशी सहयोग

8198. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय का विचार चयनात्मक और निर्बन्धानात्मक आधार पर विदेशी सहयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रक्रियाओं में सुधार किया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय विदेशी सहयोग के आवेदनों पर सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गए विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यवाही करता है ; यह कहना ठीक होगा कि विदेशी सहयोग चयनात्मक और निर्बन्धनात्मक हैं और इन पर देशी तकनोलाजी की उपलब्धता, सम्बन्धित उद्योग का स्वरूप, और अन्य सम्बन्ध बातों को ध्यान में रख कर अलग-अलग मामलों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

भारत सरकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय ने प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं—जिसकी मुख्य बातें संक्षेप में नीचे दी जाती हैं :—

(1) सरकार ने विदेशी सहयोग के आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए 1 नवम्बर, 1973 से एक नई प्रणाली प्रारंभ की है और औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक डिवीजन के रूप में एक औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय गठित किया गया है।

(2) नई प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वीकृति जारी करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। स्वीकृति पत्रों को जारी करने की अवस्था तक विदेशी सहयोग के आवेदनों को प्राप्त करन आदि में अन्तर्ग्रस्त सचिवालय के पहलुओं को औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रणाली के अन्तर्गत उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तु की स्वीकृत के लिए संयुक्त आवेदन लेकर आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ प्रकार के मामलों को विदेशी निवेश बोर्ड को भेजे बिना निपटाने हेतु प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियां प्रायोजित की गई हैं।

औद्योगिक स्वीकृति की नई प्रणाली का कार्यन्वयन अन्तः मंत्रालय समिति की देख रेख में होता है, जिसका नाम परियोजना स्वीकृति बोर्ड है। बोर्ड को सरकार के दिनांक 30 अक्तूबर, 1973 के संकल्प के अन्तर्गत गठित किया गया है। संयुक्त आवेदनों के सम्बन्ध में बोर्ड स्वीकृत समिति के रूप में कार्य करता है। यह एक उच्च स्तरीय मंच का भी काम करेगा, जहां पर अनेक आवेदनों को प्रभावित करने वाले नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर और नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्याख्या के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं पर विचार किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से उनका समाधान किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेदिक डाक्टरों और अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं

8199. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में अयुर्वेदिक डाक्टरों और अनुसंधान अधिकारियों के पद के लिए नियुत्ति हेतु क्या अर्हताएं आवश्यक हैं;

(ख) आयुर्वेद में उच्च प्रवीणता प्रमाण पत्र को कहां तक और किस प्रकार मान्यता दी गई है;

(ग) क्या यह प्रमाणपत्र डिग्री के बराबर हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में यह प्रमाणपत्र धारी वरिष्ठ पदों पर नियुक्त हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति के लिए क्या क्या अर्हताएं अनिवार्य हैं उनका एक विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन अनुसंधान अधिकारी के कोई पद नहीं हैं।

(ख) और (ग) : आयुर्वेद में भूतपूर्व स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर (जिसे अब गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में मिला दिया गया है) द्वारा दिया गया आयुर्वेद में उच्च प्रवीणता प्रमाणपत्र आई० एम० सी० सी० अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल है और इसे भारत सरकार के अधीन अनुसंधान अधिकारियों, आयुर्वेदिक चिकित्सकों आदि के पदों पर नियुक्ति के लिए आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डग्री के बारबर मान्यता दी गई है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद पर नियुक्ति के पद के लिए अनिवार्य अर्हताएं

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड परिषद्। भारतीय आयुर्विज्ञान सकाय से आयुर्वेद में डिग्री या डिप्लोमा।

(2) इस व्यवसाय में लगभग पांच वर्ष का अनुभव जिसमें किसी मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक अस्पताल में लगभग दो वर्ष का अनुभव भी शामिल है (उम्मीदवारों के अन्यथा सुशिक्षित होने पर अर्हताएं शिथिल नीय हैं)।

Abduction of Bengali Girls from Mana Camp

8200. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether five Bengali Young Girls have been abducted from Mana refugee camp in Raipur (M.P.) during the period from 1st January to 10th January, 1974 by offering them various allurements; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) and (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

चीन द्वारा पारासैल द्वीपसमूह पर अपने कब्जे के संबंध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव

8201. **श्री श्रीकिशन मोदी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने उसके द्वारा पारासैल द्वीपसमूह पर जबरदस्ती कब्जा किये जाने के बारे में सुरक्षा परिषद् की बैठक में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिये किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में खाद्य अनुसंधान तथा मानकीकरण प्रयोगशाला स्थापित करना

8202. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में अपमिश्रित वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिये गाजियाबाद में एक खाद्य अनुसंधान तथा मानकीकरण प्रयोगशाला स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे राजधानी में अपमिश्रित वस्तुओं की बिक्री रोकने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) गाजियाबाद में एक खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला खोली जा रही है ।

(ख) इस प्रयोगशाला के होने से उपभोक्ता तथा अन्य लोग खाद्य पदार्थों का विश्लेषण शीघ्र करवा सकेंगे। यह खाद्य पदार्थों और विश्लेषण के तारीकों के मानकीकरण का कार्य करेगी। जब यह प्रयोगशाला पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी तो हो सकता है इसे किसी क्षेत्र विशेष के लिए अपीली मामलों की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला घोषित कर दिया जाये ।

संगरौली कोयला क्षेत्र में कोयले के भंडार

8203. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के संगरौली कोयला क्षेत्रों में कोयले का विदित भंडार कितना है ; और

(ख) इसमें से कितना मध्य प्रदेश में और कितना उत्तर प्रदेश में पड़ता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कोयले के भंडार का केवल क्षेत्र-वार अनुमान लगाया गया है । संगरौली कोयला क्षेत्र में कुल लगभग 92030 लाख टन कोयले के भंडार का अनुमान है जिसमें से लगभग 82680 लाख टन मध्य प्रदेश में और लगभग 9350 लाख टन उत्तर प्रदेश में होने का अनुमान है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की प्रबन्ध सेवाओं के वेतनों में वृद्धि

8204. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की प्रबन्ध सेवाओं के वेतन-मानों में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय सहायक इंजीनियरों (मेकेनिकल) के वेतनमानों को पुनरीक्षित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जी हां। प्रशासनिक सवर्ग क सिनियर ग्रेड अधिकारियो के वेतनमान में संशोधन करने का प्रस्ताव विचारधीन हें।

सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की आय के 'स्लैब'

8205. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में भारी वृद्धि और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों के जो राज्य छात्रवृत्ति के लिए अर्ह घोषित किए जाते हैं, अभिरक्षकों की आय के 'स्लैबों' के पुनर्निर्धारण के बारे में हाल ही में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सैनिक स्कूलों में छात्रों को तीन स्रोतों से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जैसे राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र और रक्षा मंत्रालय। राज्य सरकारों से छात्रवृत्तियों के लिए आय का परीक्षण संबन्धित सरकारों द्वारा निश्चित किया जाता है और भिन्न-भिन्न होते हैं। आय-परीक्षण के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

कोयला खान मालिकों को देय राज सहायता की राशि

8206. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की ओर भूतपूर्व कोयला खान मालिकों को देय राज सहायता के रूप में कितनी राशि बकाया है ; और

(ख) क्या कोयला बोर्ड के परिसमापन के कथित निर्णय तथा वर्ष 1974-75 में इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था न किये जाने के कारण उक्त देय राशि की अदायगी में कोई कठिनाई आड़े आ रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) कोयला बोर्ड ने अर्थ सहायता आदि के लिए प्रस्तुत सभी दावों की अभी जांच-पड़ताल पूरी नहीं कर पाई है। इन परिस्थितियों में, भूतपूर्व कोयला खान मालिकों को इस खाते में अंतिम रूप से देय राशि के बारे में कोई अनुमान देना संभव नहीं है।

(ख) अनिर्णीत दावों के निपटारे में किसी विशेष कठिनाई के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तथापि, विद्यमान नियमों में दी गई प्रक्रियागत औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा। विगत में अपनाए गए आधार की भांति 1974-75 के बजट में भी कोयला बोर्ड के लिए भुगतान हेतु 11.02 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

Amount Sanctioned to States for Prevention of Infectioss Diseases for Current Year

8207. **Shri M.S. Purty : Will the Minister of Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sanctioned some amount to the States for prevention of the infectious diseases during the current financial year; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) (a) and (b) A provision of Rs. 24.43 crores has been made in the budget estimates

1974-75 for the control of Communicable Diseases for States and Union Territories of India. This represents Central assistance towards meeting the operational expenses and for supply of materials and equipment required for the various programmes.

Setting up of Heavy Industries in U.P.

8208. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the number of licences issued for setting up heavy industries in Uttar Pradesh during the last three years;

(b) the number of industries set up so far against these licences; and

(c) the reasons for not setting up the rest of the industries?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh): (a) Fifteen.

(b) Nine. In these cases the parties have either commenced production or are likely to go into production soon.

(c) Out of the remaining six, one industrial licence was issued very recently and the party is likely to go into production within the next 18 months to 2 years.

Two cases are under various stages of implementation.

One party, it is understood, has not yet been able to secure required loans from the banks. Progress Report from one party has been called for.

In one case, namely, M/s. Scooters of India, the construction of the main factory building and other civil construction commenced in April 1973 and is expected to be completed soon. Installation of machinery started in February 1974 and is scheduled to be completed by July, 1974. It is expected that the production of scooters will commence by August, 1974 and the production of three-wheelers in August, 1975.

Round Table Conference on Labour Problems

8209. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a plan to convene a round table conference at Central level to thrash out labour problems; and

(b) if so, the further action is being taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) and (b) Tripartite meetings are held from time to time to discuss important labour matters.

Indian Doctors in England

8210. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government propose to collect information through its High Commission in England about the number of Indian doctors living there at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku): Yes, Sir.

मोरिशस और सिकेलस द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डे बनाने की सोवियत संघ की योजना

8211. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूसी मौरीशस और सिकेलस द्वीप समूह में हिन्द महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से नौसेनिक अड्डे बनाने की योजना बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ऐसी किन्हीं योजनाओं के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है । पश्चिम के समाचार पत्रों ने इस आशय के कुछ अनुमान लगाए हैं जिनका सोवियत समाचार पत्रों द्वारा खण्डन किया जा चुका है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवियत रूस द्वारा एशियाई सुरक्षा योजना का स्पष्टीकरण

8212. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने "एशियाई सुरक्षा" संबन्धी अपनी योजना का स्पष्टीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रक्रिया हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) सोवियत संघ ने कुछ सामान्य सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं जिन पर एशिया की सामुहिक सुरक्षा तैयार की जा सकती है लेकिन उन्होंने उनके अमल के बारे में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखे।

(ख) ये सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

(1) बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी का त्याग ;

(2) राज्यों की प्रभुसत्ता का आदर ;

(3) सीमाओं का उल्लंघन न करना ;

(4) आन्तरिक मामलों में दखल न देना; और

(5) पूर्ण समानता और पारस्परिक हित के आधार पर संपूर्ण सहयोग का व्यापक विकास ।

(ग) अन्तराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने की हमारी नीति के अनुरूप सरकार ऐसे सभी प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है जिनसे एशिया को शान्ति और स्थिरता का क्षेत्र बनाने में सहायता मिल सकती है ।

औद्योगिक संबंध विधेयक पर केन्द्रीय कार्मिक संघों के विचार

8213. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक संबन्ध विधेयक के मसौदे पर विभिन्न केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों के विचार पता किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठनों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न संबन्धित पक्षों, जिनमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन भी शामिल है, के विचारों को औद्योगिक संबन्ध विधेयक के मसौदे को तैयार करते समय ध्यान में रखा जा रहा है । इस अवस्था में उनसे और परामर्श करने का विचार नहीं है ।

Illegal Production of Coal in Nationalised Coal Mines

8214. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Pakeri- Barhwadih colliery in Badbagoon Thana of Hazari Bagh District and Banwar colliery in Mandu Thana of Hazari Bagh District have been declared nationalised collieries since the beginning;

(b) if so, whether some local private persons are taking improper benefit by producing coal from these two collieries illegally;

(c) whether coal mines authority is aware of the production and sale of coal in this manner;

(d) if so, the reasons for not taking action against such persons; and

(e) the reasons for not starting work in these two collieries?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) Yes, Sir.

(b) to (e): The information is being collected and will be laid on the Table of the House

दानापुर केंटोनमेंट एरिया की होल्डिंग नं० 49 महल नं० 4

8215. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होल्डिंग नं० 49, महल नं० 4, वार्ड नं० 5 अर्दली बाजार दानापुर केंटोनमेंट अब भी स्वर्गीय शेख नूर मोहम्मद के नाम है ;

(ख) क्या उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा स्त्री ने बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ-पत्र सहित इस होल्डिंग पर अपना नाम दर्ज करने के लिए आवेदन-पत्र दिया था ;

(ग) क्या यह होल्डिंग किसी एक व्यक्ति ने कपटता से हथिया ली है और उसने केंटोनमेंट बोर्ड दानापुर की सहमति से वहां के सक्षम प्राधिकारी से नक्शा मंजूर कराए बिना तथा पूर्व अनुमति लिए बिना ही वहां पर एक नई इमारत बना ली थी ;

(घ) क्या रक्षा विभाग के उच्च प्राधिकारियों ने कार्यकारी अधिकारी को निदेश दिया है कि केंटोनमेंट अधिनियम, 1924 में उल्लिखित उपबन्ध के अनुसार इस अनाधिकृत तथा गैर-कानूनी इमारत को हटा दिया जाए और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ।

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Sale of Coal Through D.O. System in Kuju sub-area of Hazaribagh

8216. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether in Kuju sub-area of Hazaribagh, coal is mainly sold by trucks under what is known as the D.O. system;

(b) if so, the meaning and the propriety of this system;

(c) whether this has encouraged many types of corrupt practices; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and the action taken to check corruption in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) to (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Coal Stock at Topa Colliery

8217. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the stock of coal at Topa Colliery pit-head in Hazaribagh District has depleted considerably;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the persons responsible for this coal shortage and the action taken against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a)to(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बिजली के विशाल जनरेटरों का उत्पादन

8218. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बिजली का एक विशाल जनरेटर बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता क्या है ; और

(ग) क्या यह जनरेटर भारत में अपनी ही किस्म का पहला जनरेटर है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने हरिद्वार स्थित एकक में दिसम्बर, 1973 में 200 मेगावाट के एक पूरे टर्बो-जनरेटर का निर्माण और परीक्षण किया है तथा और जनरेटरों का उत्पादन हो रहा है। 200 मेगावाट का टर्बो-जनरेटर भारत में अब तक इस्तेमाल होने वाले जनरेटरों में सबसे बड़ा यूनिट आकार वाला उपकरण है और देश में पहली बार इस आकार के सेट का निर्माण किया गया है।

चीन के भारत विरोधी षड्यंत्र के बारे में समाचार

8219. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1974 के अंग्रेजी दैनिक में चीन द्वारा भारत विरोधी षड्यंत्र के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ये विचार किसी विदेशी एजेंसी के हैं और सरकार उन पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं समझती ।

तिब्बती शरणार्थियों का कर्नाटक में पुनर्वास

8220. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों ने कर्नाटक में तिब्बती पुनर्वास शिविरों पर कुल कितना पूंजी-निवेश किया है ;

(ख) क्या वहां बसाय गये तिब्बती व्यक्ति अधिक आमदनी वाले रोज़गार के लिये शिविर छोड़ कर अन्यत्र चले गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उनके लिये स्व-नियोजन की कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वेंकटस्वामी) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सभी पात्र तिब्बती शरणार्थियों को जुताई के लिए कृषि भूमि आवंटित कर दी गई ह एक बस्ती में एक दस्तकारी केन्द्र भी है ।

भारी उद्योगों की उत्पादन क्षमताओं के उपयोग के लिये पांचवीं योजना में विचार

8221. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की उत्पादन क्षमताओं का 90 प्रतिशत उपयोग करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से भारी उद्योग कुल क्षमता का 90 प्रतिशत उत्पादन कर पायेंगे और किस वर्ष तक कर पायेंगे तथा इस समय वे कितने प्रतिशत का उपयोग कर रहे हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यद्यपि महत्वपूर्ण उद्योगों के मामले में पांचवीं पंचवर्षीय योजना मसौदे में चुने हुए उत्पादन योजनाएं दी गई हैं लेकिन इसमें उत्पादन क्षमताओं चाहे वे भारी उद्योगों में हों या अन्य उद्योगों में हों, के उपयोग की प्रतिशतता विशेषरूप से नहीं दी गई है ।

23 LSS/74—7

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि भारी उद्योगों की उत्पादन क्षमताओं के 90% उपयोग के बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष अनुमान नहीं किया गया है ।

केरल तथा मध्य प्रदेश के परिवार नियोजन कार्यक्रमों में भिन्नता

8222. **श्री बी० वी० नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परस्पर भिन्न प्रकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केरल तथा मध्य प्रदेश के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रमों में परस्पर क्या अन्तर हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से वृद्धि-दर और जनसंख्या के घनत्व, नगरीकरण की स्थिति और महिला साक्षरता स्तर जैसे घटकों के आधार पर सीमांकन कर किसी राज्य के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए एक नीति को लागू करने का राज्यों को सुझाव दिया गया है । राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के दृष्टिकोण में परस्पर कोई अन्तर नहीं होगा।

गोआ और उत्तर कनारा की मैंग्नीज खानों के खनन और पट्टे पर देने सम्बन्धी नीतियां

8223. श्री **बी० वी० नायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ और उत्तर कनारा के बीच खनिज संरचनाओं में, विशेष रूप में मैंगनीज अयस्क के सम्बन्ध में, कोई अन्तर है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या दोनों क्षेत्रों में खनन एवं पट्टे पर देने सम्बन्धी नीतियों में कोई भिन्नता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फार्मास्यूटिकल उद्योग में न्यूनतम वेतन के संबंध में गुजरात परामर्शदात्री समिति

8224. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल उद्योग के न्यूनतम वेतन संबंधी प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार ने एक परामर्शदात्री समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का प्रतिनिधित्व होगा;

(ग) समिति क्या-क्या मुख्य बातें तय करेगी; और

(घ) क्या सरकार ने दुकानों तथा संस्थानों के असंगठित और आरक्षित कर्मचारियों को संरक्षण तथा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अहमदाबाद जिले में सैजपुर बोधा के नगर पंचायती क्षेत्र में दुकान तथा संस्थान अधिनियम लागू करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो कब से तथा किन लाभों के लिये ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

गुजरात में पंजीकृत बेरोजगार

8226. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बेरोज़गार स्नातकों ने गुजरात तथा भावनगर रोज़गार कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कर रखा है; यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका नाम पिछले तीन साल से पंजीकृत है;

(ख) उनमें से कितने लोगों को अब तक नौकरी दी गई है ;

(ग) क्या ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय से अपना नाम इन रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत करवा रखा है परन्तु अभी तक उन्हें कोई रोज़गार नहीं दिया गया है; और यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उन व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए, जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक समय से अपना नाम पंजीकृत करवा रखा है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा जिन्हें रोज़गार नहीं दिया गया है, राज्य सरकारों की सहायता करने का निर्णय किया है; और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इस बारे में किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 30-9-1973 को नौकरी चाहने वाले 19,407 व्यक्ति, जो सभी अनिवार्यतः बेरोज़गार नहीं हैं, तीन वर्ष से अधिक समय से चालू रजिस्टर में दर्ज थे।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा गुजरात सहित सभी राज्यों में बेरोज़गार व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त संख्या में रोज़गार अवसर सृजित किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, रोजगार वर्धन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट (1974-75) में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः बेरोज़गार व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए, जिनमें रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में तीन वर्ष से अधिक समय से दर्ज व्यक्ति भी शामिल हैं, स्व-नियोजन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गुजरात सहित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

विवरण

(क) और (ख) गुजरात में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या और रोज़गार कार्यालयों* के माध्यम से रोज़गार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या।

वर्ष	कैलेन्डर वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान रोज़गार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1971 .	14,070	2,183
1972 .	18,489	1,919
1973	22,676	2,143

*विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों में दर्ज नौकरी चाहने वालों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

नोट : 1. वर्ष के दौरान रोज़गार में लगाए गए नौकरी चाहने वालों की संख्या अनिवार्यतः उस वर्ष के दौरान दर्ज हुए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित नहीं है।

2. रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वाले सभी व्यक्ति अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं।

Lock-Out in Mica Area of Bihar

8227. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Labour be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported lock-outs in the Mica areas of Bihar;

(b) whether Government have taken any steps to lift these lock-outs;

(c) if so, the progress made in this regard; and

(d) the number of factories and the labourers affected as a result of these lock-outs?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लघु इस्पात कारखानों में हुआ कम उत्पादन

8228. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5, 10 और 20 टन क्षमता के लघु इस्पात कारखानों (विद्युत-भट्टी एकक) में 1972 की अपेक्षा 1973 में कम उत्पादन हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम उत्पादन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया था; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, वर्षवार और राज्यवार, देश में कितने ऐसे कारखाने लगाए जाएंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 में विद्युत भट्टी इकाइयों का तरल धातु का उत्पादन उनके पिछले वर्ष के उत्पादन से कुछ कम था। उत्पादन में कमी मुख्यत: देश में बिजली की कमी के कारण हुई।

(ग) इस्पात पिण्ड/बिलेट तथा इस्पात की ढली वस्तुओं के उत्पादन के लिए रद्दी लोहे का पुनः उपयोग करने के लिए पहले ही काफी क्षमता की मंजूरी दी जा चुकी है पिघलाने की क्षमता स्क्रैप की आन्तरिक उपलब्धि से अधिक है। अभी तक कई राज्यों में बिजली की कमी बनी हुई है। इसलिए रद्दी लोहे तथा बिजली जैसे आवश्यक आदानों की उपलब्धि के अनुसार इस उद्योग के विकास को विनियमित करने का फैसला किया गया है। तदनुसार अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि यह आवश्यक है कि पहले वर्तमान तथा लगाई जा रही इकाइयों की क्षमता का उपयोग किया जाए।

पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को भूमि की हकदारी के पट्टे

8229. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान शरणार्थियों के रूप में आने वाले कितने परिवारों को अब तक भूमि की हकदारी के पट्टे देकर फिर से बसाया गया है;

(ख) इन परिवारों को मकान ऋण के छूट की कितनी राशि दी जाती है; और

(ग) क्या कुछ अन्य कालोनियों में भी भूमि की हकदारी के पट्टे दिये जाने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जानकारी पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिये आवास, अधिग्रहण भूमि और उनकी शिक्षा पर किया गया व्यय

8230. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये और पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली में बसाये गए शरणार्थियों के लिए मकान बनाने, भूमि का अधिग्रहण करने और शिक्षा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) पश्चिम बंगाल, माना, दंडकारण्य और दिल्ली में कुल कितने शरणार्थी बसाये हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में एस० एम० एस० का ढह जाना

8231. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में एस० एम० एस० के ढह जाने के बारे में लूम्बा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के कितने महीने बाद यह कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह रिपोर्ट 28 अगस्त, 1971, को प्रस्तुत की गई थी। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अक्तूबर, 1971 तक उन व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर दी थी जो उन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी थे जिनके कारण दुर्घटना हुई थी। गैस साफ करने वाला संयंत्र दिसम्बर, 1971, में चालू किया गया था। यह संयंत्र सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। अगले कुछ महीनों में अन्य सिफारिशों पर भी कार्रवाई कर दी गई थीं। कुछ सिफारिशों का सम्बन्ध लगातार चलने वाले काम से है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा चुने गये उड़ीसा के स्नातक प्रशिक्षणार्थी

8232. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा स्नातक प्रशिक्षार्थियों के चयन में उड़ीसा वासियों का प्रतिशतता क्या है; और

(ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र में ग्रेड VI, III, II और प्रथम श्रेणी सेवा में उड़ीसा वासियों की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चयन/नियुक्ति के आंकड़े जन्म अथवा निवास-स्थान के अनुसार नहीं रखे जाते हैं।

बंगला देश-कर के एक अंश का पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर खर्च किया जाना

8233. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगलादेश कर-राशि का एक अंश पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर खर्च किया गया था?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : बंगलादेश-कर बंगलादेश से शरणार्थियों की राहत के लिये लगाया गया था। युद्ध बन्दियों पर व्यय सामान्य राजस्व से किया गया है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बंगाली

8234. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में ग्रेड चार से प्रथम श्रेणी तक की सेवा में अन्य राज्यों के व्यक्तियों की तुलना में बंगाल के व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) इसी प्रकार बोकारो इस्पात संयंत्र में ग्रेड चार से श्रेणी एक तक की सेवाओं में बिहारियों की प्रतिशतता क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात कारखानों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

रूसी प्रतिनिधि द्वारा कोलम्बों में हुये 'इकाफे' सम्मेलन में एशियाई सामूहिक सुरक्षा पद्धति के संबंध में प्रस्ताव

8235. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1974 में कोलम्बो में हुए 'इकाफे' सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधिमंडल ने 'एशियाई सामूहिक सुरक्षा पद्धति' के अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की थी;

(ख) क्या भारत ने सम्मेलन में भाग लिया था और यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार ने क्या रुख अपनाया ; और

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई देशों की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) मार्च/अप्रैल, 1974 में कोलम्बो में 'इकाफे' के वार्षिक अधिवेशन की सामान्य बहस में अपने औपचारिक वक्तव्य में सोवियत प्रतिनिधि ने 'एशिया की सामूहिक सुरक्षा-प्रणाली' का जिक्र अवश्य किया था। परन्तु बाद में इस मामले को नहीं उठाया गया।

(ख) भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था किन्तु इस मामले पर कोई नीति अख्तियार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

(ग) सम्मेलन में भाग लेने वाले एशियाई देशों में से केवल मंगोलिया ने, सामान्य बहस में अपने औपचारिक वक्तव्य में इस योजना का समर्थन किया।

आस्ट्रेलिया के डिजाइन पर आधारित छोटे सीमेंट कारखाने

8236. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे सीमेंट कारखानों के लिए जो आस्ट्रेलिया में सफल सिद्ध हुये हैं, अपने डिजाईन के वाणिज्यिक उपयोग हेतु शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिये विश्वविख्यात सीमेंट तकनीकी-विज्ञ डा० स्टीवन गोहलीब हाल ही में भारत के दौरे पर आये थे;

(ख) क्या सरकार ने उस परियोजना में रुचि प्रदर्शित की है जिसके विदेशों में लाभकारी परिव्यय निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये देश में छोटे सीमेंट कारखाने लगाने के सम्बन्ध में सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सीमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर हाल ही में आयोजित विचार गोष्ठी के अवसर पर भारत के सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने डा० स्टीवन गोहलीब को आमंत्रित किया था। फिर भी, उनके दौरे का संबंध छोटे सीमेंट संयत्रों के लिए उनके डिज़ाईन का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु किन्हीं शर्तों को अंतिम रूप देना नहीं था।

(ख) और (ग) सरकार चाहती है कि सीमेंट का निर्माण देश के विभिन्न भागों में लघु स्तर पर किया जाये और सीमेंट अनुसंधान संस्थान को कहा गया है कि वह ऐसे संयंत्रों का अध्ययन और विकास करे। ऐसा समझा जाता है कि ऐसी योजनाओं में गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों की भी रुचि है।

Starvation Deaths in West Africa

8237. **Shri Mulki Raj Saini:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that lakhs of people have died of starvation in West Africa;

(b) the reaction of Government of India thereto being a member of the U.N.O.; and

(c) the scheme of Government of India for rushing aid there?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c) The Government of India are aware of the severe drought conditions prevailing in a member of west African countries. The Government of India have also seen the report of the U.N. Coordinator for Drought Relief and greatly sympathise with the people of these countries in their plight. The I ndian Red Cross Society has decided to send relief supplies worth Rs. 70,000 to the countries affected. We are also examining additional assistance which we can render, within the resources available, as an expression of our concern and sympathy.

मैसर्स प्रसाद एण्ड कम्पनी, गाजीपुर के कर्मचारियों के भविष्य निधि के दावे

8238. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज प्रसाद एण्ड कम्पनी, गाजीपुर फर्म (कोड संख्या यू० पी० 2413) के भूतपूर्व कर्मचारियों के काफी समय से विचाराधीन पड़े भविष्य निधि के दावे निपटा दिए गए हैं और यदि नहीं, तो निस्सहाय कर्मचारियों, जिनके लाभ के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना चल रही है, के दावों के निपटान में इतने असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या उक्त फर्म के कर्मचारियों को लेखों के वार्षिक विवरण नियमित रूप से भेजे जाते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) मैसर्स प्रसाद एंड कम्पनी, गाज़ीपुर (यू० पी० 2413) के भूतपूर्व कर्मचारियों के एक को छोड़कर, सभी दावे तय किए गए हैं। इन में से कुछ ने काफी समय लिया है क्योंकि भविष्य निधि

की राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया की गाजीपुर शाखा की बजाय आराह स्थित शाखा में जमा की गई थी।

(ख) 1969-70 तक खातों के वार्षिक विवरण जारी किए गए हैं और बाद के वर्षों के लिए संकलन हो रहा है।

दिल्ली में खान-पान संस्थानों में सेवा की शर्तें

8239. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न रेस्टोरेन्टों, ढाबों, होटलों आदि में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नतम वेतन, छुट्टियों तथा अन्य लाभों के बारे में मार्ग दर्शी सिद्धांत लागू हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ प्रबन्धक दिल्ली प्रशासन के सम्बद्ध विभागों द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा नियम और विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनका उल्लंघन करने के लिए गत 6 महीनों में ऐसे प्रत्येक प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोबिन्द वर्मा) :(क) जी हां।

(ख) ये कर्मचारी, दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954, के अन्तर्गत आते हैं, जो उनकी सेवा-शर्तों, साप्ताहिक छुट्टी, निर्धारित समय के भीतर मजूरियों के भुगतान, निश्चित कार्य-घंटों, समयोपरि, मजूरियों की न्यूनतम दरों के भुगतान और छुट्टी आदि को विनियमित करता है न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 भी इन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली प्रशासन ने बीस या अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाले होटलों और रेस्तराओं संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उपर्युक्त मजूरी बोर्ड ने विभिन्न वर्गों के लिए वेतन-वृद्धियों के साथ वर्गीकृत वेतन-मानों की सिफारिश की है, जो जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांकों ग्रेच्युटी आदि से सम्बद्ध हैं।

(ग) और (घ) पिछले छः महीनों के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा चूक करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ, दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्टान अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए 4 अभियोजन चलाए गए हैं और कानून के उपबन्धों के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में कास्मेटिक फेक्ट्री में हड़ताल

8240. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:**

श्रीमती सावित्री श्याद:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कास्मेटिक फैक्ट्री के कुछ श्रमिकों ने अप्रैल, 1974 के पहले सप्ताह में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनकी मांगों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) प्रबन्धकों को उनकी मांग स्वीकार कर लेने के लिए राजी करने हेतु सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा, जो कि मुख्यतया इस मामले से संबंधित हैं, उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, मैसर्स साहिब सिंह मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी (प्राईवेट) लि० के कुछ श्रमिकों ने कम्पनी के 8 श्रमिकों की बर्खास्तगी के खिलाफ विरोध करने के लिए, 5 अप्रैल, 1974 को कारखाने के गेट पर प्रदर्शन किए । सूचित किया गया है कि प्रदर्शनों के दौरान पहरेदार ने इस दलील पर गोली चलाई कि प्रदर्शनकारियों ने कारखाने के परिसरों पर पत्थर चलाने शुरू कर दिए थे । 6 अप्रैल, 1974 को ओखला औद्योगिक एस्टेट में अधिकांश कारखानों में नियोजित श्रमिक काम से अनुपस्थित रहे और उन्होंने प्रदर्शन किए । बताया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उपरोक्त कारखाने के एक भाग को आग लगा दी, और उसके बाद से कारखाना बन्द है । श्रमिकों द्वारा हड़ताल नहीं है । दिल्ली प्रशासन मामले के प्रति सचेष्ट है और विवाद को निपटाने के प्रयत्न जारी रख रहा है ।

जूनियर डाक्टरों को हड़ताल समाप्त करने के लिए आश्वासन

8241. श्री चन्द्र शेखर सिंह :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल किन मुख्य बातों और कारणों से समाप्त हुई ;

(ख) सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिए हैं ;

(ग) उक्त आश्वासन पूरे करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) उक्त हड़ताल से इन डाक्टरों से जनता और सरकारी कोष को अब तक हुई हानि का अनुमान क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) स्वास्थ्य मंत्री ने 2 अप्रैल, 1974 को लोक सभा में जो वक्तव्य दिया था, उस के आधार पर हड़ताल समाप्त कर दी गई ।

(ग) सरकारी निर्णयों को कार्यन्वित करने के लिए पहले ही कदम उठाये गये हैं और संबंधित कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गये हैं ?

(घ) इससे कितनी हानि हुई, इस का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

एक भारतीय डाक्टर द्वारा विटामिन बी 2 का उत्पादन

8242. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री हरी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक युवा वैज्ञानिक डा० वसंत एस० पालकर ने सामान्य स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिये अत्यन्त आवश्यक विटामिन एक दुर्लभ अच्छी रसायन औषधि बी० फास्फैट सोडियम का उत्पादन किया है जिससे पांचवीं योजना में एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस युवा वैज्ञानिक को क्या प्रोत्साहन दिया गया है, और

(घ) स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये उपरोक्त औषधि के क्या परिणाम होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) मैं० वाइपाल केमिकल्स, बम्बई के मालिक डा० वी० एस० पालकर ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने विटामिन बी०-2 फास्फेट सोडियम (रिबोफ्लेविन फास्फेट सोडियम) नामक दवा तैयार की है जिसमें बिटामिन बी०-2 (रिबोफ्लेबिन) का आरंभिक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनका कहना है कि यदि इस दवा के आयात पर पूरी पाबन्दी लगा दी जाए तो इस से एक करोड़ रुपये की बचत होगी । चूंकि स्वदेशी दवा निर्माता फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्री द्वारा अपेक्षित विटामिन बी-2 फास्फेट सोडियम दवा बनाने की स्थिति में हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया है कि विटा-मिन बी-2 फास्फेट सोडियम का आयात न किया जाये और केवल विटामिन बी-2 (प्लेन) का ही आयात किया जाए ।

(ख) विटामिन बी 2 विटामिन के बी ग्रुप का तत्व है । विटामिन बी-2 फास्फेट सोडियम, विटामिन बी-2 का सोडियम फास्फेट नमक है । इस की क्रियायें भी विटामिन बी-2 की क्रियायों के समान हैं । किन्तु यह विटामिन बी-2 (जिसमें पानी के 3000 भागों में एक से लेकर 20,000 में एक तक है) की अपेक्षा अधिक घुलनशील (पानी के 20 भागों में एक) है । इस गुण के फलस्वरूप इससे विटामिन बी-2 फास्फेट सोडियम इन्जेक्शनों में इस्तेमाल के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है ।

(ग) विटामिन बी-2 फास्फेट सोडियम कोई नई दवा नहीं है। पिछले दस वर्षों से दवाई में इस का इस्तेमाल हो रहा है । ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेंक्स में भी इस को शामिल किया जाता है । मै० वाइपाल केमिकल्स के अलावा मैसर्स फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और मै० टरजेट, नवसारी (गुजरात) नामक दो अन्य फर्में भी विटामिन बी-2 से बिटामिन बी-2 फास्फेट सोडियम बना रही हैं ।

(घ) यद्यपि इस बात का पता नहीं है कि मानवीय पोषण में रिबोफ्लेविन का सही-सही योगदान क्या है, तथापि नेत्र के पोषण में, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में तथा प्रोटीन मेटाबोलिज्म में इसके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की सभावना है ।

ढांचा डिजाईन कार्यालय का समाप्त किया जाना

8243. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढांचा डिजाईन कार्यालय को जो कि 25000 टन की वार्षिक क्षमता वाली ढांचा निर्माण वर्कशाप का एक अंग माना जाता था समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ढांचा डिजाईन कार्यालय को समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य निहित हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के भारी मशीन निर्माण संयंत्र से संबद्ध ढांचा डिजाईन कार्यालय को प्रारंभ में केवल ढांचा डिजाईन का कार्य सौंपा गया था। हाल ही में सिविल डिजाईन कार्य को भी सम्मिलित करने के लिये इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। कारपोरेशन द्वारा स्थापित किये गये डिजाईन को युक्ति-युक्त बनाने और सिविल इंजीनियरों की कठिनाईयों को दूर करने के अलावा उपलब्ध डिजाईन प्रतिभा का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से इसका पुनर्गठन किया गया था।

Categories of Ayurvedic Doctors in C.G.H.S.

8245. **Shri Ishwar Chaudhri:**

Shri Yamuna Prasad Mandal:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the categories of Ayurvedic doctors in the C.G.H.S. and rules governing their recruitment and promotions;

(b) the number of promotions from Class II to Class I and to Selection Grades made during the last three years and the criteria followed in this regard;

(c) whether separate grades have not been created for diploma holders, graduates and post-graduates;

(d) whether the persons possessing degrees and post graduate qualifications were not shown any special consideration in these promotions; and

(e) if so, the steps being taken to classify them in different grades according to qualifications?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku): (a) & (b) There is only one grade of Ayurvedic Physician in C.G.H.S. The method of recruitment to this grade is indicated in the statement attached. [Placed in Library. See No. L.T. 6832/74.] There is no selection grade or promotion post at present.

(c) No separate grades exist for diploma holders, graduates and post-graduates.

(d) & (e) Do not arise.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

रेलवे के 100 से अधिक कार्मिक संघों द्वारा 8 मई, 1974 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का कथित निर्णय

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

> "रेलवे के 100 से अधिक कार्मिक संघों द्वारा 8 मई, 1974 से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने का कथित निर्णय"

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : श्रीमन्, यह सच है कि हड़ताल का नोटिस तीन क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को 22 तारीख को और छः क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को 23 तारीख को दिया गया है । हड़ताल का नोटिस आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से संबंध मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा कुछ मान्यता-रहित यूनियनों द्वारा दिया गया है । राष्ट्र के लिए यह भारी चिंता की बात है कि जब रेल मंत्रालय और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता वार्ता शुरू कर दी गयी है, वे लोग ऐसा विवेकहीन कदम उठायें । मैं 18 अप्रैल को उन लोगों से मिला था और उसके बाद 20 अप्रैल को उप रेल मंत्री श्री मोहम्मद शफी कुरेशी के साथ उनकी समझौता वार्ता शुरू हो गयी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 20 अप्रैल को श्री कुरेशी के पिता जी की विलिंगडन अस्पताल में दुःखद मृत्यु हो जाने के कारण यह समझौता वार्ता उस समय स्थगित करनी पड़ गई जब कि इस में कुछ प्रगति हो चुकी थी । वास्तव में श्री कुरेशी के पिता की हालत चिंताजनक थी, लेकिन श्री कुरेशी ने मौके के महत्व को महसूस करते हुए समझौता वार्ता में भाग लिया । लेकिन उनके पिता जी का देहांत हो गया और इस कारण बात चीत को 27 अप्रैल तक के लिए स्थागित करना पड़ गया । उस दिन उप रेल मंत्री अपने पिता जी की आखरी रस्म अदा करने के बाद अपने राज्य से वापस आ जायेंगे ।

जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूं, मैं कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बात-चीत द्वारा समझौता करने के लिए तैयार हूं । ऐसी स्थिति में मैं सदन से अपील करता हूं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या ऐसे समय में जबकि हम सब को सहयोग करना है और राष्ट्र की जीवन रेखा को अस्त-व्यस्त होने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना है, कर्मचारी पक्ष द्वारा हड़ताल का नोटिस देना तथा देश में घबराहट की स्थिति पैदा करना अनुचित नहीं है । मैं रेलवे के सभी कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे इस पहलू पर विचार करें और इस तथ्य को ध्यान में रखें कि बातचीत अभी जारी है और वे जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठायें जो देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकर हो । सभी विभागों के सभी वर्ग के कर्मचारी, चाहे वे परिचालन से संबंध रखते हों, चाहे अनुरक्षण से अथवा रेलवे सुरक्षा दल से, प्रशंसनीय कार्य करते रहे हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि कर्मचारियों की भलाई के लिए सभी संभव कार्य करने के लिए मैं सदा तैयार हूं । जब ऐसी बात है तो कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी विशेष रूप से ऐसे समय में जब कि बात-चीत जारी है ।

मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उससे निपटने के लिए पूरा समर्थन दें। यद्यपि बातचीत द्वारा कोई समझौता करके हम हड़ताल को टालने का हर संभव प्रयत्न करेंगे, फिर भी यदि दुर्भाग्य मे रेलों पर हड़ताल थोपी गयी तो जनता के लिए अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए हम सभी संभव कदम उठायेंगे।

श्री ए०के० गोपालन : मंत्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि राष्ट्र के लिये यह भारी चिन्ता की बात है कि जब रेल मंत्रालय और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता वातचीत चल रही हैं, तो वे लोग ऐसा विवेकहीन कदम उठायें।

परन्तु कर्मचारियों का कथन है कि यदि समस्या का कोई हल बलात नहीं थोपा जाता तो वे हड़ताल नहीं चाहते। उन्हें हड़ताल का नोटिस इसी लिये देना पड़ा क्योंकि एक वर्ष से विशेषत: 3-4 मास से उन्हें सरकार के रवैये से विश्वास हो गया था कि सरकार समझौते द्वारा समस्या का हल नहीं चाहती। सरकार हड़ताल इसी लिये चाहती है कि इसके माध्यम से वह कर्मचारियों को दबा सकती है।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फैडरेशन द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार को फरवरी में प्राप्त हो गया था। सरकार ने उन्हें बातचीत के लिये नहीं बुलाया। बातचीत के लिये जब रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि भेजा गया तो उसने बताया कि उसके पास समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री कुरेशी के पिता के निधन के बाद रेल मंत्री महोदय ने इस मामले को अपने हाथ में क्यों नहीं लिया। वस्तुस्थिति यह है कि अगले दिन समाचार छपा कि मंत्रिमंडल में इस मामले पर विचार हो रहा है जिसके होते हुए मंत्री महोदय बात-चीत नहीं कर सकते। इस प्रकार कर्मचारियों को विश्वास हो गया था कि सरकार समझौते द्वारा समस्या का समाधान कतई नहीं चाहती।

एक ओर तो यह कहा गया कि वार्ता का मार्ग सदा खुला है दूसरी ओर यह भी कहा गया कि हड़ताल के नोटिस के कारण देश में चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वक्तव्य में कहा गया है यह स्थिति कर्मचारियों द्वारा उत्पन्न की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1919 में रेलवे को उद्योग माना था। परन्तु स्वतंत्रता के 26 वर्ष पश्चात् भी रेलवे और उद्योग में अंतर क्यों किया जाता है। सरकार स्वयं गाड़ियों को रद्द करके जनता से कहती है कि रेलवे कर्मचारी चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न करते हैं।

अचानक ही कोयले के अभाव का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। यह प्रश्न कोयले के अभाव का नहीं है परन्तु सही नीति के अभाव का है। सरकार रेल-कर्मचारियों और जनता के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करती है जिस कारण गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं।

क्या गाड़ियों का रद्द किया जाना देश की अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक नहीं है।

कर्मचारियों ने नहीं अपितु सरकार ने हड़ताल की है। उसीने इन सब बातों को उकसाया है। सरकार का कहना है कि हड़ताल से प्रति दिन करोड़ों रुपये की हानि होगी। इस हानि की उसे परवाह नहीं है परन्तु वह कर्मचारियों को कुछ नहीं देना चाहती।

जब लोको कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो अगस्त, 1973 में समझौता किया गया परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया ।

मंत्री महोदय का कहना है कि कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये परन्तु क्या वह मुझे बता सकते हैं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । मैं बता सकता हूं कि एन० एफ० रेलवे के 50 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया । 600 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया और 200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया ।

अंग्रेजों के शासन काल में जो कर्मचारी हड़ताल नहीं करता था उसकी पदोन्नति की जाती थी । यही तरीका सरकार गत तीन महीनों से अपना रही है । वर्ष 1974 में जब ये सब बातें हो रही हैं तो रेल कर्मचारियों का आन्दोलन न केवल रेल कर्मचारियों का आन्दोलन होगा अपितु श्रमजीवी लोगों का आन्दोलन होगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में इस बात के लिये चिंतित है कि बातचीत द्वारा फैसला हो ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गिरफतार किये गये कर्मचारियों को रिहा किया जाये और गाड़ियां रद्द न की जायें ?

श्री एल० एन० मिश्र : : सरकार बातचीत द्वारा समझौता करने का प्रयास कर रही है । हम एक समिति गठित कर के हैं । शायद श्री गोपालन को उनके दल के उन सदस्यों द्वारा उचित जानकारी नहीं दी गई जिन्होंने समिति की बैठक में भाग लिया था ।

हमने श्री मुहम्मद शफी कुरेशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है । लोको कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो स्वयं मैंने उसका फैसला किया । श्री कुरेशी और अधिकारीगण इस बारे में मुझे जानकारी देते हैं । हमारा इरादा हड़ताल टालने का है और उसके लिये मैं विरोधी दलों के सदस्यों का सहयोग चाहता हूं । हम इस बारे में बहुत चिंतित है क्योंकि हम इतनी बड़ी हड़ताल के परिणाम जानते हैं । श्री गोपालन ने एक बात कही, कि यह हड़ताल केवल रेल कर्मचारियों की ही हड़ताल नहीं होगी । इससे हड़ताल के पीछे जो वास्तविक भावना है उसका पता चलता है । यदि राजनीतिक प्रेरणा दी जाती रही तो हम कुछ नहीं कर सकते । मैं यह बात सभी विरोधी दलों के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं । जब हमें जानकारी मिलेगी तो हम उसे सभा के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं... **(व्यवधान)**

श्री गोपालन ने गिरफ्तारियों का प्रश्न उठाया । गत जनवरी के बाद अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 22 गिरफ्तारियां हुई । उनका मजदूर संघ की गतिविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि ये गिरफ्तारियां रेलवे के काम में बाधा डालने, हमला करने का प्रयास करने और अन्य कारणों के लिये की गई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय ने श्री गोपालन के इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं कि नाटकीय ढंग से गाड़ियां रद्द क्यों की गई ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमनें कहा है कि बिजली घरों, इस्पात मिलों आदि के लिये कोयले का पर्याप्त स्टाक जमा करने के लिये ऐसा किया गया । हम अतिरिक्त माल गाड़ियां चला रहे हैं इसलिये

सवारी गाड़ियों को रद्द करना पड़ा । यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त लोगों से हड़ताल न करने का आग्रह कर सकें तो मुझे खुशी होगी..

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हड़ताल की सूचना नहीं आती तो भी क्या मंत्री महोदय गाड़ियां रद्द करते ?

श्री एल० एन० मिश्र : जी नहीं।...

Shri R. R. Sharma (Banda) : Before asking questions about the demands of the railwaymen I would like to give the background of their demands. One hundred ten unions of railwaymen formed N.C.C.R.S. on the 27th February, 1974 and passed a resolution containing 6 point demands on the same day. The resolution was sent to the hon. Minister on the 4th March, 1974. The N.C.C.R.S. again requested the hon. Minister on the 15th April, 1974 as there were no negotiation in the meantime. On that day the hon. Minister was sitting in his cabin and he told that he was ill. After some time he went to attend a dinner. It appears that the hon. Minister wanted to shift the responsibility to his subordinates.

Will the hon. Minister consider the 6 point demands sympathetically and invite the respresentatives of all the unions for talks before the 27th April ?

Will the hon. Minister tell the House that necessary steps will be taken to ensure that 4 lakh casual labourers will get uniform pay scales throughout the country ?

Will the railway employees, arrested under D.I.R. or M.I.S.A., be released without any further delay ?

Shri L. N. Mishra : If the hon. Member says that despite the receipt of the information, I left for dinner, this information is wrong. Shri Shafi Qureshi was to attend the meeting. I did not think it fair to go to the meeting when the Chairman was present there. We invited the two recognised Federations, viz., A.I.R.F. and N.F.I.R. Shri Dange and members of the Jan Sangh participated in the meeting.

We assured that no vindictive action, no transfer, no arrests would be there so long as the negotiations continue and we are still following that assurance.

I would like to say that we are passing through a very critical stage and the strike is bound to have serious consequences...

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मंत्री महोदय ने कहा कि उन्होंने दो फेडरेशनों को न्योता दिया यह सही नहीं है । उन्होंने नैशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन और श्री जार्ज फर्नान्डीज को यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था । उस समय हमने आग्रह किया कि हम ही कार्यवाही समिति हैं तब मंत्री महोदय सहमत हो गये थे, अब वह भिन्न बात कैसे कर सकते हैं ।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : सूची में माननीय सदस्य के दल के अन्य सदस्यों के नाम भी हैं । वह प्रथा क्यों तोड़ रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : में अपनी गलती ठीक करता हूं । मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री ए० पी० शर्मा को आमंत्रित किया था । बैठक में उनका रवैया बहुत सहयोगपूर्ण रहा । हम चाहते हैं कि उनके रवैया ऐसा ही रहे और हम बातचीत द्वारा समझौता कर सकें । मैं श्रीमती पार्वती कृष्णन्, जो नये फेडरेशन की प्रेजीडेन्ट हैं, से अनुरोध करूगा कि वह नर्म रवैया रखें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं श्री गोपालन के भाषण से यही निष्कर्ष निकालता हूं कि देश का पूरा राजस्व रेल कर्मचारियों के लिये खर्च किया जाये ।

I would like to ask the hon. Minister as to how much burden the railway users will have to bear if all the demands of the railwaymen are accepted *in toto* ? Our sympathy is with the railwaymen.

Shri L. N. Mishra: So far as the financial implication is concerned, it will be to the tune of Rs. 500 crores. If this amount is paid, the railway is bound to increase the fares and freights which cannot be borne by the country.

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I would like to know from the hon. Minister as to when the Government agreed to the bonus issue, did it not consider as to what will be its impact on other departments ? Therefore, I would like to say that not only the Minister of Railways but the Cabinet and the Government have to consider it as to what extent the bonus formula is in the interest of the nation ?

My second question is: Will they fix a certain period within which the negotiations will continue and settlment is arrived at ?

If talks on the bonus formula are held with them, how far it will be justiciable ?

Shri L. N. Mishra : As the outset, I would like to say that the Railway is not a public-sector undertaking but it is department. The railwaymen have been demanding bonus but it is very difficult for us to meet this demand.

So far as the question of starting negotiations is concerned, I shall be happy if they are concluded at the earliest. The demand with regard to opening of Fair Price Shops has already been met.

So far as the financial implication is concerned, I have already said that it would be to the tune of Rs. 400 to Rs. 500 crores.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I would like to say that all the leaders of the N.C.C.R.S. are willing to come to settlement.

I want to quote a sentence from the letter written to me by Shri George Fernandes which shows that the leaders want settlement. It says :

"If the attitude of Government is that our demand cannot be conceded, then we have no choice but to strike."

Apart from this I would like to say that the effort of antagonising passengers and the public against workers by cancelling the trains should be given up. The hon. Minister

23 LSS/74—9

should think that if the railwaymen go on strike, it will not confine to the railways alone but it will have its impact on Defence and P. & T. Departments also. Therefore, the demand of bonus should be conceded.

When the demand of giving bonus to the employees of the Railways is raised, they say that the Railway is a Department, not a public undertaking.

There should be parity between the Public Sector Undertakings and Departmental Undertakings. Also, there should a national wage policy.

The assurances given in the settlement arrived at after the locomen's strike have not been fulfilled. I insist on the hon. Minister to fulfil the assurances. I would like to appeal to the Prime Minister that it will be her mistake if she thinks that there would be no strikes just by alerting the Territorial Army.

We want a settlement. Leaders like Shri George Fernandes, Shri Dange and Shrimati Parvathi Krishnan want a settlement.

Shri L. N. Mishra : We have always tried to arrive at a settlement. The hon. Member has said that the assurances have not been implemented. In this context, I say that a Committee under the Chairmanship of the Chief Labour Commissioner has been set up for the first time in the history of the Railways. This Committee consists of Officers and the representatives of the workers. I myself shall see that the assurances are fulfilled.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I request the hon. Minister to say something about Mechanical Staff ?

Shri L. N. Mishra : Loco Running Staff and Locomen Mechanical Staff are two separate entities. I have not entered into any agreement with the Loco-Mechanical Staff. However, I am prepared to see to it.

I can give an assurance on behalf of the Government that if they come forward to have a settlement, we shall make every effort in this regard and we shall come forward with a practical proposition.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत सरकार (रक्षा सेवाएं), 1972-73, विनियोग लेखे (रक्षा सेवाएं), 1972-73, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 और गुजरात बिक्री अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत अधिसूचना के बारे में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं, श्री के० आर० श्री गणेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972-73 प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवायें) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

रक्षा सेवाओं के वर्ष 1972-73 के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा तत्संबंधी वाणिज्यक परिशिष्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 355 में प्रकाशित हुए थे ।

उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6823/74)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 385 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6824/74)

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात अधिसूचना संख्या (जी० एच०एन० 246)---जी० एस० टी०---1074-(एस 49)--(30)---टी एच की प्रति जो गुजरात सरकार राज्य पत्र दिनांक 25 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एच० एन० 627 जी एस टी 1070 (एम० 49);-टी एच में कतिपय संशोधन किये गये हैं ।

उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6825/74)

नौसेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विनियम, 1974, नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1974 और भारतीय नौसेना सहायक सेवा विनियम, 1973 के बारे में अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :---

(एक) नौसेना (अनुशासन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 37 में प्रकाशित हुऐ थे ।

(दो) **नौसेना औपचारिकता, सेवा** की **शर्तें तथा** प्रकीर्ण **(संशोधन) विनियम,** 1974 **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के** राजपत्र **दिनांक** 6 **अप्रैल,** 1974 **में अधि-सूचना संख्या सां० नि० आ० 113 में प्रकाशित हुए थे ।**

(तीन) भारतीय नौसेना सहायक सेवा विनियम, 1973 (हिन्दी संस्करण), जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 124 में प्रकाशित हुए थे ।

उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये देखिये। संख्या एल० टी० 6826/74)

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6827/74)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

कि राज्य सभा ने 23 अप्रैल, 1974 को हुई अपनी बैठक में विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय को राज्य सभा के 90 वें सत्र (शीत कालीन सत्र) के अन्तिम दिन तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव पारित किया है ।

कि राज्य सभा को पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 15 अप्रैल, 1974 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

58 वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय चलचित्र भाग-1 के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 58 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

आसनसोल के निकट बरौनी-हल्दिया पाइपलाइन में छेद करके पेट्रोलियम तेल की चोरी का समाचार

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बरौनी-हल्दिया पाइप-लाइन में छिद्र कर लगभग 5 लाख रुपये के पेट्रोल की चोरी की थी। इस पाइपलाइन से पेट्रोल चुराने का समाचार दो अथवा तीन वर्ष पूर्व भी प्रकाशित किया गया था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसी घटना फिर नहीं घटेगी। भारतीय तेल निगम के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से ही इन चोरों और शरारती तत्त्वों ने पेट्रोल की चोरी की होगी। इसके बिना ऐसी घटना घट नहीं सकती।

यह बहुत खतरनाक बात है। यदि कोई तोड़-फोड़ करने वाले तत्त्व उक्त पाइप-लाइन को नष्ट करना चाहें तो वे आसानी से ऐसा कर सकते हैं। उक्त पाइप लाइन का निर्माण 1962 के युद्ध के बाद किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना है। इस पाइप लाइन की सुरक्षा के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं।

यह नोट करने की बात है कि उक्त समाचार उसके अपने विभाग द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि खान निदेशक (सुरक्षा) के माध्यम से दिया गया है। इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये टाकरू आयोग की स्थापना की गई थी जो पाइप लाइनों के बारे में जांच कर रही है। यह पाइप-लाइन कोयला खानों में से होकर निकलती है और यदि इस पाइप लाइन में आग लग जाये तो उसे पाइप लाइन तक सीमित रखना कठिन होगा। इसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कोयले के क्षेत्र और कोयला खानें भी इसकी लपेट में आ जायेंगी।

अतः यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस बारे में अभी तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार को इस बारे में क्या सूचना प्राप्त हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Whenever the matter relating to Barauni-Haldia pipeline is raised, my mind is filled with hatred and anger. There has been so much bungling in this matter that the probe in this matter has not yet been completed. A Parliamentary Committee appointed in this connection was of the opinion that due to this pipeline it was not possible to extract Coal worth about 350 crore of rupees.

I want to know whether the whole pipeline is over ground or underground.

Petrol has been pilfered by boring a hole in the pipeline. This can only be done with the connivance of I.O.C.

I could not understand what the Ministry was doing in this regard ?

This matter was raised in the Previleges Committee twice and Shri P.R. Naik and Shri Khera had to apologise in this matter. The hon. Minister should place all the fact connecting this matter before the House. He should also mention the steps taken for

proper safety of this pipeline. He should also till what Cooperation he has received from the West Bengal and Bihar States etc. Where this pipeline passes through. The hon. Minister should make a detailed statement in this matter and only then he can satisfy the House.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पाइप-लाईन अशोधित तेल ले जाती है शोधित तेल नहीं। 21 अप्रैल के बहुत सबेरे इस बात का पता लगा कि तेल का दबाव बहुत कम हो गया है। वास्तविक स्थल का पता लगाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई। यह पता लगा कि पाइप-लाइन में एक चौथाई इंच का छिद्र किया गया था।

Shri Madhu Limaye: I want to know whether that part was underground or over the ground ?

श्री शाहनवाज खां :—साधारणतया वह भूमिगत है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त स्थल कलकत्ता की ओर आसनसोल से 17 मील दूर है। लगभग 7,000 से 10,000 रुपये की हानि हुई है। इस बारे में पुलिस को शीघ्र सूचना दे दी गई थी और पुलिस इस सम्बन्ध में कार्रवाई कर रही है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिये पुलिस पाईप-लाइन के आसपास गश्त लगा रही है।

Mr. Madhu Limaye : The hon. Minister has not stated whether that part of the pipeline was on ground or under ground ?

Shri Shahnawaz Khan : I have not got any information in this regard with me.

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में बाद में और जानकारी दे दें।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister should make a detailed statement in this regard.

अध्यक्ष महोदय : जांच का परिणाम प्राप्त होने पर मंत्री महोदय इस बारे में बाद में अधिक जानकारी दे सकते हैं। जांच करते समय आप की जानकारी में और तथ्य आयेंगे। आप इन तथ्यों के बारे में सदन को जानकारी दे सकते हैं।

श्री शाहनवाज खां :—मैं अवश्य ऐसा करूंगा। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह बताना चाहूंगा कि पाइप-लाइन भूमिगत थी। इसे खोदा गया।

अनुदानों की मांगें 1974-75

Demands for Grants, 1974-75

रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
18	रक्षा मंत्रालय	20,94,35,000
19	रक्षा सेवाएं—थल सेना	1,24,39,000
20	रक्षा सेवाएं—जल सेना	10,32,02,18,000
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	91,17,01,000
22	रक्षा सेवाएं—पेंशन आदि	12,75,17,000
23	रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	1,97,39,41,000

रक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
		श्री भोगेन्द्र झा :		
18	1	भारतीय सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नत अधिकारियों के अनुपात को सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों की संख्या के बराबर करने में असफलता।		राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये
	2	अफसरों और जवानों के बीच भ्रातृत्व की अधिक भावना पैदा करके सशस्त्र सेनाओं के ढांचे, कार्यकरण और उनके आंतरिक जीवन का लोकतंत्रीकरण करने में असफलता।		
	3	सशस्त्र सेनाओं के विशेषकर जवानों के वेतन और मंहगाई भत्ते में तुरन्त वृद्धि की आवश्यकता ताकि जीवन निर्वाह के खर्चे में हुई वृद्धि को पूरी तरह पूरा किया जा सके।		राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
	4	जवानों और अफसरों के लिए एक ही मैस, खेलने के मैदान और एक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों की आवश्यकता ताकि उनमें अधिक मेलजोल हो सके।		
		श्री आर० आर० शर्मा :		
	5	रक्षा सेनाओं को अणु आयुधों से लैस करने में असफलता।		राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाये।
	6	मंहगाई के कारण सशस्त्र सेना कर्मचारियों, विशेषकर जवानों के वेतन में वृद्धि करने की आवश्यकता।		राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
	9	सैनिक स्कूल, कुंजपुरा, करनाल के बच्चों का अपर्याप्त भोजन भत्ता जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में भुखमरी तथा बच्चों का बुरा स्वास्थ्य।		,,

1	2	3	
	10	सैनिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने की आवश्यकता ।	,,
	11	सैनिक स्कूलों के कार्यकरण में हर क्षेत्र में गिरावट ।	,,
	12	सैनिक स्कूलों की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair).

प्रो० मधु दण्डवते (राजपुर) : प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं । हमने की गई ज्यादतियों के बारे में नोटिस दिया है ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह मामला पहले उठा सकते थे। मैं तब ही इसकी अनुमति दे सकता हूं जब उसका मामला इस विषय से सम्बन्धित हो और अन्य विषयों से सम्बन्धित न हो। यदि आप ऐसे विषय को फिर से उठाना चाहते हैं जिस पर चर्चा समाप्त हो चुकी हो, तो मैं आपको उल्टा मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्री ने आपको इस बात की सूचना दी थी कि वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे । संसद् में कई महीनों से बार-बार ऐसे ही चल रहा है । अध्यक्ष-पीठ को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि मंत्री महोदय सदन में उपस्थित रहें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने बहुत स्पष्ट और कठोर शब्दों में इस सम्बन्ध में अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर दी है । मेरे विचार से अब मेरे लिये इस मामले में कुछ कहना आवश्यक नहीं रह गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : दलित वर्गों पर की गई ज्यादतियों के बारे में हमने कई बार नोटिस दिये हैं कृपया हमें बतायें कि हमारे नोटिसों का क्या बना और हम किस हद तक इस मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। आप इस मामले को हमें कब उठाने की अनुमति देंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Our right to raise some issues at the tune of placing the List of Business for the next week in the House by Shri Raghu Ramaiya has been taken away. I want to know what is the procedure for raising this issue ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इन नोटिसों का चयन करने का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जब उपस्थित होते हैं तब वह ऐसा करते हैं। इस बात का वही उत्तर दे सकते हैं । दूसरे, अध्यक्ष महोदय इस बारे में कोई कारण बताने के लिये बाध्य नहीं हैं क्योंकि यह उनका विनिर्णय है। इस मामले को सभा में किसी भी अवस्था में नहीं उठाया जा सकता। आप इस बारे में अध्यक्ष को उनके कक्ष में मिल सकते हैं और इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मुझे बतलायें कि मैं अध्यक्ष के कक्ष के स्थान पर यहां उक्त मामले को कब उठा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम पुराने होते जा रहे हैं। यदि आप पीठासीन अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो सभा में जिरह करना उचित नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस मामले में स्पष्टीकरण चाहता हूं जिरह नहीं कर रहा हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस वर्ष के रक्षा बजट में गत वर्ष के प्रावधान से अधिक प्रावधान किया गया है। 27 वर्षों में यही प्रवृत्ति रही है कि प्रतिवर्ष रक्षा बजट में वृद्धि की जाती रही है। इसका अर्थ यह है कि जनता पर अधिकाधिक भार डाला जा रहा है। जब देश की अखंडता को कोई चुनौती नहीं है तो फिर रक्षा बजट में इतनी अधिक वृद्धि करने का क्या औचित्य है?

इस वर्ष रक्षा बजट 1,915 करोड़ रुपये का है जबकि गत वर्ष यह 1,600 करोड़ रुपये का था।

आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है। आज की स्थिति में तो सम्पूर्ण ध्यान गरीबी दूर करने, बेरोजगारी हटाने और और मूल्यों में हो रही अभूतपूर्व वृद्धि को रोकने की ओर दिया जाना चाहिये।

इस बारे में सरकार की नीति वैसी ही है जैसी 1971 में थी। इसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है।

रक्षा के लिये अधिक प्रावधान करने से घाटे की अर्थव्यवस्था तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। लोग इसके विरुद्ध अवश्य ही अपनी राय प्रकट करेंगे। सरकार को और अधिक सहायता और ऋण के लिये अमरीका पर निर्भर रहना पड़ेगा।

इसका प्रभाव आपकी आन्तरिक तथा विदेशी नीति पर भी पड़ेगा।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि रक्षा आवश्यकताओं के निर्धारण के लिये हमें सामरिक वातावरण पर ध्यान देना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में अब तनाव कुछ होने लगा है और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये इस उपमहाद्वीप में वातावरण भी ठीक है तथा साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था डावांडोल है, रक्षा के लिए इस अतिरिक्त धन का प्रावधान करना विवादास्पद बात है। इतना ही नहीं यह सरकार द्वारा घोषित नीति से मेल भी नहीं खाता।

सरकार की मुख्य नीति यह होनी चाहिये कि वह विश्व जनमत तैयार करे और डियेगो गारशिया से अमरीका को अपने सैनिक हटाने पर बल दें। इसके स्थान पर तर्क दिये जा रहे हैं कि चूंकि अमरीका वहां अड्डे बना रहा है, अतः हमें अपना रक्षा व्यय बढ़ा देना चाहिए। यह एक अजीब सा तर्क है। यदि अर्थव्यवस्था ही डांवाडोल हो जाती है तो फिर किसी भी प्रकार का रक्षा उपाय सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। अमरीका भारत को जितनी अधिक सहायता देगा, वह उतना ही भारत में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करेगा। यही कारण है कि हम इस नीति के सर्वथा विरुद्ध हैं।

रक्षा उत्पादन एककों के कर्मचारियों में बहुत असंतोष व्याप्त है। तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन से वे यह मांग करते आये हैं कि उनके विरुद्ध जो भेदभाव किये जा रहे हैं, वह दूर

किये जाने चाहियें। उनकी दूसरी मांग यह है कि सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनानी चाहिये जिसमें उनके प्रतिनिधि भी हों। प्रधान मंत्री महोदया ने सभा में एक वक्तव्य दिया था कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभा में एक विधेयक पास किया जायेगा ताकि सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें समुचित रोजगार मिल सके। लेकिन वह विधेयक अभी तक पेश नहीं हुआ है।

समाचार है कि सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों विशेषकर टेल्को मोटर गाड़ियों के खरीदने के क्रयादेश देने की सोच रही है। इससे जबलपुर मोटर गाड़ी फैक्टरी तो प्रभावित होगी ही साथ में अन्य रक्षा उत्पादन एककों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन के अधिकारी संगठनों की एक बड़ी गंभीर शिकायत है कि 400 रुपये मासिक वेतन पाने वाले अधिकारी को 190 रुपये का निर्धारित मंहगाई भत्ता मिलता है इसलिए उन्होंने अस्थिर मंहगाई भत्ते की मांग की है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी उनका मंहगाई भत्ता केवल 10 रुपये बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं; अधिकारियों ने यह मंहगाई भत्ता लेने से इनकार कर दिया है।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि रक्षा सेना का कार्यकारी वर्गों की हड़तालों तथा संघर्षों को दबाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। गत संघर्ष में लोको रनिंग स्टाफ के स्थान पर प्रादेशिक सेना का उपयोग किया गया था। यदि रक्षा सेना की ऐसी भूमिका निभाने के लिये कहा जायेगा कि वे जन आन्दोलनों को दबायें तो फिर रक्षा सेना तथा जनता का सम्बंध गम्भीर रूप से प्रभावित होगा और यह वास्तविक रूप से आपत्तिजनक है।

रक्षा बलों के निम्न ग्रेड के सभी कार्मिकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को रक्षा बलों की आर्थिक दशाओं की अपेक्षा करके उन्हें रद्द करने की अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए।

डा० हरिप्रसाद शर्मा (अलवर): प्रतिवर्ष रक्षा व्यय में वृद्धि होती जा रही है। इस वर्ष के बजट अनुमानों में गत वर्ष की तुलना में केवल 162 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 162 करोड़ रुपये की इस राशि में से भी 132 करोड़ रुपये की बड़ी राशि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित करने में व्यय हो जायेगी।

वर्ष 1974-75 के लिए रक्षा परिव्यय वास्तव में गत वर्ष के परिव्यय से कम ही होगा। क्योंकि मूल्य सूचकांक में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि 27 करोड़ रुपये से कुछ नहीं बनेगा। रक्षा मंत्रालय की इन अनुदानों की मांगों पर इन वित्तीय मदों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए।

"नियत स्तर पर आयोजना" एक कठिन कार्य है क्योंकि समूचे प्रावधान का 75 प्रतिशत तो वेतन तथा भत्तों पर ही लग जाता है। इसके अतिरिक्त राशन 'पेट्रोल' अन्य विविध वस्तुओं पर, जिनमें परिवहन प्रभार भी सम्मिलित है, 17 प्रतिशत व्यय हो जाता है।

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात रक्षा नीति तैयार करने की है। हमें आज की नहीं अपितु आने वाले वर्षों में पेश आने वाली चुनौतियों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अगले 7 से 10 वर्षों तक के लिए समुचित नीति तैयार करनी होगी।

हमारे पास न केवल अच्छे हथियार होने चाहिएं अपितु मध्यम श्रेणी के टैंक जो पानी को तैर कर पार कर सकें, आदि-आदि होने की नितान्त आवश्यकता हैं।

अमरीका द्वारा नियगो गारसिया में एक आधुनिक नौसैनिक अड्डा स्थापित करने से स्थिति जटिल हो गई है। चीन ने भी इसका विरोध किया है। पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा के समीप कई हवाई अड्डे स्थापित किये हैं। रक्षा मंत्रालय को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पश्चिम एशिया क्षेत्र में छोटे पड़ोसी देशों को आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई की गई है जिनके आक्रमणों से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए।

हमें वायु तथा थल सेना की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमारे रक्षा उत्पादन विभाग को देश को दिखाना चाहिए कि वे समुचित ए० पी० सी० माडल बना सकते हैं।

हमारी वायुसेना के पास ऐसे बमवर्षक नहीं हैं जो कि मिराज जैसे बमवर्षकों का सामना कर सकें। हमारे पास गहरी मार करने वाले जहाज नहीं हैं। कहा गया है कि गहरी मार करने वाले जहाजों को उपलब्ध करने की कोई योजना नहीं है।

हमारी नौसेना को कठिन कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं। मंत्रालय को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस थोड़े से प्रावधान को किस प्रकार विभाजित करने जा रहा है। इसके बाद 'विक्रांत' के पुराने उपकरणों को बदलने का प्रश्न सामने आता है। हमें नौसैनिक जहाजों के बारे में भी तत्काल निर्णय लेना चाहिए। जब तक हमारे पास इस प्रकार के जहाज नहीं होंगे तब तक हम किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकते हैं?

रक्षा-उत्पादन विभाग प्रशंसनीय कार्य कर रहा है किन्तु सशस्त्र वाहक तथा टैंकों की हमारी जरूरत अभी भी बनी हुई है। यह उचित समय है कि हम इस ओर ध्यान दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): अनुदानों की इन मांगों के साथ रक्षा मंत्रालय को हमारी रक्षा नीति के उद्देश्यों का विस्तृत विवरण भी पेश करना चाहिए था। आज स्थिति बदली हुई है।

प्रतिवेदन में तनाव कम होने के लाभों के बारे में कहा गया है। किन्तु इस समूचे तथ्य पर इस दृष्टिकोण से देखना सही नहीं है। तनाव में कार्य होते ही लहरें अवश्य हमारे उपमहाद्वीप में पहुंच गई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् यह पहला अवसर है कि इस महाद्वीप में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गये हैं।

ऐसे समय पर डियगो गारशिया का मामला भी सामने है हमें इस समस्या पर विस्तार से विचार करना चाहिए। हमारे रक्षा मंत्रालय ने सामरिक वातावरण का सही मूल्यांकन नहीं किया है जिसे ध्यान में रखकर हमें अपनी रक्षा नीति तैयार करनी है। यह बड़ी अनुचित बात है कि ऐसे समय में जबकि अमरीका डियगो गारशिया में अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है, हम अपनी सीमाओं पर आधुनिकतम राडार तथा संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसके उपकरणों पर निर्भर रह रहे हैं। इस प्रतिवेदन में हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर वायु रक्षा भूमि पर्यावरण उपकरण के बारे में काफी कुछ बताया गया है।

इस उपकरण की सप्लाई का वचन बहुत पहले दिया गया था। इस बीच इसकी सप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि अमरीका ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब इस प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है

ग्रौर हमने इसका लाभ उठाया है। हमसे यह ग्राशा व्यक्त की गयी है कि हम ग्रपनी सीमाग्रों को लैस करें। क्या यह कुछ विचित्र बात नहीं है? मुझे यह बात मालूम नहीं है कि क्या कोई ग्रन्य गुट-निर्पेक्ष देश इस प्रकार का खतरा मोल लेगा। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री यह ग्राश्वासन दें कि हिन्द महासागर ग्रौर विश्व भर में घट रही घटनाग्रों को देखते हुए सबसे पहले ग्रमरीका से मंगवाये जा रहे इस उपकरण की हमारे ग्रपने लोगों द्वारा ग्रवश्य ही पूरी जांच करायी जानी चाहिए कि यह पूरी तरह विश्वसनीय भी है या नहीं? क्या ग्रापात स्थिति के समय भी यह विश्वसनीय सिद्ध होगा? इसके ग्रतिरिक्त इसे चलाते ग्रौर इसकी रख रखाव शत प्रतिशत भारतीय लोग ही करेंगे ग्रौर किसी भी ग्रमरीकी विशेषज्ञ या सलाहकार या ग्रन्य लोगों को इसके साथ सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

ग्रमरीका की नीयत पर कौन भरोसा कर सकता है? एक ग्रोर तो वह डियगो गारासिया में ग्रड्डा बनाना चाहता है ग्रौर इसके साथ साथ हम उनके राडार उपकरण को हमारी सीमा पर लगाने के लिए उन पर निर्भर कर रहे हैं।

मैं एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाग्रों को देश की रक्षा के ग्रतिरिक्त ग्रन्य कार्य कराये जाने के लिए तैनात करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जायेगा, ताकि सेना यह महसूस न करने लगे कि उनकी सहायता के बिना सरकार स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर सकती ग्रौर यह कार्य केवल सेना ही कर सकती है। यह बहुत ही ग्रनुचित बात है।

एक बहुत ही खतरनाक बात इस देश में हो रही है। हमें हाल ही में गुजरात में इस का ग्रनुभव हुग्रा है कि जो लोग पुलिस से लड़ रहे थे ग्रौर पुलिस जिन्हें गोली का शिकार बना रही थी, उन्होंने सेना का पुष्पमालाग्रों से स्वागत किया था।

मेरे पुराने मित्र एक मात्र फील्ड मार्शल ने विशेषकर गुजरात की घटनाग्रों के बारे में, जिसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व यह काम नहीं कर सकता है ग्रौर इसके लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त नेतृत्व की ग्रावश्यकता है।

मैं इस बात को बहुत ही ग्रपमानजनक समझता हूं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी भारतीय सेना को उन विजयों का, जो उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले प्राप्त की थी, समारोह तथा गुणगान करने दिया जाता है। 1947 के पश्चात् हमारे जवानों ने काफी युद्धों में विजय प्राप्त की है, हमें इन विजयों को मनाना चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन काल में प्राप्त विजयों को। इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए।

सेना के ढांचे को ग्रौर ग्रधिक लोकतांत्रिक बनाने के उपाय किये जाने चाहिए। सेना में पदोन्नति के ग्रौर ग्रधिक ग्रवसर प्रदान किये जाने चाहिए ग्रौर ग्रधिकारियों ग्रौर सैनिकों को ग्रौर समीप लाने के लिए गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिए।

मैं ग्रब ग्रर्थशास्त्र के बारे में बात कहूंगा। रक्षा सेनाग्रों पर होने वाले व्यय के बारे में कोई भी व्यक्ति ऐसी ग्रर्थ व्यवस्था का सुझाव नहीं देना चाहेगा जिससे सेनाग्रों की रक्षा-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि ग्रनावश्यक खर्च में कमी की जाये, तो 2000 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में कुछ बचत ग्रवश्य की जा सकती है।

अभी हाल ही में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया था जिसमें केवल रक्षा मंत्रालय को छोड़कर सभी मंत्रालयों के उत्तर दिये गये थे । हमने हाल ही में लोक लेखा समिति के नवीनतम प्रतिवेदन अथवा समय समय पर निकलने वाले रक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में जो कुछ पढ़ा है, उससे हम यह नहीं मान सकते कि इस मंत्रालय में ऐसी कोई हानि नहीं हुई जिससे बचा जा सकता था और कोई भी राशि गलत ढंग से खर्च नहीं की गयी।

रक्षा उद्देश्यों के लिए संसद् से स्वीकृत एक-एक पाई को अनिवार्य रूप से देश के अधिकतम लाभ के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में कई घोटालों का रहस्योद्घाटन किया गया है। उदाहरणार्थ कलकत्ता स्थित आयुध कारखानों के महानिदेशालय के अनेक कार्यालय किराये के भवनों में हैं जिनका 60,000 रुपये प्रतिमाह किराया देना पड़ता है। अब इस किराये को बढ़ा कर 84,000 रुपये कर दिया गया है। यद्यपि कुछ समय पूर्व एक भूमिखण्ड आवंटित कर दिया गया है ताकि वह अपने भवन का निर्माण कर सके। हमें बताया गया है कि धन के अभाव के कारण भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है। जबकि 84,000 रुपये की राशि कलकत्ते में इन भवनों के किराये के रूप में दी जा रही है।

इस के अतिरिक्त कारों और वाहनों आदि के प्रयोग करने की बात आती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मंत्रालय के मंत्री अपने विशेष पृथक विमानों से यात्रा क्यों करते हैं। अन्य मंत्रियों की भांति वे भी इण्डियन एयर लाइन्स की सेवाओं का लाभ क्यों नहीं उठाते? इन निदेशों से मितव्ययता बरती जा सकती है।

अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में मैं रक्षा उत्पादन मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस एच० एफ० 24 विमान के दर्जे को बढ़ा कर सुपरसानिक क्षमता वाले विमान में बदलने के लिये काफ़ी समय से जो निष्फल प्रयास किये जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। लड़ाकू विमान को नये रूप में परिष्कृत किये जाने की आवश्यकता है यह केवल तभी हो सकता है जब कि एच० एफ० 24 विमान को सुपरसानिक विमान में बदला जा सके, जैसा कि मूलतः ऐसा किये जाने का प्रयोजन था, किन्तु ब्रिटिश सहयोगियों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

गार्डन रीच वर्कशाप के बारे में प्रतिवेदन में बताया गया है कि वहां बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और वहां उत्पादनों का विविध्रि करण भी किया जा रहा है। फिर भी 1972-73 में उसमें 106 लाख रुपये का घाटा हुआ है। इसका क्या कारण है? यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है कि गार्डन रीच वर्कशाप में इतना अधिक घाटा न हो?

इस प्रतिवेदन में सेना में नई भर्ती नीति में किये जा रहे कुछ परिवर्तनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मंत्री महोदय इस बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं, तो भी इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में हमें समझौते के रूप में एक प्रकार का सन्तुलन कायम करना है। सेना के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे परम्परागत भर्ती केन्द्र निस्संदेह पहले की तरह अत्यन्त महत्वपूर्ण भर्ती केन्द्र बने रहेंगे। किन्तु सेना में भर्ती के आधार को और भी विस्तृत करना होगा और कुछ उपयुक्त परिवर्तन भी करने होंगे और यदि इस नीति का यही उद्देश्य है, तो हम इसके सम्बन्ध में और अधिक जानना चाहते हैं, किन्तु पंजाब या हरियाणा के लोगों के मन में यह गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये कि कुछ कड़ा पग उठाया जा रहा है और यह कि उन परिवारों को, जिन्हें सेना में सदैव भर्ती किया जाता रहा है, अचानक अब सेना में नहीं लिया जायेगा।

मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस भर्ती नीति को राजनीतिक रंग दे दिया जाये जिससे काफ़ी गड़-बड़ पैदा हो सकती है तथा राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंच रही है। इस दृष्टि से यह बात निन्दनीय है कि नई भर्ती नीति का इस प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि वे इस मामले पर प्रकाश डालें ताकि यह मामला राजनीतिक रूप धारण करके राष्ट्रीय एकता को नुकसान न पहुंचाये, यह दुख की बात है कि प्रतिवेदन में नई भरती नीति की व्यवस्था नहीं की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेसी सदस्य 15 मिनट से अधिक समय न लें श्री ब्रज राज सिंह–कोटा

श्री ब्रज राज सिंह (कोटा) : आपने जो कुछ कहा है, मैं उसका पालन करूंगा ।

[श्री बसंत साठे पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE IN THE CHAIR]

राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति से ऊपर की चीज है। प्रत्येक देशभक्त भारतीय यह चाहता है कि देश उन्नति करे और आगे बढ़े, हिंद महासागर क्षेत्र तथा विशेषकर दिएगो गार्सिया के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यहां मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सोवियत संघ तथा अमरीका के बीच तनाव में कमी बड़ा महत्व रखती है। सोवियत संघ ने इस बारे में अमरीका के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। हमारे नीति निर्धारकों को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ बदली हुई है। देश के लिए फारस की खाड़ी का महत्व सर्वाधिक है। ईरान सहित फारस की खाड़ी के देशों को शास्त्रास्त्रों से लैस किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों और किसके विरूद्ध किया जा रहा है ? हाल ही में लाहौर में कुछ देशों की बैठक में जो वक्तव्य दिए गए थे, उनकी ओर मंत्रालय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस उप-महाद्वीप में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर देश को खतरा कहां से है। इसके बाद ही तदनुसार हमें अपने को शस्त्रास्त्रों से लैस करना है।

मैं अब पश्चिमी क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जहां कभी न किसी प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती हैं, उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत कुछ शान्त है। फिर भी हम उत्तरी क्षेत्र को बिना सेना के नहीं छोड़ सकते । हमें पिछले अनुभव से शिक्षा लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1962 में चीन ने 8 सित-म्बर, को थागला रिज पार करके 20 अक्तूबर, को भारी आक्रमण किया था। हमें छह सप्ताह पूर्व सूचना मिल गई थी परन्तु फिर भी हम तैयार नहीं थे और इसका परिणाम सर्वविदित है। 1965 में पाकिस्तान ने अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में कच्छ पर आक्रमण किया था और उन्होंने छम्ब की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 1 सितम्बर, को आक्रमण किया। हमारे पास चार महीनों का समय था। हमने उनके इरादों को नाकाम कर दिया था परन्तु हम उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सके। 1971 के युद्ध में हमें अच्छी सफलता मिली। हमारे सेनाध्यक्षों ने बहुत अच्छा काम किया। परन्तु मेरा कहना यह है कि आगे जो युद्ध होगा उसमें हमारे देश को बहुत कम समय मिलेगा। पश्चिम की ओर से किसी भी संभा-वित आक्रामक को देखते हुए हमें हमेशा चौकन्ना और सावधान रहना है। मुझे आशा है कि हमने इसके लिये अपनी आक्रमण शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की है। परेशानी की बात यह है कि फारस के खाड़ी के देश चाहे उप महाद्वीप में सीधे युद्ध में भाग न लें तो भी वे पाकिस्तान को विमानों, हेलीकाप्टरों आदि से सहायता करके पाकिस्तानी वायु सेना को मदद पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें इस ओर अधिक ध्यान

देने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान के पायलट फारस की खाड़ी में मिराज विमान चला रहे हैं उनका प्रयोग भारत के खिलाफ भी हो सकता है। हमें 'नैट' विमानों का विकास करना चाहिए ताकि हम स्थानीय प्रभुता हासिल कर सकें। नौसेना के लिए लम्बी दूरी के पनडुब्बी विध्वंसक लड़ाकू विमानों की तथा गश्ती टारपीडो नौकाओं की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया में जो पिछला युद्ध हुआ है, उससे हमें सबक लेना चाहिए । दुश्मनों के विमानों से रक्षा के लिए भूमि से आसमान में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का कार्य बड़ा सफल रहा था। हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक अत्याधुनिक खर्चीले टैंक को टैंक भेदक शस्त्रास्त्रों से नाकाम बनाया जा सकता है। इसलिए यहां टैंक जैसे आक्रामक शस्त्र का निर्माण करने के साथ-साथ टैंक भेदक प्रक्षेपास्त्र जैसे रक्षात्मक शस्त्रास्त्रों का भी निर्माण करना चाहिए। हमें इन से सीख लेनी चाहिए तथा देश की रक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय को धन देने में ढील नहीं करनी चाहिए।

Shri R. R. Sharma (Banda) : There can not be two opinions that we have made much headway in strengthening our defence. The wars in 1965 and 1971 have established the valour of our forces in the wrold. But in the filed of Navy we have not made adequate Progress.

U.S.A. and U.K. want to establish their Naval, Air and Army bases in Deigo Garcia. Which is not good for us. In the Defence Ministry's report it is mentiond that they came to know on 5th February 1974 that U.S.A. wants to establish its naval and air base in Deigo Garcia. This is wrong. The Ministry had knowledge about it in 1969 when in the Defence magazine it was mentioned that USA and U.K. jointly wanted to establish Naval Military and Air base in the Deigo Garcia. This is a blunder on the part of Govern ment. We should establish Naval bases in Port Blair, Lakshadweep and in other islands.

I am not in favour of effecting any type of economy in the matter of defence. Our independence will be jeopardised if we adopt such a course.

It has been wrongly described in the report that we are manufacturing new types of planes and engines. Actually the position is the same as war in 1961. We have not developed any new planes or engines.

It has been our policy since 1961 to obtain manufacturing licence of arms from the country which sells us arms. Then why we did not insist on the manufacturing licence when we purchased U-7 plane from Soviet Union. What are the reasons that we did not purchase Mirage plane from France which is much superior to U-7 Plane ? Are we not depending too much on Soviet Russia in this field ? We should not depend on any country.

Pakistan is spending more than us on defence budget. She has Arab countries as friends. They have promised perennial oil supply to Pakistan. Taking all these into consideration we should not slash defence budget.

The State Governments should be given instructions to do every thing to resettle the retired armed force Personnel. Housing accommodation should be provided to the defence personnel so that they may live peacefully with their families. The Pay and allowanees

of army officers should not be less then those of I.P.S. and I.A.S. Officers. Their lives are full of dangers. The salaries of Jawans should also be attractive so that more persons may join the army. Some Sainik Schools are not running on sound footing. The stud ents of Sainik Schools at Kunjpura and Karnal get much less diet allowance. Teachers in Sainik School get less emoluments. These things should be attended to. The Defence Minister had given assurance to open a Sainik School at Kalinzen in my constituency. But nothing has been done so far. Many persons were transferred to military services during the second world war. They have now again been recalled to their original services but their old service has not been incorporated in their service. This matter may be looked into and the needful be done.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I Support the demands of Defence Ministry. We are all grateful to the hon. Defence Minister for his valour and efficiency in the last war. In reply to starred question no. 75 on 15 Nov., 1973, the hon. Minister had stated that appropriate measures will be taken to further broad-base recruitment and spread it more uniformly than at present, to the extent practicable, so that people from all parts of the country get an equal opportunity. I would request the hon. Minister to give equal opportunities to all to join the Army. No region or class should have monopoly in the army. Every step should be taken to give representation to all in the army.

We hail from North Bihar which has population of more than two crores. Except a small cantonment at Muzaffarpur, there is no defence installation and cantonments in the State. North Bihar has strategic importance due to China. So there must be some military installation in our area to boost the morale of the people.

It is my submission that the army should not be called to settle trifle matters. This results in loss of faith in the army and the Central Government. Only in dire need the army should be called.

History bears testimony that we sustained defeats in the past due to superior arms of our enemy. So there is need to manufacture more sophisticated and superior arms.

Today China has established military installations in Tibet along our borders. The Defence Minister should think in terms of manufacturing atom bomb.

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : We will certainly manufacture atomt bomb for peaceful purposes.

Shri Bibhuti Mishra : It may be manufactured for peaceful purposes but at least Government should make a beginning in this direction.

There is no road from East to West in Nepal border measuring 750 miles. It is my submission that in the present circumstances a road must be constructed along the Nepal border. The army can use it in times of emergency.

Compulsory military training should be provided in colleges. It will instil discipline among students. Funds should be provided for this purpose. The military training will make them more fit to receive education.

The jawans encounter great difficulties in getting land which the State Governments have to provide them. The villagers do not allow them to take over possession thereof. The State Governments should be asked to assist them in this so that they might be able to earn their livelihood.

There must be discipline in the army. Recruitment should be made on impartial basis. If people lose faith in impartiality, then the country will disintegrate.

श्री मोहनराज कलिंगारायर (पोलाची) : यह दुख की बात है कि रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान सदन में बहुत कम उपस्थिति है। हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने हमारा सम्मान और क्षेत्र को बचाने के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है।

बजट पर बोलते समय मैं यह बताना चाहूंगा कि सेना विशेषज्ञों तथा साथ में मेरी यह राय है कि कुल राष्ट्रीय आय का पांच प्रतिशत सेना के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। जब देश को बाहरी दुश्मनों से खतरा है तब रक्षा-व्यय को कम करने की कोई तुक नहीं है। अभी समाचार आया है कि चीन ने तिब्बत में अपनी सैनिक स्थिति मजबूत कर ली है। रक्षा मंत्रालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए।

इसके अलावा फारस की खाड़ी के देश तेल का फायदा उठाकर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना है। आबू-दाबी फ्रांस से विमान खरीद रहा है जिसे पाकिस्तान के पायलट चला रहे हैं। यही बात कुवैत और लीबिया के बारे में कही जा सकती है।

मैं एक गंभीर मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब एक रक्षा पत्रिका 'विक्रान्त' के सम्पादक ने रक्षा मंत्री का ध्यान कर्नल गद्दाफी के इस वक्तव्य की ओर दिलाया जिसमें पाकिस्तानी युवा वर्ग को भारत के खिलाफ भड़काया गया है तब रक्षा मंत्री ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। दूसरी बात, अभी हाल में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुस्लिम गुरिल्ला संगठन का निर्माण हुआ है जिसकी बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो और कर्नल गद्दाफी ने भाग लिया था । हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए।

पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन से आधुनिक पनडुब्बियां तथा जहाज खरीद रहा है। हमारे पड़ौसी देशों से खतरों को देखते हुए रक्षा व्यय कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए। देश में कठिन आर्थिक स्थिति इसके मार्ग में बाधक नहीं बननी चाहिए। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय हमने वेतन एवं भत्ते पर काफी खर्च किया है परन्तु रक्षा व्यय में बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं किया गया है।

जहां तक आयुद्ध कारखाने का संबंध है, उसमें व्यय 250.32 करोड़ रुपये से घट कर 231.11 करोड़ रुपये रह गया है। यदि आप मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि को देखें तो पायेंगे कि 1972-73 की तुलना में 1974-75 के दौरान इसके व्यय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्या इसको देखते हुए कोई कह सकता है कि हमारा रक्षा व्यय बढ़ रहा है? मुझे विश्वास है कि यह समा मेरे से सहमत होगी कि वर्तमान मूल्य स्तर पर 1974-75 में निर्धारित 1,915.8 करोड़ रुपये 1972-73 में निर्धारित 1,525.34 करोड़ रुपये से बहुत कम हैं।

सरकार सेनाधिकारियों तथा जवानों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में निर्णय लेने वाली है इस बारे में यथा शीघ्र निर्णय लेना चाहिए क्योंकि सेनाधिकारी तथा जवान भी महंगाई से त्रस्त हैं।

यद्यपि सरकार भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार सुविधायें तथा खेती के लिये भूमि दी है और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को काम दिया है परन्तु फिर भी इस बारे में अनेक मामलों की उपेक्षा हुई है । अतः इसकी जांच होनी चाहिये ।

देश की समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से शिवसमुद्रम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है; यह श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है । वहां पर नौसैनिक अड्डा बनाया जाना चाहिये । यदि हम वहां पर एक बड़ी परियोजना बनायें तो जहाज 300 नाटीकल मील के रास्ते को बचा सकते हैं । यह समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा ।

इस समय विमानचालक और पनडुब्बी चालक को मिलने वाले लाभों के बीच बहुत अन्तर है। यद्यपि दोनों का काम खतरनाक है तथापि पनडुब्बी चालक को अधिक खतरनाक हालात में काम करना पड़ता है परन्तु उसे विमानचालक से कम लाभ दिये जाते हैं । सरकार को इस अन्तर को समाप्त करना चाहिये ।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों को अति आधुनिक शस्त्रों की सप्लाई के समाचार निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं । पाकिस्तान अपनी सशस्त्र सेनाओं को शस्त्रों से सुसज्जित करने और सेनाओं की शक्ति बढ़ाने के लिये अमरीका , चीन तथा अन्य यूरोपीय देशों से सैनिक साज-सामान प्राप्त कर रहा है । वह इस मामले में भारत से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करना चाहता है। चीन पाकिस्तान को अत्याधिक सहायता और शस्त्रास्त्रों की सप्लाई कर रहा है, भारत-तिब्बत सीमा पर चीनी सेना के जमाव में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ । अतः इस सब स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा की तैयारियों में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

गत अक्तूबर के अरब-इसरायली युद्ध के दौरान नये शस्त्रों के विकास का परिचय मिला जिससे युद्ध के तरीके में क्रांति उत्पन्न हुई है । सघर और शेपर टैंक-भेदी प्रक्षेपणास्त्रों ने पैदल सेना की श्रेष्ठता फिर से स्थापित कर दी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी व्यवसायिक अध्ययन दल ने इस सारी स्थिति की जांच की है और उसके आधार पर सरकार को नई नीति की सिफारिश की है ।

हमारा सुरक्षा प्रतिष्ठान पर्याप्त आकार का है । उसके पोषण के लिये सुरक्षा का सामान बनाने वाले हमारे अपने कारखाने हैं और अनुसंधान तथा विकास विभाग है। मैं जानना चाहता हूं कि जितना व्यय हम अपनी सेनाओं पर व्यय कर रहे हैं क्या उस दृष्टि से सेनाएं उतनी शक्तिशाली हैं ? पश्चिमी जर्मनी अथवा अमरीकी सेना-टुकड़ियों की तुलना में हमारी टुकड़ियों की मारक शक्ति क्या है ? हमें सुरक्षा प्रतिष्ठानों में से प्रशासनिक पदों की संख्या घटा कर सैनिकों की संख्या बढ़ानी चाहिये ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और विकास पर भी काफी व्यय किया जा रहा है। परन्तु क्या हमें उसका पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त हुआ है ? क्या यह सच नहीं है कि हमारे सभी प्रमुख हथियार विदेशी

डिज़ाइनों पर आधारित हैं और उनका निर्माण विदेशी सहयोग से हो रहा है । इस दृष्टि से यहां पर पर्याप्त अनुसंधान नहीं हुआ है । इससे स्पष्ट है कि उनकी कार्य-प्रणाली में कोई दोष है इस प्रयोजन से व्यय की जा रही निधियों का समुचित उपयोग होना चाहिये ।

स्थल सेना का हमारी रक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । परन्तु फिर भी हम निरन्तर उस की उपेक्षा करते आ रहे हैं । स्थल सैनिक को अन्य अंगों की अपेक्षा न्यूनतम वेतन मिलता है । उसका राशन वायु सैनिक की अपेक्षा घटिया होता है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये । स्थल सैनिक को अनेक बार लम्बे समय तक फ्रंट पर रहना पड़ता है । हमें कोई एसा तरीका निकालना चाहिये जिससे कि शांति काल में वह अपने परिवार के निकट रहें ।

युद्ध में सबसे अधिक क्षति पैदल सैनिकों की होती है । यही सबसे अधिक संख्या में मारे जाते हैं और इसी कारण यही सब से अधिक अपंग होते हैं । परन्तु उन्हें मिलने वाली शारीरिक अयोग्यता पेंशन बहुत कम है । सरकार को रक्षा सैनिकों की सेवा के दौरान बीमे की संभावना की जांच करनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि वर्तमान संगठनों का पुनर्विलोकन किया जाये जिससे कि उनकी युद्ध शक्ति और मारक शक्ति में सुधार हो सके । अलाभप्रद व्यय में कटौती की जाये और धन का अच्छे प्रयोजनों के लिये उपयोग हो । रक्षा उत्पादन व्यवस्था का विस्तार किया जाये और आधुनिक शस्त्रों का उत्पादन भी उनकी कार्यवाही में सम्मिलित किया जाये ।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : जिस प्रकार की हमारे देश की स्थिति व परिस्थितियां हैं उनमें हमें कुशल सशस्त्र सेना व निरन्तर सतर्कता की आवश्यकता है । अतः हमें रक्षा मंत्रालय के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

हमें सशस्त्र सेनाओं पर अधिक धन व्यय करना चाहिये । हमारे पास आधुनिकतम शस्त्रास्त्र होने चाहियें। हमें आणविक शस्त्र भी बनाने चाहियें । हम अहिंसा की बातें करते हैं परन्तु यह नीति केवल घर में अर्थात् देश के भीतर ही चलनी चाहिये । देश के शत्रुओं के साथ यह नीति नहीं चलनी चाहिये यह बात एक बार ही स्पष्ट हो जानी चाहिये ।

सरकार द्वारा सेवा-निवृत्त सैनिकों को ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । सरकार को उनके पुनर्वास की ओर ध्यान देना चाहिये । केन्द्र ने यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर डाल रखा है परन्तु यह उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार को स्वयं ग्रहण करना चाहिये । राज्य सरकारें इस दृष्टि से पूर्णतया असफल सिद्ध हुई हैं ।

सरकार को जनजातीय और आदिवासी रेजीमेंटें भी बनानी चाहियें । यह संकुचित दृष्टिकोण नहीं है । ये लोग सेना में भर्ती होने के बहुत इच्छुक हैं । उन्हें संगठित करके उनका उपयोग किया जा सकता है ।

दूसरे महायुद्ध के समय रांची के आसपास की बहुत सी जमीन सेना ने अपने उपयोग के लिये ली थी अथवा अधिग्रहीत की थी । उसमें से बहुत सी भूमि अभी भी अप्रयुक्त पड़ी है । यह भूमि आदिवासियों और निर्धन लोगों की है । सरकार इस भूमि को स्थायी रूप से अभिग्रहण करे और यदि यह सेना को नहीं चाहिये तो इसे खाली किया जाये और लोगों को उचित मुआवजा मिले ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्तियों के मामले पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। रक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। इसमें इन जातियों के अधिक लोगों को लिया जाना चाहिये। यह बात राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी हितकर है।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): Defence Ministry's report gives a complete picture of what is happening in our neighbouring countries and the strategy which is going to be adopted to meet the situation. The Minister deserves to be congratulated that he has not only fulfilled all the promises but he has gone further also. Steps have been taken for rehabilitating disabled soldiers and giving pensions to war-widows. This is very commendable as this is not being done in any other country of the world. Though ours is a poor country yet at present our country occupies fifth or sixth place in the world from military point of view.

A number of things have been said about recruitment in Armed Forces. We should look to other avenues for employment of the unemployed. The recruitment in the defence Forces should be kept above politics. This matter should be left to the Generals. They know what type of people are required for various types of jobs. There should not be any priority to any category, such as Harijan and Tribals in this matter and it should be on open competition basis for all. The recruitment should be widely publicized so that all may know it.

The chances for promotion in the Army were less in comparison to civil administration. There are five commands and the officers in charge of these commands should be given the rank of General while the person in charge of the Central Command should be given the rank of Chief Marshal or field Marshal. The Government should seriously consider this suggestion.

Civilian employees frequently resorted to strikes. Military personnel also have their problems and demands but we do not hear of any strike by them. Government should consider employing retired military personnel in Railways and other public sector undertakings to solve the problem of strikes.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): किसी भी देश की सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एंव पडोसी देशों की स्थिति तथा रक्षा प्रयासों में देश के लोगों की अन्तर्ग्रस्तता पर निर्भर करती है। इन्हीं दो बातों के संदर्भ में देश की रक्षा और रक्षा नीतियों को आंका जा सकता है।

1973 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। रूस और अमरीका में इसी वर्ष तनाव कम हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य से एशियाई स्थिति पर रूस और अमरीकी समझौते का प्रभाव नहीं पड़ा। 26, जनवरी 1973 के पैरिस समझौते के बावजूद भी वियतनाम में युद्ध समाप्त नहीं हुआ। कम्बोदिया में भी पूरे जोर से युद्ध चल रहा है। पश्चिम एशिया के युद्ध से भी न केवल सामाजिक नीतियां ही प्रभावित हुई हैं अपितु किन्हीं देशों के औद्योगिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ा है।

पश्चिम यूरोप एवं पश्चिम एशिया के कुछ देशों में कुछ समझौते हुए हैं। यह भी कहा गया है कि त्रिपक्षीय समझौते भी हुए हैं जिनमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है। यदि पाकिस्तान इन समझौतों में शामिल हुआ है तो यह हमारे लिये खतरनाक समस्या है। इससे भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों को खतरा बना रहेगा।

इन के अतिरिक्त हिन्द महासागर के सम्बन्ध में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं हिन्द महासागर शांति का सागर न रह कर विभिन्न महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का केन्द्र बन जाने की संभावनाएं हैं। 5 फवरी को ब्रिटेन और अमरीका के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार हिन्द-महासागर क्षेत्र में स्थित अब तक संचार केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे क्षेत्र को पूर्ण नौसैनिक अड्डे में परिवर्तित किया जाना है। इससे इस क्षेत्र को और अधिक खतरा पैदा हो गया है। इस संदर्भ में रूस ने कहा है कि हिन्द महासागर में सब राष्ट्रों के पोतों को आने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। इससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह शांति क्षेत्र न रहकर युद्ध क्षेत्र बन जायेगा।

पश्चिम एशिया के युद्ध से कुछ सबक सीखे जा सकते हैं। विभिन्न देशों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कुछ भी हो हमें युद्ध से मिलने वाले सबक से लाभ उठाना चाहिये। उनके आधार पर ही हमें अपनी रण-नीतियां निर्धारित करनी चाहियें। यह अच्छी बात है कि रक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन में पश्चिम एशिया युद्ध की पेचीदगियों का विश्लेषण किया गया है। मेरे विचार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस बात का विश्लेषण किया जाना जरूरी है कि देश की रक्षा के लिये कुल राष्ट्रीय आय का कितना भाग व्यय किया जाता है। दुर्भाग्यवश रक्षा व्यय के बारे में बहुत सी विषमतायें हैं। इसके लिये बहुत कम परिव्यय निर्धारित किया गया है और कुल परिव्यय के इस भाग को और अधिक बढ़ाना है।

समस्या अब यह है कि क्या आणविक ऊर्जा का विकास देश में आणविक टैक्नालाजी के लिये विकसित किया जाए या इसका उपयोग एटम बम या हाईड्रोजन बम बनाने के लिये किया जाए। यदि हम आणविक टैक्नालाजी के विकास के लिये आणविक ऊर्जा का विकास करना चाहते हैं तो आणविक ऊर्जा के विकास करने हेतु प्रारम्भिक प्रक्रिया के विकास पर वास्तव में खर्च किया जाने वाला सम्पूर्ण परिव्यय पूर्णतः व्यर्थ नहीं जायेगा। हम बाद में आणविक बिजली बनाने का निश्चय कर सकते हैं यदि हम आणविक शस्त्र बनाना नहीं चाहते तो हम ऐसा भले ही न करें किन्तु हमें विश्व के सामने यह घोषणा करने के लिये गैर-राजनयिक तरीका नहीं अपनाना चाहिये कि हम एटम बम बिल्कुल नहीं बनायेंगे।

रक्षा मंत्री को घोषणा करनी चाहिये कि हम आणविक शस्त्रों के बारे में अपना कोई स्पष्ट निर्णय नहीं देंगे। राजनीतिक तौर पर यह रवैया ठीक रहेगा।

रक्षा के बारे में दीर्घकालिक योजना बहुत आवश्यक है ताकि बाहरी घटनाओं से हमारी विकास योजनाओं में बाधा न आये। जैसा कि युद्धोपरान्त की अवधि में हुआ है। इस परिव्यय का बहुत कम भाग अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च हुआ है। इस उद्देश्य के लिये और अधिक परिव्यय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

ब्रिटेन, अमरीका और फ्रांस में जहां रक्षा परिव्यय के लिये संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, रक्षा प्राक्कलन के प्रस्ताव के साथ, रक्षा नीति के उद्देश्य का एक वक्तव्य संसद में रखने की प्रथा है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में न केवल रक्षा परिव्यय अपितु सम्पूर्ण रक्षा सम्बन्धी उद्देश्य भी संसद में प्रस्तुत किये जाने चाहिये ताकि हमें भी पता चले कि सरकार ने क्या किया है। फिर इस देश में असैनिक आन्दोलनों, राजनीतिक दंगों और अन्य विपत्तियों का सामना

करने के लिये सेना का दुरुपयोग किया जाता है। यदि इस प्रकार आये दिन सेना का प्रयोग किया गया तो लोग सेना को लोकतांत्रिक शासन का वैकल्पिक प्राधिकरण का स्रोत समझने लगेंगे। आशा है कि भारतीय सेना जनता के लोकतांत्रिक शासन को चुनौती नहीं देगी अपितु देश के लोकतांत्रिक शासन का आदर करेगी।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्राद्यौगिकी का विकास तेजी से होता है और इस कारण हमें हर समय इस सम्बन्ध में सावधान रहना पड़ता है कि हमसे जो कुछ बना है वह पुराना तो नहीं पड़ गया है तथा वे मशस्त्र सेना की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तनाव और शांति की स्थिति में रक्षा उत्पादन के घटने और बढ़ने के कारण इसके प्रबन्ध में कठिनाइयां होती हैं।

इस संबन्ध में सबसे आवश्यक बात यह है कि अधिष्ठापित क्षमता को बेकार न रखा जाए तथा उसका उपयोग समाज और देश के लाभ के लिए किया जाये। इसलिये जबकि हम सशस्त्र सेना की आवश्यकता को पूरा करते हैं हम नागरिक व्यापार की वस्तुओं तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं।

वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के कारण देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कुछ समय के लिए टालना पड़ रहा है और ठीक समय आने पर उन्हें फिर से हाथ में लिया जायेगा।

वर्ष 1972-73 के दौरान 210 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जिसके बाद उत्पादन में निरन्तर गिरावट आई जिसके कई कारण हैं। एक कारण मशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता का गिरना है। समयोपरि भत्ते को कम करने की नीति के कारण उत्पादन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण आर्थिक कठिनाइयां है। उत्पादन के इस गिरावट के कारण सदस्यों को चिंता नहीं करनी चाहिये। हम इसे इस प्रकार कर रहे हैं जिससे रक्षा उत्पादन की बुनियादी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हमने विभागीय फैक्ट्रियों में कई नई बातें की हैं। हमने एक उच्च स्तरीय समिति भी नियुक्त की है। इन कदमों द्वारा हमारी फैक्ट्रियों में अधिक बचत होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

यह बात ठीक है कि जबलपुर स्थित मोटरगाड़ी फैक्ट्री अधिष्ठापित क्षमता के बराबर गाड़ियां नहीं बना पाई जिसका अर्थ यह नहीं कि यह बना नहीं सकती। कुछ समय बाद हम सेना की आवश्यकता की गाड़ियों का निर्माण ही नहीं करने लगेंगे बल्कि सभी प्रकार की गाड़ियों के संबन्ध में भी काफी प्रगति कर लेंगे।

इस समय विजयंत टैंक में 70 प्रतिशत देशी भाग है तथा दो वर्ष के समय में यह 85-90 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगे।

इन उपक्रमों के संबन्ध में हमने बुनियादी संबन्धी निर्णय लिए हैं। रक्षा कर्मचारियों के दो राष्ट्रीय संघों से परामर्श करके और समझौता करके हमने सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया कि हम कोई ऐसा तरीका निकालने का प्रयत्न करेंगे कि जिससे समयोपरि कार्य को अधिक से अधिक कम किया जा सके। इसके कारण कर्मचारियों को होने वाली हानि को पूरा करने का भी कोई तरीका निकाला जाएगा।

हम कर्मचारियों और मशीनों को पूरे समय काम में लगाए रखना चाहते हैं जिससे कि बेकारी के समय का भुगतान न करना पड़े।

विभिन्न कारखानों में 1.40,000 कर्मचारी काम करते हैं तथा उनके साथ औद्योगिक संबन्ध बड़े ही संतोषजनक हैं। आशा है कि ये संबन्ध बने रहेंगे।

कच्चे माल के क्षेत्र में हमने अधिक प्रगति नहीं की है यद्यपि हमारी कई फैक्ट्रियां कच्चे माल का उत्पादन करती हैं। अतः हैदराबाद की फैक्ट्री और प्रस्तावित कानपुर की फैक्ट्री हमारे बुनियादी कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करेंगी।

यद्यपि हमने अनेकों चीजें बनाई हैं पर डिजाइन बनाने की योग्यता आवश्यक सीमा तक नहीं बढ़ी है। इस क्षेत्र में अब हम अधिक प्रयत्न कर रहे हैं।

बजट का केवल दो प्रतिशत रुपया अनुसंधान और विकास पर खर्च होता है, जो पर्याप्त नहीं है। पर यदि हम अधिक पैसा इसमें लगाएं भी, तो भी हम उसका उपयोग वैज्ञानिकों की कमी के कारण नहीं कर सकते। देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हमने निश्चित योजना बनाई है तथा हम इसे बड़ा महत्व देते हैं।

आयुद्ध कारखाने प्रतिवर्ष अच्छे परिणाम दिखा रहे हैं। 1971-72 में इन कारखानों में 174 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ जबकि वर्तमान 1974-75 के बजट काल के लिये हमने 300 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

गार्डन रचि वर्कशाप में घाटे के दो कारण हैं एक तो जहाज बनाने के लिए कम मूल्य स्वीकार करना तथा बोकारों स्टील प्लांट का कुछ कार्य घाटे पर करना। इससे हमें घाटा हुआ। लेकिन अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हमने तुरन्त कदम उठाए और इस वर्ष अथवा अगले वर्ष हम इस उपक्रम को लाभदायक बना देंगे।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज बनते हैं जिनका उपयोग वायुसेना, नागरिक उड्डयन और खेती के कार्यों में किया जाता है। मिग 21 और अन्य एवरों सैनिक हवाई जहाजों का निर्माण कानपुर में किया जा रहा है। नैट पूरी तरह से एक भारतीय हवाई जहाज हैं। इसका अब मूल लाइसेंस से कोई संबन्ध नहीं है। "अजीत" जिसमें नैट की खूबियों के साथ-साथ और भी सुधार किए गये हैं अब और भी उपयोगी सिद्ध होगा।

एफ० एच० 24 हवाई जहाज का माडल तैयार करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और सुपर सैनिक जैट लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में हमने काफी प्रगति की है। आशा है हमारे प्रयत्न सफल होंगे। यह विमान पूरी तरह से सफल हो जाएगा। तब यह लड़ाकू विमानों में एक अग्रणी विमान माना जायगा।

सिद्धान्ततः हमने यह निर्णय कर लिया है कि भारत अर्थ मूवर्स अब बख्तरबंद गाड़ियों का निर्माण करेगा। इसका डिजाइन भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशियनों ने तैयार किया है। नमूना तैयार कर दिया गया है। इंजिन ट्रान्समीशन और कूलिंग सिस्टम का हमने कहीं विदेश में विकास किया है। परन्तु हम सभी चीजें भारत में ही बनाऐंगे। हमने सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया है कि यह फैक्ट्री मध्य प्रदेश में रायपुर के पास स्टील फैक्ट्री के निकट स्थापित की जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसे हम तीव्रगति से चलाना चाहते हैं। यह भारत अर्थ मूवर्स का तीसरा एकक होगा।

मजगांव डाक लिमिटेड जंगी जहाज तथा अन्य प्रकार के जहाज बना रहा है । हमने समुद्र-तट से दूर खुदाई करने के लिए एक प्लेटफार्म लिया है । अब हम इसका देश में ही निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। मजगांव डॉक्स में इसका निर्माण करने की क्षमता है, इसलिए बम्बई के गहरे समुद्र में तेल की खुदाई करने के लिए हम स्थिर प्लेटफार्म का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

समुद्री तट पर तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सीमाशुल्क विभाग के लिए तीव्र गति से चलने वाली फाइबर ग्लास निरीक्षण नौकाओं का निर्माण-कार्य भी हमने प्रारम्भ कर दिया है । ये नौकाएं तस्करों द्वारा प्रयोग की जाने वाली नौकाओं से अधिक तीव्रगामी होंगी और इससे तस्करी की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी ।

हम अपनी नीति के अनुसार रक्षा संबन्धी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुसंधान और विकास तथा विभिन्न उत्पादों के भारतीयकरण को सभी प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

हम अपने रक्षा उत्पादों को निर्यातोन्मुखी बना रहे हैं ताकि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इससे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा और अन्य लाभ प्राप्त हुए हैं।

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 80,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि हमारे उनके साथ काफी अच्छे संबन्ध हैं ।

रक्षा पूर्ति विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है । अपने आठ साल के अस्तित्व में इस विभाग ने आयात प्रतिस्थापन विभाग के रूप में काम किया है और विभिन्न भारतीय निर्माताओं को 18,000 वस्तुओं के लिए क्रयादेश दिया है, जिनकी कीमत 165 करोड़ रु० बैठती है । सशस्त्र सेनाओं ने 57 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुयें प्राप्त कीं थी और इतनी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत की। हम इस विभाग को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे हैं। इस विभाग से सहयोग करने वाले व्यक्तियों की जोखिम को कम करने के प्रश्न पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अनुसंधान और विकास विभाग के लिए किया गया प्रावधान पर्याप्त नहीं है। इस संगठन के अधीन 32 परीक्षणशालायें काम कर रही हैं। वर्ष 1971-72 में इस संगठन के लिए 21 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया था और अब 38 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है । इस प्रकार हम भविष्य में आदर्श स्थिति पर पहुंच सकेंगे।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एयरोनाटिक्स, प्रक्षेपास्त्र, राकेटे, समुद्री विज्ञान पर परम्परागत अनुसंधान के अलावा अधिक जोर दे रहा है । हमने इसके कार्यकरण में सुधार के लिए कार्यवाही की है । उत्पादन एजेंन्सियों को अनुसंधान परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरणों में ही सम्बद्ध किया जाता है, जिससे अनुसंधान का उत्पादन में प्रयोग किया जा सके । रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग विभिन्न तकनीकों के देशीकरण के कार्य में भी संलग्न है और एक सरकारी विभाग के रूप में उनका कार्य अत्यधिक उल्लेखनीय है । रक्षा अनुसंधान विभाग विभिन्न विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ तालमेल से काम कर रहा है ।

हमने अनेक प्रक्रियाओं का विकास किया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को उन्हें दिया है । जिनका उत्पादन हम स्वयं नहीं करते, उनके पेटेन्ट विभिन्न पार्टियों को बेच दिये जाते हैं जो उनका उत्पादन करती हैं ।

रक्षा व्यय को अनुत्पादक या सुरक्षा के लिए अदा की जाने वाली कीमत कहना सही नहीं है। देश के आर्थिक विकास में रक्षा संबन्धी व्यय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है और रक्षा कारखानों में असैनिक उपयोग के सामान का भी उत्पादन होता है। वर्ष 1972-73 में 510 करोड़ रु० मूल्य की सामग्री का निर्माण किया गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है।

हमने यह नीति संबन्धी निर्णय किया है कि उत्पादक कारखानों से लाइसेंस समझौतों अथवा सहयोग करारों की अवधि के अन्दर ही प्रक्रियाओं का देशीकरण करने के लिए कहा जाये, जिससे भविष्य में सहयोग समझौतों अथवा सहयोग करारों के करने की आवश्यकता न रहे।

रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री द्वारा इस विकास कार्य में रुचि दिखाने की वजह से ही हम इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सके हैं। माननीय सदस्यों ने जो समर्थन व्यक्त किया है, आशा है वह भविष्य में भी मिलता रहेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आयुद्ध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में काम करने वाले रक्षा कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं श्री शुक्ल जी को बधाई देना चाहता हूं।

आयुद्ध कारखानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और व्यावहारिक रूप से वे रक्षा संबन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के मामले में भी शीघ्र आत्मनिर्भर होगा।

कुछ लोगों का यह विचार है कि परमाणु बम या हाइड्रोजन बम का निर्माण किये बगैर हम देश की रक्षा नहीं कर सकते। देश की एकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है देश की जनता की अटूट एकता। यह एक अफसोस की बात होगी कि जब हमारी जनता को खाद्यान्न की आवश्यकता है, तो हम बम बनाने पर धन बरबाद करें।

मैं रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम अणु शक्ति का शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करेंगे।

मैं रक्षा मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० कानपुर के बारे में भी बतायें कि उसके बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है। पता नहीं यह सच है या नहीं, लेकिन समाचारपत्रों में यह चिन्ताजनक समाचार प्रकाशित हुआ है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० कानपुर में एवरो 748 का उत्पादन बन्द किया जा रहा है। कुछ निहित स्वार्थों वाले तत्व इस देश में एवरो विमान के उत्पादन के विरुद्ध प्रचार कार्य में संलग्न है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रकार के दबाब में न आयें।

कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात संयन्त्र स्थापित करने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। इस घोषणा का कानपुर की जनता ने स्वागत किया था। इससे नवयुवकों को रोजगार भी मिलता अब यह सुनने में आया है कि योजना आयोग का विचार दुर्गापुर संयंत्र का विस्तार करने का विचार है। कानपुर एक आदर्श स्थान है, क्योंकि वहां चार आयुद्ध कारखाने और अन्य कई रक्षा प्रतिष्ठान हैं।

यह सही है कि समग्रतः रक्षा कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के अच्छे औद्योगिक संबन्ध हैं। हम रक्षा मंत्री की व्यवस्तता को ध्यान में रखते हुए उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। फिर भी कुछ समस्यायें हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि विभागीय और गैर-विभागीय उपक्रमों के बीच अन्तर क्यों

रखा गया है । यह अफसोस की बात है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० में विमान का निर्माण करने वाले कर्मचारियों को तो बोनस मिलता है, परन्तु आवड़ी में टैंक बनाने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलता । यह अन्तर समाप्त किया जाना चाहिए ।

सैन्य अधिकारियों और जवानों के मामले में वेतन आयोग की रिपोर्ट को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये । रक्षा मंत्रालय ने वेतन आयोग की रिपोर्ट में अनेक असंगतियों पर विचार किया । उन्होंने यह सिफारिश भी की कि रेल कर्मचारियों और रक्षा कर्मचारियों के बीच कोई असंगति नहीं होनी चाहिये परन्तु वित्त मंत्रालय ने इसे अस्वीकार कर दिया ।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह रक्षा उत्पादन बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करें । हम अत्यधिक दक्ष और कार्यकुशल व्यक्ति उक्त बोर्ड को देने का प्रयास करेंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके । रक्षा कर्मचारी फैडरेशन की ओर से हम रक्षा मंत्री को हार्दिक समर्थन का आश्वासन देते हैं ।

Shri Achal Singh (Agra) : I am happy to mention that our armed forces have a great sense of patriotism, discipline and punctuality, which are lacking in other employees of civilian departments.

Our Cantonment Act is 60-70 years old and no changes have been made in it. The Cantonment Act should be changed according to the changing times.

I am also very happy to mention that our armed forces have given a very befitting reply to the enemy in 1971 war. We should make our armed forces stronger.

Thousands of refugees in Agra Cantt. are being deprived of their houses and business premises. It is highly improper.

The water supply position in Agra Cantt. is very bad. The people are finding it very difficult without water. If Rs. 25 lakhs are allotted to Agra Cantt. Board, the water supply position could be improved there.

The refugee shopkeepers in Daresi No. 1 and 2 are being asked to vacate their shops. This should not be done. They might be charged Rs. 100/- per yard for the land.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मेरे विचार से भारतीय सैनिक विश्व भर में अपनी निष्ठा और कर्तव्य की भावना के लिए सुविख्यात है । उसे रक्षा करने के लिए भी कुछ दिया जाना चाहिये । ब्रिटिश सैनिकों और विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं के अधीन सैनिकों ने उन सामाजिक व्यवस्थाओं की रक्षा की है, जिसे उन्होंने पवित्र और आदर्श माना । भारतीय सैनिक एक लोकतान्त्रिक प्रणाली की रक्षा कर रहा है जिसमें आपसी सहमति से प्रशासन चलता है ।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 26 अप्रैल, 1974/6 वैशाख 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, April 26, 1974/ Vaisakha 6, 1896 (Saka).

MGIPRRND—IV N.S.—23 LSS/74—13-8-74—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषण आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi

24 LSS/74—1